राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ५२वां दिवस [संख्या २०

शनिवार, दिनांक ९ मार्च, १९६८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचंद विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, अकाल सहायता, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, गृह, चिकित्सा, सहकारिता, पंचायत, आयुर्वेद एवं खाद्य-विभाग]

प्रश्न संख्या २६१

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६२

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा !

ग्राम गोविंदपुरा में अलॉट की गई भूमि

२६३. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि झालरापाटन तहसीलदार द्वारा ग्राम गोविन्दपुरा की खसरा नं० ४४ में ६॥।) बीघा भूमि ग्राम के किसी व्यक्ति को एलॉट की गई है जिस पर उस व्यक्ति ने फसल बो कर काट ली है ?

(२) क्या यह भूमि चरनोट की है ?

(३) क्या उक्त भूमि का एलॉटमेंट राजस्व मंत्री महोदय के आदेश से हुआ है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चोधरी) :

(१) जी हां। श्री प्रभूलाल पुत्र नारायण लोधा साकिन गोविंदपुरा को भूमिहीन होने के कारण खसरा नं० ४४ की ६॥।) बीघा भूमि तहसीलदार, झालरापाटन के द्वारा आवंटित की गई और उसने फसल बो कर काटी।

(२) जी नहीं। वह भूमि पड़त सरकार काबिल काश्त है।

(३) जी हां।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि एलाटमेंट बोर्ड के द्वारा यह भूमि दी जाती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : नियमों में ऐसा प्रावधान है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : तो फिर यह भूमि खुद तहसीलदार ने कैसे दे दी ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इसका जवाब प्रश्न संख्या में ३ दिया गया है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या बिना एलॉटमेंट बोर्ड के तहसीलदार द्वारा भूमि दी जा सकती है? अगर नहीं, तो फिर यह कैसे दी गई? वापस कैंसिल होगी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्व मंत्री के आदेश से दी गई है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : किसकी वजह से दी गई है?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री के आदेश से दी गई है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या राजस्व मंत्री के आदेश से दी जा सकती है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विद्यासागर!

कल्याणपुर से बनजारिया-खेरवाड़ा सड़क पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य

२६४. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा सु.) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६७ में तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, में कल्याणपुर से बनजारिया-खेरवाड़ा सड़क का काम अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत चलाया गया था?

(२) यदि हां, तो कब से कब तक चला था?

(३) क्या उस समय उक्त सड़क के लिए फर्लांग व पुलियों का पत्थर पुलिया छवाई हेतु किसी से लिया गया था? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों से किन-किन अधिकारियों ने लिया?

(४) क्या जिन व्यक्तियों से पत्थर लिया गया था उनको पेमेंट हो गया है? यदि हां, तो कब और नहीं हुआ तो आज तक पेमेंट नहीं करने के क्या कारण हैं?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(१) जी हां।

(२) यह कार्य दिनांक १-१२-६६ से १०-९-६७ तक चला।

(३) जी हां। श्री रूपजी हुरा, निवासी डूंगरपुर से श्री गोपालकृष्ण चौबीसा, ओवरसियर ने लिया था।

(४) जी हां। दिनांक ९-१० व २७ मई तथा २ जून को पेमेंट हुआ।

श्री विद्यासागर : जिनको पेमेन्ट किया गया उनके नाम क्या हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : नामों की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री विद्यासागर : पेमेन्ट कब हुआ?

श्री गंगाराम चौधरी : २७ मई तथा २ जून को।

श्री विद्यासागर : किनको पेमेंट किया गया?

श्री गंगाराम चौधरी : जो अधिकारी थे।

एक माननीय सदस्य : जिन्होंने पेमेंट लिया उनके नाम होने चाहिए।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री विद्यासागर : मंत्री महोदय ने बताया कि पेमेंट कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार पेमेंट नहीं किया गया है और श्री कृष्णगोपाल वहां से चला गया था और पेमेंट नहीं किया गया है।

श्री गंगाराम चौधरी : अगर पेमेंट नहीं हुआ है, तो जानकारी करवाई जायगी और कार्यवाही की जायगी।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : कब तक करवा देंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : एक सप्ताह में।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुवालाल चौधरी !

तहसील फुलेरा में अलॉटमेंट कमेटी की बैठक

१६५. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ग्राम नरायना, तहसील फुलेरा में भूमिहीनों को भूमि आवंटन हेतु अलॉटमेंट कमेटी की बैठक दिनांक २०-११-६६ को तहसीलदार फुलेरा ने आमंत्रित की थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त दिनांक को तहसीलदार के उपस्थित न होने के कारण अलॉटमेंट की मीटिंग नहीं हो सकी ?

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग में न आकर व उनकी अनुपस्थिति के कारण मीटिंग न होने पर भी दो महिलाओं के नाम तहसील कार्यालय से ही अलॉटमेंट कमेटी का झूठा निर्णय बताकर स्वयं ने अलॉट कर दी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :
(१) जी हां।

(२) जी नहीं। दिनांक ३०-१२-६६ को कार्यवाही अलॉटमेंट की गई।

(३) जी नहीं। आवंटन नियमानुसार किया गया।

श्री सुवालाल चौधरी : बिना तहसीलदार के मौके पर आए आवंटन कैसे हो गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : रेकार्ड से जाहिर है कि वह मौके पर पहुँचा था और अलॉटमेंट किया गया था।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या यह सही है कि आवंटन की तारीख जो प्रोग्राम में दी थी वह नरायना की दी गई लेकिन तहसील में बैठे ५ दिन बाद वह तारीख लगाकर जमीन का आवंटन किया ? सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक ऐसी जानकारी नहीं है फिर भी इस सम्बन्ध में और जांच कर ली जायगी।

श्री दौलतराम (देसूरी) : कौन से सदस्य उपस्थित थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : सदस्य उपस्थित नहीं थे लेकिन प्रार्थना पत्र में सरपंच की रिपोर्ट थी।

श्री दौलतराम (देसूरी) : तहसीलदार अकेला भी आवंटन कर सकता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सभी सदस्यों को सूचना हो जाने के बाद अगर कोई न हो तो तहसीलदार को अधिकार है।

श्री दुर्गालाल बादवार : क्या सरकार ऐसी अलॉटमेंट को उपयुक्त समझती है जो मौके पर जाकर न किया हो और ऑफिस में किया गया हो? क्या सरकार इसको जायज मानेगी?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : ऐसे आवंटन को रद्द किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बैठक की सूचना थी क्या?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें सरपंच की भी अनुमति प्राप्त है और वहां के अलॉटमेंट कमेटी के सदस्यों का भी उसमें है और १०-११-६६ को केवल दो ही दरख्वास्तें पेश हुई हैं। मुझे स्वयं, जब यह प्रश्न आया था, कुछ संदेह हुआ था। इसकी और जांच कर-वाई जायगी।

प्रश्न संख्या २६६

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६७

श्री शीशराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कल्याणमल मीणा !

जहाजपुर क्षेत्र में आवंटित भूमि

२६८. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाज-पुर सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जहाजपुर क्षेत्र में विगत १५ वर्षों में कितनी भूमि आवंटित की गई है और उसमें से कितनी पैमूद की जा चुकी है और कितनी भूमि पैमूद कर कब्जा देना बाकी है?

(२) बाकी भूमि को पैमूद करने में क्यों विलम्ब हो रहा है और कब तक भूमि पैमूद कर कब्जे दे दिये जायेंगे?

(३) क्या जो जमीन पैमूद कर कब्जे दिए गए हैं उनके नियमानुसार पट्टे जारी कर दिए गए हैं?

(४) यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक पट्टे जारी किए जायेंगे?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) तहसील जहाजपुर में गत १५ वर्षों में २४,७३० एकड़ भूमि अलॉट की गई है। इसमें से करीब २४,२२० एकड़ भूमि पैमूद की जा चुकी है और लगभग ५०० एकड़ भूमि पैमूद कर कब्जा देना बाकी है।

(२) तहसील जहाजपुर में गत वर्ष भू-प्रबन्ध का कार्य चल रहा था। इसलिये उस वक्त जो भूमि दर्ज होने से रह गई उसकी पैमूदगी शीघ्र ही कर दी जायेगी।

(३) गत वर्ष भू-प्रबन्ध का कार्य चालू था। इसलिए पैमूदगी होकर अलॉटीज के नाम रेकार्ड में दर्ज हो गई। इसलिए पट्टे जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब जो पैमूदगी होगी उसके पट्टे नियमा-नुसार जारी किये जायेंगे।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री कल्याणमल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन जिन काश्तकारों को अलॉट की गई है, उनके बदले दूसरे आदमियों ने कब्जा कर रखा है, तो क्या सरकार इरादा रखती है कि उन आदमियों को हटा कर सही किसानों को कब्जा दिला दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (बृजसुन्दर शर्मा) : दूसरों ने कब्जा कर लिया है तो उन्होंने कब्जा क्यों करने दिया ? जहां तक नयमों का प्रश्न है, सेटलमेंट के रेकार्ड कम्पलीट होने पर उनके नाम तो दर्ज हो गये। उसके बाद जो किसान पैमूदगी करवा कर नाम दर्ज करा देगा वह हो जायेगा। अब अगर किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है तो उसने कब्जा क्यों होने दिया ?

श्री कल्याणमल : यह जमीन जिन काश्तकारों के नाम अलॉट हो गई उनकी पैमूदगी नहीं की गई और इस वजह से दूसरे आदमियों ने कब्जा कर लिया, तो क्या सरकार उनको जमीन व पिस दिला देगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कब्जा देने के पहले किसी दूसरे आदमी ने कब्जा कर लिया, तो सेक्शन ९१ के तहत कार्यवाही सरकार करेगी।

एक माननीय सदस्य : अगर दूसरे का कब्जा था तो अलॉट कैसे किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य जैसे बता रहे हैं, कब्जा अलॉट होने के बाद किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री लाभचन्द !

रामपुरा से पालड़ी सड़क पर व्यय

२६९. **श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिरोही जिले में रामपुरा से पालड़ी (पीपलकी) जाने वाली सड़क के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि जिस भूमि पर सड़क बनाई गई है वह समतल व सड़क के लिये उपयुक्त पक्की जमीन नहीं थी ?

(३) इस सड़क के निर्माण के लिये कितनी इंच मोटी कंकड़ की परत डाली गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (१) जनवरी १९६८ तक २९,३२३ रुपया व्यय हुआ है।

(२) जमीन समतल व सड़क के उपयुक्त है।

(३) इस सड़क पर ४ से ६ इंच मूरम तथा जहां-जहां पर रोड़ी आसानी से मिल सकती थी, रोड़ी ४ से ६ इंच डाली गई है।

श्री लाभचन्द बैद : वह जमीन पक्की थी या नहीं थी यह मेरा प्रश्न था। वह पक्की थी और सरकार को वहां पर सड़क बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां जरूरत थी दो नदियों पर नाला बनाने की। नाला तो बनाया नहीं और सड़क बनवा दी गई जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। आप कहते हैं कि कन्कड़ डाला गया, लेकिन वहां कोई कन्कड़ नहीं डाला गया। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवायेंगे ?

Page No. 6

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सड़क ६ मील लम्बी है और इस पर २६ हजार रुपये खर्च हुए हैं। जहां-जहां मूडम मिला वहां मूडम डाल दी गई और जहां-जहां कंकड़ मिला है वहां कंकड़ डाल दिया गया।

श्री लाभचन्द वैद : मैं आप से कहता हूं कि रामपुरा से पालड़ी तक कोई कंकड़ नहीं डाला है, और जो नाला बनाना जरूरी था वह तो नहीं बनवाया गया और फिजूल में यह पैसा जाया किया गया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लेकिन यह सड़क तो फैमिन के लिये बनाई गई, तो उसमें तो जितने मजदूरी के लिये आदमी लगाने थे उनको लगा कर काम किया गया। सही माने में सड़क बनाई जाती तब तो बहुत रुपया खर्च होता। यह काम फैमिन के लिये हुआ है। इसके लिये जितना होना चाहिये था उतना बनाया गया और जहां-जहां कंकड़-रोड़ी मिली वहां कंकड़ रोड़ी डाल दी गई।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !! प्रश्नकर्ता !

श्री लाभचन्द वैद : नाले क्यों नहीं बनाये ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जैसा वहां पर फैमिन कमेटी ने तय किया वैसे सड़क बनाई गई।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जब फैमिन में पैसा देना था तो दे देते।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह इक फैमिन कमेटी ने मन्जूर की थी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जी हां, तभी तो काम हुआ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि सड़क वास्तव में नहीं है, केवल कागजों पर है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह सही नहीं है, सड़क सड़क की जगह पर है।

श्री लाभचन्द वैद : वहां नाले क्यों नहीं बनाये गये ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कल्वर्ट प.दि बनाने का काम ज्यादातर पंचायत समिति का होता है।

श्री लाभचन्द वैद : दरअसल में सड़क बनी ही नहीं। आप इसकी जांच करवाइये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर सड़क नहीं बनी है तो जरूर जांच करवायेंगे।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि सड़क बनी है और पैसा खर्च किया गया है और माननीय सदस्य कहते हैं कि सड़क बनी ही नहीं, तो इसको जांच तो कराइये कम से कम।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह आपने कैसे कहा कि सड़क बनी ही नहीं ? सड़क बनी है।

श्री मदनसिंह : इसलिए मैं कहता हूं कि जांच करके पता लगवाइये कि वास्तव में बनी या नहीं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जरूर पता लगायेंगे। इन रुपयों को ऐसे थोड़े ही जाने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

जयपुर-चाकसू तथा जयपुर-टोंक मार्गों पर चलने वाली स्टेशन वैगन्स तथा टेम्पू

२७०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर से चाकसू तक १४ टेम्पू और जयपुर से टोंक तक १ स्टेशन वैगन व टेम्पु चलते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन स्टेशन वैगनों और टेम्पूओं को रोकने के लिये राज्य परिवहन निगम ने एक सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके अधीन थानेदार, सिपाही वगैरह रखे हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त गाड़ियों और टेम्पुओं को उक्त रूट्स पर चलने से क्यों नहीं रोका जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि जितने टेम्पू, स्टेशन वैगन्स चलते हैं वे बड़े-बड़े अधिकारियों के हैं और इस कारण उनका चालान किये जाने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है ?

(४ गाड़ी नं० आर. एस. एल. ४२१५ किसकी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) उक्त मार्ग विशेष पर टेम्पू एवं स्टेशन वैगन को चलने हेतु परमिट जारी नहीं किये हुए हैं। टेम्पू, स्टेशन वैगन को परमिट जारी करने के स्थान से ३० मील अर्द्ध-व्यास की सीमा में चलने हेतु अधिकृत किया गया है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) यह सही नहीं है।

(४) गाडी नम्बर आर. एस. एल. ४२१५ के मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अनुसार श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री राजवीरसिंह, निवासी आदर्शनगर, जयपुर हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इस रूट पर ये टेम्पू आदि नहीं चलते हैं ? जयपुर-कोटा रूट पर ये टेम्पू और स्टेशन वैगन नहीं चलते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर माननीय मंत्री ने दे दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है कि टेम्पू चलते हैं लेकिन ३० माइल के रेडियस के अन्दर तक जिन लोगों को परमिट मिला हुआ है उनके खिलाफ वहां तक तो कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाले टेम्पू और स्टेशन वैगनों का चेकिंग किया जाता है और चेकिंग करने के बाद नियमानुसार चालान भी किये जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : चालान अदालत में होने के बाद भी ये स्टेशन वैगन और टेम्पू इस रूट पर चलते रहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह समस्या, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान व्यापी है और इस समस्या पर विचार करके अभी शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे कि स्टेशन वैगन और टेम्पूज जिनको अभी ३० माइल के रेडियस के अन्दर रन करने का अधिकार है, उनको सीमितके

Page No. 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करके केवल म्युनिसिपल लिमिट्स के अन्दर ही चलने के लिये अधिकृत किया जाय। इस निर्णय को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं और इससे यह जो समस्या नेशनेलाइज्ड रूट्स पर रोडवेज के लिये खड़ी हो गई है वह दूर हो जायेगी। साथ ही साथ इसके लिये आवश्यक अरेंजमेंट्स भी किये हैं कि समय-समय पर चेकिंग होता रहे। समय पर चेकिंग हुआ है। करीब १०-१५ केस ऐसे हैं जो चालान किये गये हैं। यह बात नहीं है कि सरकार इस समस्या की ओर जागरूक नहीं है, सरकार जागरूक है और समस्या को हल करना चाहती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने कर रखी है कि नेशनेलाइज्ड रूट्स पर सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति कर रखी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा विशेष रूट्स पर नहीं है। राजस्थान व्यापी ऐसी योजना बना रहे हैं, उसके तहत कुछ पुलिस के ऑफिसर्स जिनकी तनख्वाह निगम देता है इस बात की जांच-पड़ताल करते रहते हैं, और अगर कोई नियमों के विपरीत जाते हैं तो उनका चालान करते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सच है कि नं० ३ में पुलिस ऑफिसर जो वहां नियुक्त हैं, उनकी खुद की गाड़ी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या कहा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न नं० ३ में गाड़ी बताई गई है क्या वह वहां थानेदार हैं, उनकी पत्नी के नाम से है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये श्री राजवीरसिंह हैं, उनकी पत्नी के नाम से है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये कहां सर्विस में हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे अभी-अभी यह मालूम हुआ है कि ये पुलिस में मुलाजिम हैं और उनकी पत्नी कमलेश कुमारी के नाम से गाड़ी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या वहां जो थानेदार हैं, यह उनकी पत्नी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां। यह उनकी पत्नी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इनका अपॉईन्टमेंट (पोस्टिंग) किस जगह पर किया हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैं आपको जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या यह सही है कि इन टैक्सियों के चलने की वजह से रोड़वेज की आमदनी में कमी होती जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है कि नेशनेलाइज्ड रूट पर टेम्पो या कोई वाहन चलने से आमदनी में फर्क पड़ता है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि नेशनेलाइज्ड रूट पर स्टेशन वैगन का चलना पूर्णतया बन्द कर दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है। ऑर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न !

प्रश्न संख्या २७१

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २७२

श्री हरिवल्भ शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह ।

प्रश्न संख्या २७३

कोतवाली, भरतपुर में मारपीट

२७३. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) [श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ५-५-६७ को कोतवाली, भरतपुर में अपनी गैस लालटेन की चोरी की रिपोर्ट करने के सम्बन्ध में गये हुए श्री जगन्नाथप्रसाद कक्कड़, कृषि विशारद, श्रीनगर अटलबन्द दरवाजा बाहर भरतपुर के साथ श्री गजराजसिंह, सैकन्ड ऑफिसर, कोतवाली, भरतपुर द्वारा मारपीट की गई तथा उन्होंने इसकी शिकायत गृह मंत्री, आई० जी० पुलिस, एस० पी० पुलिस आदि उच्चाधिकारियों से की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि कोतवाली, भरतपुर के उक्त अधिकारी के खिलाफ अधिकतर शराब के नशे में रहने तथा नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने की आम शिकायत है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एस० पी०, भरतपुर अथवा अन्य उच्चाधिकारियों ने क्या कोई कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (१) दिनांक ५-५-६७ को श्री जगन्नाथ कक्कड़ उनके गुमशुदा पेट्रोमिक्स के बाबत इत्तला करने कोतवाली, भरतपुर गये थे। इनके द्वारा दी गई इत्तला पर रपट नं० २२५ दिनांक ५-५-६७ को शाम को ६ बजकर १० मिनट पर दर्ज की गई थी व उस पर उनके दस्तखत भी हैं। इस अवसर पर श्री गजराजसिंह, सैकन्ड अफसर द्वारा मारपीट करने के आरोप बाबत जांच की गई थी जिससे यह आरोप साबित नहीं हुए।

(२) जी नहीं। श्री गजराजसिंह के नशे में धुत रहने और जनता के साथ अभद्र व्यवहार करने बाबत कोई शिकायत नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है कि जांच किसने की ? चोरी सैकन्ड ऑफिसर कोतवाली ने कर ली और जो रिपोर्ट दी गई है वह सही नहीं है।

श्री खेतसिंह : इस मामले में बजट की बहस के दौरान मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दे दिया था कि इसके दुर्व्यवहार के बारे में जांच एस. पी., भरतपुर द्वारा की गई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह सही है कि श्री जगन्नाथ कक्कड़ जिसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके बिना बयान लिये, बिना सबूत मांगे यह जांच चुपचाप हो गई ?

श्री खेतसिंह : जांच तो चुपचाप नहीं हुआ करती है। उनको जरूर पूछा गया होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनसे कब पूछा गया, यह बतायें ?

श्री खेतसिंह : कब पूछा, किस समय पूछा यह इत्तला तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा निवेदन किया कि लास्ट बजट के बहस के दौरान यह जिक्र किया गया था, उस समय यह जांच को गई थी।

श्री रामकिशन (वैर) : यह जांच कैसे हो गई जिसने शिकायत की उससे तो कुछ पूछा ही नहीं गया ?

श्री खेतसिंह : जांच तो जांच के माफिक ही करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया था कि इसकी जांच करवाऊंगा। यह जांच कैसे हो गई, जब श्री जगन्नाथ स्वयं बता रहे हैं कि उनसे इस बात का कोई सबूत देने के लिये ही नहीं कहा गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वे इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, वे कभी झूठ नहीं कहते हैं। और फिर सामान्य तरीके से भरतपुर जैसे शहर में अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो और ठीक तरह से उसकी जांच न हो सके, यह एक दुर्भाग्य की बात है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी प्रश्न सं० १७६, दिनांक १-६-६७ के उत्तर में श्री रामानन्दजी अग्रवाल, सदस्य विधान सभा को जांच करवाने के बारे में कहा गया था, आज भी यही कहते हैं कि जांच की गई है। मेरे पास इस समय जांच की फाइल नहीं है, मैं इसको मंगा लूंगा और अगर एकतरफा कार्यवाही हुई है तो मैं उसको देखूंगा।

श्री रामकिशन : आप कहते हैं कि उसकी जांच कराई गई है और हम कहते हैं कि अभी तक जांच नहीं हुई है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मामला बहुत साधारण है। उन्होंने यह कहा कि जांच की रिपोर्ट मंगा कर देखूंगा। अगर एकतरफा कार्यवाही हुई है और श्री जगन्नाथप्रसाद कक्कड़ के सबूत नहीं हुये हैं तो दुबारा करवाये जायेंगे और इसका पूरा जवाब तलब करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : श्री जगन्नाथप्रसाद कक्कड़ सन् १६२५ से लेकर आज तक एक प्रतिष्ठित समाज-सेवी व्यक्ति हैं। इतने प्रतिष्ठित होने के बाद भी वे कभी आज तक कोई पंच, सरपंच, प्रमुख, प्रधान आदि बनने की इच्छा नहीं रखते हैं। आपके ही कार्यकर्ता हैं, सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं निर्लिप्त कार्यकर्ता हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में भी जब यह हालत है तो मामूली आदमी का क्या ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : क्या यह सही है कि अधिकारी शराब के नशे में बराबर रहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुबारा फिर से दे दिया जाय।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया प्रश्न के खण्ड २ में कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो जनता के द्वारा कम्प्लेन्ट की गई हो।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या सरकार इस जांच को कराने के लिये तैयार है कि वे बराबर शराब के अन्दर रहने के कारण जनता से अभद्र व्यवहार करते हैं ?

Page No. 11

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री जगन्नाथप्रसाद कक्कड़ ने एक पर्सनल लैटर माननीय गृह मंत्री को लिखा है और उसमें उन्होंने यह लिखा है कि जांच नहीं हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। लिखा है।

प्रश्न संख्या २७४

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकुमार !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसकी दुबारा जांच करवाने का आदेश देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास : दुबारा करवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकुमार !

चित्तौड़गढ़ होस्पिटल में एक्स-रे की मशीन

२७५. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़गढ़ होस्पिटल में एक्स-रे की मशीन लगी हुई है ? यदि हां, तो इस मशीन से एक्स-रे लेने के लिये किस एक्सपर्ट व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है ?

(२) क्या यह सत्य है कि यह एक्स-रे मशीन इस समय खराब हालत में है ? यदि हां, तो इस मशीन में क्या खराबी है और यह मशीन किन कारणों से खराब हुई है ?

(३) क्या सरकार इसे ठीक कराना आवश्यक नहीं समझती है ? यदि आवश्यक समझती है तो अब तक क्यों नहीं इसे ठीक किया गया है ?

(४) क्या इस अस्पताल का एक्सटेन्शन किये जाने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(५) चित्तौड़गढ़ अस्पताल में कितने डॉक्टर व कितने कम्पाउन्डर्स की स्वीकृति (स्ट्रेंग्थ) है तथा इस समय वहां कितने हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, एक्स-रे डॉ० बी० पी० माथुर स्वयं लेते हैं और उनकी मदद श्री लक्ष्मीनारायण कम्पाउन्डर ग्रेड द्वितीय करते हैं, जो कि ट्रेन्ड एक्स-रे टेक्निशियन हैं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(४) धनाभाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(५) चित्तौड़गढ़ अस्पताल के लिये निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत है तथा कार्य कर रहा है :—

	स्वीकृत स्टाफ	मौजूदा स्टाफ
१. डॉक्टर	२	१
२. कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम	३	३
३. कम्पाउन्डर ग्रेड तृतीय	३	३

Page No. 12

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ अस्पताल में परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत स्टेटिक स्टरलाईजेशन यूनिट है जिसमें निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत है:—

	स्वीकृत स्टाफ	मौजूदा स्टाफ
१. डॉक्टर	१	१
२. स्टाफ नर्स	१	१
३. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	२	२

श्री रामकुमार नन्दवाना : प्रश्न २ में मैंने पूछा था कि क्या मशीन खराब थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा है कि क्या इस समय खराब हालत में है ? अगर है, तो उस मशीन में क्या खराबी है ? इसका उत्तर मैंने दिया है 'जी नहीं।'

श्री रामकुमार नन्दवाना : पिछली साल पांच महीने बन्द रही क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछली साल की बात मालूम नहीं, इस समय का जवाब मैंने दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क !

प्रश्न संख्या २७६

मामासो बहुधन्धी सहकारी समिति लि०, नागौर में बकाया ऋण

२७६. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मामासी बहुधन्धी सहकारी समिति, जि० नागौर में को-ऑपरेटिव बैंक, नागौर का ऋण बकाया है ? यदि हां, तो कितना और कब का दिया हुआ तथा वह कब देय हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त समिति को लिक्विडेशन में लाया गया है ? यदि हां, तो कब और लिक्विडेटर कब कौन-कौन नियुक्त हुये थे, और उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि बकाया राशि की वसूली के लिये जो भी कार्यवाही चालू होती है वह बार-बार अनियमित रूप से स्थगित कर दी जाती है ? यदि हां तो कब-कब किस-किस अधिकारी ने स्टे ऑर्डर दिया ?

(४) क्या वसूली करने वाले अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही नहीं करने के कारण ही आज तक वसूली नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(५) वसूली के लिये आज तक किये हुए प्रयत्नों का विवरण संक्षिप्त रूप में बताने की कृपा करें।

सहकारिता मंत्री (श्री शोभाराम) : (१) जी हां, समिति को बैंक द्वारा दिनांक ३-११-५५ को ५,४०० रु० व दिनांक ४-१२-५५ को १,७०० रु० ऋण दिया था, जो एक साल बाद देय था। अब समिति पर बैंक का ५,१५० रु० ऋण देना बकाया है।

(श्री शोभाराम)

(२) जी हां, समिति को दिनांक २१-११-५८ को अवसायन में लाया गया। समिति के निम्नलिखित अवसायक रहे :—

१. निरीक्षक, सहकारी समितियां, डीडवाना दिनांक २१-११-५८ से १४-५-५९ तक।

२. निरीक्षक, सहकारी समितियां, लाडनूं दिनांक १५-५-५९ से १६-५-६१ तक।

३. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी, समितियां, नागौर दिनांक २०-५-६१ से।

अवसायकों द्वारा की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

निरीक्षक, सहकारी समितियां, डीडवाना समिति के पदाधिकारियों से रिकार्ड प्राप्त करने के लिये पत्र-व्यवहार करते रहे लेकिन वे रिकार्ड प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद दिनांक २४-५-५९ को समिति का रिकार्ड प्राप्त किया और समिति का ऑडिट करवाया। इसके बाद लेनदारी व देनदारी का ब्यौरा तैयार करके श्री चैनदास, चतराराम व पूर्णाराम के विरुद्ध बकाया रकम की वसूली के लिये नोटिस दिए।

इसके बाद सहायक रजिस्ट्रार ने समिति की मोटर अपने कब्जे में लेकर १,८०० रु० में नीलाम की तथा १,७०० रुपये ऋण पेटे बैंक में जमा करवाये। सदस्यों को घाटे के बटवारे के लिये प्रत्येक सदस्य को ७० रु० ४४ पैसे का नोटिस दिया। इस पर एक सदस्य ने ७० रु० ४४ पैसे जमा करवाये परन्तु श्री चैनदास के यह वायदा करने पर कि समिति को हानि उनकी वजह से हुई है, हानि की रकम उनकी जायदाद से वसूल की जावे। अन्य सदस्यों से वसूली नहीं की गई। श्री चैनदास की मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री सुखदेव - दीपंकर के खिलाफ ५,८१० रु० ४४ पैसे की वसूली का प्रमाण-पत्र जिलाधीश, नागौर को अर्द्ध-शासकीय पत्र के साथ दिनांक २२-६-६३ को गया, जो जिलाधीश ने उप-जिलाधीश, डीडवाना को वसूली के लिये भेजा और बार-बार सहायक रजिस्ट्रार द्वारा स्मरण करवाया जाता रहा। दिनांक १०-८-६६ को सहायक रजिस्ट्रार ने बिक्री अधिकारी को उप-जिलाधीश से कागजात प्राप्त करके वसूली करने के लिये आदेश दिये।

(३) सहकारी विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही नहीं रोकी गई। परन्तु बिक्री अधिकारी को तहसीलदार, लाडनूं का पत्र मिला कि उप-जिलाधीश, डीडवाना ने तहसीलदार को टेलीफोन पर जो रकम वसूली के लिये निलामी हो रही थी उसे दिनांक १०-१-६७ को रोक देने के लिये कहा व मय कागजात के उनकी अदालत में उपस्थित होने के लिये कहा। इस पर बिक्री अधिकारी ने उप-जिलाधीश की कोर्ट में कागजात दिनांक ११-१-६७ को पेश कर दिये और कार्यवाही रुकी रही। इसके बाद दिनांक २२-११-६७ को उप-जिलाधीश, डीडवाना ने मिसल पर नीलामी के आदेश तहसीलदार, लाडनूं को दिये।

(४) विभाग द्वारा वसूली के तकाजे हमेशा ही किये जाते रहे लेकिन उप-जिलाधीश, डीडवाना के यहां कुछ विलम्ब हुआ है जिसका कारण सन् ६३-६४ व ६४-६५ में अकाल होना भी है परन्तु अब दिनांक २२-११-६७

(श्री शोभाराम)

को उन्होंने नीलामी के आदेश तहसीलदार को दे दिये हैं।

(५) समिति का ट्रक १,८०० रु० में नीलाम किया। ७० रु० ४० पै० एक सदस्य से वसूल किये। श्री पूर्णाराम ने १२० रु० जमा करवाये। श्री चैनदास की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही की गई लेकिन उप-जिलाधीश, डीडवाना के आदेश जरिये तहसीलदार, लाडनूं दिनांक १०-१-६७ को प्राप्त होने पर रोक दी गई। उप-जिलाधीश ने दिनांक २२-११-६७ को तहसीलदार, लाडनूं के नाम वसूली के आदेश दे दिए हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि बिक्री-कर अधिकारी नीलामी कर रहा था वह अभी तक कुर्क में है ?

श्री शोभाराम : नहीं, ऐसा है कि २२-११-६७ को नीलाम की कार्यवाही चल रही थी वह २२-११-६७ को ही डीडवाना के जिलाधीश के ऑर्डर के जरिये रोक दी गई। लेकिन अब वह नीलामी की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नीलामी की कार्यवाही रद्द की है, कुर्की के ऑर्डर तो कैन्सिल नहीं किये ?

श्री शोभाराम : मैं आप से निवेदन करूं पहले अटेचमेन्ट की कार्यवाही होती है उसके बाद नीलामी होती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी तक संपत्ति का अटेचमेन्ट है क्या ?

श्री शोभाराम : २२-११-६७ को पहले अटेचमेन्ट की गई, जनवरी-६७ में रोकी गई। अब फिर २२-३-६७ से नीलामी की कार्यवाही चल रही है।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : कुर्क की गई उसके आदेश रद्द किये गये थे क्या ?

श्री शोभाराम : अटेचमेन्ट की कार्यवाही के बाद ही नीलामी की कार्यवाही होती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अटेचमेंट के बाद नीलामी की कार्यवाही की लेकिन एस० डी० एम० के आदेश से जो नीलामी रोकी गई उसमें कुर्की को भी रोक दिया था क्या ?

श्री शोभाराम : जिलाधीश ने नोटिस दिया कि जो नीलामी की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जा रही है उसकी तमाम को मिसल भेज दी जाय। फिलहाल जब तक दूसरा आदेश न दें, नीलामी की कार्यवाही रोकी गई।

श्री हरजीराम बुरड़क : नीलामी के साथ-साथ क्या कुर्की की कार्यवाही भी रोकी गई ?

श्री शोभाराम : कुर्की के बाद ही नीलामी की कार्यवाही होती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या सामान जो कुर्क किया हुआ है वह अपने कब्जे में है ?

श्री शोभाराम : २२ नवम्बर के बाद आदेश नीलामी के दे दिये गये तहसीलदार को।

श्री रामसिंह कुड़ी : एस० डी० ओ० ने किस कानून के तहत कार्यवाही की ?

श्री शोभाराम : उप-जिलाधीश कार्यवाही कर रहे थे बहैसियत कोर्ट कर रहे थे।

श्री रामसिंह कुड़ी : कोर्ट ने क्या क्रिमीनल कोर्ट की हैसियत से यह कार्यवाही की ?

श्री शोभाराम : रेवेन्यू कोर्ट की हैसियत से कार्य किया। उसके अलावा ६३-६४ और ६४-६५ में अकाल पड़ा इसलिये नीलाम नहीं किया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : जिन सालों में अकाल बताया गया क्या उन सालों में वे स्थान अकालग्रस्त थे ?

श्री शोभाराम : यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उप-जिलाधीश, डीडवाना के यहां प्रार्थना-पत्र आया कि हमारे यहां अकाल हो गया है अतः इसको रोक दिया जाय। उस प्रार्थना-पत्र पर एस० डी० एम० ने गौर किया या नहीं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन प्रार्थियों ने लिखा था इसलिये रोक दिया जाय क्योंकि अकाल रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क : जब कि सहकारी विभाग की ओर से कार्यवाही चल रही थी उसमें एस० डी० ओ० को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार था ?

श्री शोभाराम : क्योंकि तहसीलदार एस० डी० ओ० के नीचे काम करता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : सेल ऑफिसर, सहकारी विभाग द्वारा कार्यवाही हो रही है उसको रोकने का अधिकार एस० डी० ओ० को नहीं था।

श्री शोभाराम : एस० डी० ओ० को अधिकार था या नहीं यह मैं नहीं कहता लेकिन उन्होंने आदेश तहसीलदार को दे दिये हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : एस० डी० ओ० को सहकारी विभाग के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार था ?

श्री शोभाराम : मैं माननीय सदस्य से अर्ज करता हूं कि एस० डी० ओ० की कार्यवाही लीगल है या इल्लीगल यह को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के देखने का कार्य नहीं है। उसने कानूनी या गैर-कानूनी कार्यवाही की इससे सहकारी विभाग का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : आप एक चीज स्पष्ट कर दें कि आपके को-ऑपरेटिव विभाग के अधिकारी ने सामान कुर्क किया, सामान कुर्क करने के बाद में उस सामान को कुर्क करने के आदेश कैंसिल किये तो एस० डी० ओ० ने नीलाम रोकने के आदेश कैसे किये ?

श्री शोभाराम : जब अटेचमेन्ट की कार्यवाही के लिये एक अधिकारी को लिखा जाता है तो शुरू में क्या होता है कि वसूली का सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। इसके बाद में दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और जब नीलामी की कार्यवाही होती है, मैं आपको अर्ज करूं कि तहसीलदार को वह अधिकार दिये जाते हैं और तहसीलदार नीलामी की कार्यवाही करता है।

श्री विजयसिंह रावत : इस प्रश्न का आशय यही है......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! इस पर काफी चर्चा हो गई, अगला प्रश्न लिया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि यही व्यक्ति मार्केटिंग सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न—श्री पृथ्वीसिंह।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग प्रश्न नहीं है। क्या वही व्यक्ति मार्केटिंग सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा ३४ (४) के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का देनदार होने के बाद किसी पद पर नहीं चुना जा सकता ?

श्री उपाध्यक्ष : वह जानकारी सदन के सामने नहीं है। कृपया इसके लिये अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : देनदार होने के बाद भी उसको अध्यक्ष चुना गया .....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या मन्त्री महोदय इससे सहमत हैं कि यह मार्केटिंग सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रामसिंह कुड़ी : इस नीलामी की कार्यवाही को कितने दिन में बन्द कर दिया गया ?

श्री शोभाराम : सहकारी विभाग से तहसीलदार को पत्र लिखवा दिया गया कि जल्दी से जल्दी नीलामी की कार्यवाही समाप्त की जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी नियमों में दिया हुआ है कि जो सदस्य चुना हुआ हो उसके तरफ कुछ ड्यूज़ हों और वसूली करने के बाद भी उसने अदा नहीं किये तो वह डिफाल्टर हो जाता है और डिपार्टमेन्ट को एक्शन लेकर निरस्त कर देना चाहिये। इस तरह की बात यदि माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में आये तो यह तो आश्वासन दें कि उसकी तरफ पेमेन्ट ड्यू होगा और नहीं दिया होगा तो उस नियम के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। यह आश्वासन तो आपको देना चाहिये।

श्री शोभाराम : निरस्त करने का अलग प्रॉवीजन है। माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अलग प्रावधान है। मैं यह कह सकता हूं कि जो २२ नवम्बर को नीलामी की कार्यवाही पर रोक लगाई थी वह हट गयी। अब भी कार्यवाही इसलिये हुई है कि रकम बकाया थी वह वसूल हो जाये उसके लिये मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वह कार्यवाही जितना जल्दी से जल्दी काम हो सकता है वह कार्यवाही पूरी हो और नीलामी की कार्यवाही समाप्त की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कहना यह है कि वह डिफाल्टर है और मार्केटिंग सोसाइटी का अध्यक्ष है। डिफाल्टर मार्केटिंग सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं रह सके, आपकी जानकारी में यह आ गया तो क्या आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री शोभाराम : यह अलग से प्रश्न है। अगर यह कहना चाहते हैं कि वह डिफाल्टर है उसकी मैं जानकारी करूंगा और जानकारी प्राप्त करने के बाद में यह इत्मिनान होगा कि गलत हुआ है तो आवश्यक कार्यवाही करूंगा चाहे वह अध्यक्ष हो या सदस्य हो।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न—श्री पृथ्वीसिंह।

श्री रामसिंह कुड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आप तहसीलदार से जो नीलामी की कार्यवाही करा रहे हैं तो जब आपके पास सैल ऑफिसर हैं और डेप्यूटेशन पर लिये हुए हैं तो आप उनसे क्यों नहीं यह कार्यवाही कराते हैं ?

श्री शोभाराम : मैं आपको बता दूं कि प्रथा दो प्रकार की है। पूरे राजस्थान में कुछ डिवीजनों में सहकारी विभाग ने कुछ तहसीलदारों को प्रतिनियुक्ति पर ले रखा है और अगर मुझे मालूम पड़ा कि वहां पर प्रतिनियुक्ति पर कोई तहसीलदार लिया जा चुका है तो हम यह कर सकते हैं कि आगे की कार्यवाही तहसीलदार से नहीं करा के हमारे विभाग में डेप्यूटेशन पर आये हुए तहसीलदार से करा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री हरजीराम बुरड़क के पूछने पर) : ऑर्डर ! ऑर्डर ! कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा।

अगला प्रश्न—श्री पृथ्वीसिंह !

भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति

२७७. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) [श्री फूलचन्द बाफना, सुमेरपुर द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति का सरकार का कोई विचार है ?

(२) अगर हां, तो सरकार उनकी पदोन्नति किस पद पर करना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) ऐसे कितने भूतपूर्व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं, जिन्हें शिक्षा विभाग से डेप्यूटेशन पर लिया गया था जो बी.ए.-बी.एड. अथवा एम. ए.-बी. एड. हैं और जो काफी सीनियर हैं फिर भी उनकी पदोन्नति शिक्षा विभाग में केवल यह कह कर नहीं की जाती है कि उन्हें टीचिंग का अनुभव नहीं है और उनकी पदोन्नति विकास विभाग में इसलिये नहीं की जाती है कि वहां पर ऐसा प्रावधान नहीं है।

राज्य मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से होने की वजह से शिक्षा मन्त्रीजी अपने टर्न पर उत्तर देंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : कितने दिन में दे दिया जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जेलिया !

घुमक्कड़ जातियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए भूमि का आवंटन

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने घुमक्कड़ जातियों को स्थायी रूप से बसाने एवं उन्हें भूमि आवंटन किए जाने हेतु जिलाधीश महोदयों के नाम एक विज्ञप्ति प्रसारित की ? यदि हां, तो कब ? इस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 18

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

(२) क्या यह सही है कि बंजारों के बीस परिवारों ने तहसील खण्डार (जिला सवाईमाधोपुर) के ग्राम बड़ोद में स्थायी रूप से बसना निश्चय कर करीब ६ वर्ष से अपने झोंपड़े बना लिये और तहसील एवं राजस्व अधिकारियों से कृषि हेतु भूमि आवंटन की योजना की ?

(३) क्या यह सही है कि सरपंच, तहसील एवं एस० डी० ओ० की दो बार सिफारिश के उपरान्त भी जिलाधीश महोदय द्वारा उन्हें वह जमीन नहीं दी गई कि जिसे सन् ६५ में ही स्थानीय एडवाइजरी कमेटी द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी ?

(४) क्या यह सही है कि इस मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप हुआ है जिसका कुप्रभाव जिलाधीश पर भी पड़ा ?

(५) राज्य सरकार इनको स्थायी रूप से बसाने के बारे में अब क्या विचार रखती है और इन्हें भूमि कब तक आवंटित कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) घुमक्कड़ जातियों को स्थायी रूप से बसाने एवं उन्हें भूमि आवंटन किये जाने हेतु कोई विज्ञप्ति प्रसारित नहीं हुई ।

(२) ग्राम बड़ोद, तहसील खंडार में बनजारों के दस परिवारों ने भूमि आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे, जिनमें ९ परिवारों के आवेदन-पत्र चरागाह भूमि आवंटन के थे । तहसील ने उक्त आवेदन-पत्रों में से ९ को चरागाह भूमि होने से दिनांक २०-७-६५ को खारिज कर दिये तथा एक परिवार को ५) बीघा सिवाय चक भूमि आवंटित की गई ।

(३) यह सही है कि इन दस परिवारों ने खसरा नं० १० चरागाह में से १५० बीघा भू-खण्ड को सिवाय चक में बदल कर आवंटन करने का आवेदन-पत्र तहसील में प्रस्तुत किया । सरपंच तथा तहसीलदार खंडार ने यह आवेदन-पत्र अपनी सिफारिश से जिलाधीश, सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत किया । सब-डिवीजनल अधिकारी ने चरागाह में से १५० बीघा भूमि को सिवाय चक में बदलने की तो सिफारिश की किन्तु आवंटन नियमानुसार नये सिरे से करने की राय दी । ग्राम बड़ोद में चरागाह के अतिरिक्त १२२१ बीघा कृषि योग्य सिवाय चक भूमि उपलब्ध होने के कारण जिलाधीश ने चरागाह को आवंटन करना उचित नहीं समझते हुए इन परिवारों को सिवाय चक में से भू-खण्ड आवंटन करने का निर्णय दिया ।

(४) इस मामले में कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ ।

(५) इन परिवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही उपलब्ध सिवाय चक में से आवंटन किया जायेगा

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार ने अब तक कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके द्वारा इन घुमक्कड़ जाति के लोगों को बसाया जाये और उनको जमीन दी जाये ?

श्री गंगाराम चौधरी : जहां तक भूमि आवंटन का प्रश्न है अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया कि इनको प्राथमिकता दी जाये ।

Page No. 19

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी योजना नहीं है कि जिससे घुमक्कड़ जाति को बसाने को कार्यवाही की जाये और जहां तक अलॉटमेन्ट का सवाल है वह तो उस योजना के अन्तर्गत होगी मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इस प्रकार की निश्चित योजना नहीं है। जब इस प्रकार की दरख्वास्तें आती हैं तो उनको इकट्ठा करके एक जगह बसाने की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या कारण है कि जब राज्य सरकार के पास ग्राम बड़ोद के इन घुमक्कड़ जाति के लोगों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया और यह भी राज्य सरकार मानती है कि यह ८-१० परिवार गांव में ६-७ साल से बस रहे हैं तो इनको सिवाय चक की भूमि अलॉट क्यों नहीं की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी सु०) : घुमक्कड़ जाति के लोगों के लिए कोई योजना नहीं है तो क्या मंत्री महोदय मन्त्रिमण्डल में आये हैं उसके बाद नहीं बनी या पहले भी नहीं बनी थी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कोई बारानी जमीन उस गांव में है ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कितनी जमीन ऐसी है इस गांव में जो सिवाय चक की है ?

श्री उपाध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछने से पहले जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है उसको कृपया माननीय सदस्य ध्यान से सुनें उसके बाद में पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उसी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कितनी ऐसी जमीन है जो सिवाय चक की है और अलॉटमेन्ट करने लायक है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : १२२१ बीघा है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा इन्होंने कहा कि ऐसी न तो विज्ञप्ति प्रसारित की गई है न योजना बनाई है तो मैं जानकारी चाहूंगा कि मंत्री महोदय आये हैं मन्त्रिमण्डल में जब से प्रसारित नहीं की या पहले भी नहीं की गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब सूचना ही नहीं है तो कैसी योजना है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने करोड़ों रुपया घुमक्कड़ जाति को बसाने में खर्च किया है और उसमें जमीन देना भी शामिल है। उसके बारे में मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो क्या अब और ऐसी विज्ञप्ति प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारे पास संख्या ही नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : किस बात की संख्या नहीं है। आज भी लाखों घुमक्कड़ जाति के लोग हैं। क्या आपने इनका कभी सर्वे कराया है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर दे दिया गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या सरकार ने सर्वे कराया है कि घुमक्कड़ जाति राजस्थान में नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ! उत्तर मन्त्री महोदय ने दे दिया है। दुबारा देने की जरूरत नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : जिस प्रकार से हर परिवार के पांच-दस आदमी पांच-छः साल से वहां बसे हुए हैं तो क्या यह सही है कि पटवारी और तहसीलदार ने यह लिखा है कि इनको जमीन दिया जाना अनिवार्य है। जानवरों के कम होने के कारण उधर चरागाह अधिक है। उसमें से जमीन दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है माननीय सदस्य को।

श्री लादूराम सुलानिया : इसका उत्तर नहीं दिया। सिवाय चक का उत्तर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने ध्यान से सुना नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या अब इस बारे में फिर से विचार करके मन्त्रिमण्डल में निश्चित करके घुमक्कड़ जाति को जमीन देने का सरकार विचार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बहुत बड़ा सवाल है। घुमक्कड़ जाति से जो लोग गांवों में रहने लग गये उनकी इकॉनामी पर इससे बुरा असर पड़ा है। जैसे गाड़िया लुहार हैं उनको एक जगह बसाने की सरकार ने बहुत कोशिश की, बताया भी, पर इससे उनकी इकॉनोमिक हालत बिगड़ी और फिर वे एक जगह बसने से भी इनकार हो गये। वे जगह-जगह जाकर व्यापार करते हैं और उनकी इकॉनामिक हालत ठीक रहती है, एक जगह रहने से उनकी हालत बिगड़ती है इसलिये वे रह नहीं सकते एक जगह। यह महत्त्वपूर्ण बात है। इन सारी बातों पर विचार करके ही सरकार ने अपनी नीति बनाई है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन करूं कि जैसे मन्त्रीजी ने गाड़िया लुहारों का उदाहरण दिया कि सरकार तो उनको बसाना चाहती थी, पर वे बसे नहीं, उनकी इकॉनामी डिस्टर्ब होती है इसलिये। मैं निवेदन करूं कि वास्तव में तो सरकार ही नहीं बसाना चाहती है। वे तो बसना चाहते हैं। क्या अब भी जो गाड़िया लुहार बसना चाहें उनको बसाने की व्यवस्था के लिये सरकार कोई विज्ञप्ति जारी करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर !

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि मन्त्री महोदय क्या यह महसूस नहीं करते कि वे घूमते हैं और घूमने से उनकी आय काफी है और वे घूमने से खुश हैं तो क्या जहां-जहां जिन गांवों में या कस्बों में वे घूमते हैं वहां उनके लिये धर्मशालाएं बनाने का सरकार इरादा रखती है जहां वे आराम से ठहर सकें ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द !

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : आज से छः वर्ष पहले सरकार ने बनजारों के लिये एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें राजस्व विभाग की ओर से कहा गया था कि जो घुमक्कड़ जाति के लोग स्थाई रूप से एक जगह बसना चाहें तो उनको जमीन के अलॉटमेन्ट में प्राथमिकता दी जावेगी, उनको बसाया जायेगा और एक जगह रहने, बसने और काम करने के लिये परसुएड किया जावेगा। इस पर वहां के एस० डी० ओ०, तहसीलदार वगैरह ने दस परिवारों को, बनजारों के परिवारों को उनका घूमना छुड़ाया और प्लॉट बता दिया जहां जाकर वे बस गये। तीन वर्ष तक वहां वे रहे। एडवाइजरी कमेटी ने अलॉटमेन्ट कर दिया पर बाद में मालूम पड़ा कि वह पाश्चर लैंड का टुकड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि इस इर्रेगुलेरिटी को रेगुलेराइज कर देते हैं। अलॉटमेन्ट तो कर दिया, प्रधान, सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार सभी उसमें थे। एस० डी० ओ० मौके पर भी गया। इसके बाद बाकायदा यह सिफारिश की थी। तीन वर्ष से वे वहां बसे हुए हैं पर अब कहते हैं कि उनको वह भूमि एक्सचेन्ज कर दी जावे और यह सब पोलिटिकल रीजन्स से हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। माननीय उप-मन्त्री के भी ऑर्डर फाइल पर हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटिकल इन्टरफीयरेन्स नहीं किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। ऑर्डर प्लीज !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उनको एप्लीकेशन्स पेश नहीं हुई थीं।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह भाषण है या क्या है ?

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, वे इस प्रश्न को टालना चाहते हैं। उत्तर दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज ! आपने जो प्रश्न पूछा है वह वही प्रश्न है जो प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है और उसका जवाब दे दिया गया है। इससे अगर सन्तोष नहीं है तो जो वस्तुस्थिति है, वह है।

श्री लादूराम सुलानिया : उसका जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया।

श्री लादूराम सुलानिया : उससे हमें सन्तोष नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया। ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह दांता : उनको डाक बंगलों में ठहराया जाया करे। आप यह कह दें।

श्री लादूराम सुलानिया : जवाब दिलाया जावे। लाखों-करोड़ों रुपया घुमक्कड़ जाति के लोगों को बसाने के नाम से केन्द्रीय सरकार से मिला वह खा गये और अब बसाने के लिये कहते हैं तो कहते हैं योजना नहीं है। लाखों-करोड़ों रुपया खा गये। अब तो बसा दो महरबानी करके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या २७९ ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : राजनैतिक हस्तक्षेप इसमें हुआ है उपाध्यक्ष महोदय ! राजनैतिक कारणों से अलॉटमेन्ट नहीं दिया । उन्होंने गलत उत्तर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : गलत उत्तर दिया है तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : इस प्रश्न को स्थगित कर दें । फिर पूछ लें जानकारी और कर लें, अगर आप उचित समझें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्यों ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : गलत जवाब आया है उपाध्यक्ष महोदय !

श्री उपाध्यक्ष : गलत जवाब आया है तो और कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या इसको आधा घण्टे की बहस के लिये रखा जावेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके नियम अलग हैं ।

पेन्शन की मन्जूरी

२७९. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री रामजीलाल, उप-वैद्य, राजकीय औषधालय, अलवर से १९-७-६० को रिटायर कर दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उनकी पेन्शन अभी तक मन्जूर नहीं की गई है ? यदि हां, तो इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होने के कारण विभाग की ओर से उन्हें १०००) रु. कम्पेन्सेटरी पेन्शन के रूप में देने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां तो, इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार से पेन्शन तय करने के लिये कोई अवधि मुकर्रर की हुई है ? यदि हां, तो वह अवधि क्या है ?

(५) क्या सरकार उक्त अवधि के अन्दर केस तय न होने पर किसी पर जिम्मेदारी लागू करती है ? यदि हां, तो क्या इस केस में देरी होने की जिम्मेवारी किसी विशेष अधिकारी की मानती है ?

(६) क्या सरकार पेन्शन के केस में देरी होने की सूरत में कोई अन्तरिम रिलीफ रिटायर्ड कर्मचारी को देने के लिये नियम बनायेगी ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) उनका पेन्शन केस बनाकर सन् ६५ में ही महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान को भेज दिया गया था । परन्तु महालेखाकार ने कुछ आक्षेप उठाये जिनकी पूर्ति पर केस पुनः महालेखाकार को भेज दिया गया है ।

(३) जी नहीं ।

(४) कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।

Page No. 23

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(५) प्रश्न ही नहीं उठता। यथासंभव शीघ्रता की जाती है।

(६) एन्टीसिपेटरी पेन्शन देने का प्रावधान राज्य सेवा नियम में विद्यमान है जिसके लिए जैसी स्थिति होती है, कार्यवाही की जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि उनको पचपन साल की आयु होने से पूर्व ही विभाग की ओर से उम्र की जानकारी नहीं होने से रिटायर कर दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विभाग की गलती के कारण नही। पर उन्होंने स्वयं एक दरख्वास्त पेश की कि मैं पचपन साल का हो गया हूं इसलिये रिटायर कर दिया जाय। स्वयं की इच्छा के अनुसार रिटायर हुए हैं, ऐसी मेरी सूचना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब रिटायर किये गये तो उस समय यह मानकर कि पचपन वर्ष हो गये रिटायर कर दिया गया, उनकी सर्विस बुक से टेली नहीं किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दरअसल उनमें जन्म तिथियां कई तरह की बता रखी हैं। फिर अपने बयान के आधार पर रिटायरमेंट ले लिया। जब रिटायरमेंट ले लिया तो इसके बाद में रिकार्ड पेन्शन का महालेखाकार को भेजा गया तो उन्होंने लिखा कि इसमें तो बहुतसी उमर लिखी है। उनका यह भी ऐतराज था कि जैसा आप ने बताया कि एक साल पहले कैसे रिटायर कर दिया। क्योंकि उसमें कई उमरें लिखी हैं, किसी से एक साल पहले हो जाते हैं, किसी से बराबर हो जाते हैं, किसी से और आगे चले जाते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : तो क्या दस बीस उमरें लिख दी थीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाद में स्वयं ने कहा कि यह मैंने अपनी स्वयं की इच्छा के आधार पर रिटायरमेंट लिया है। मेरे बयानों के आधार पर रिटायरमेंट दिया गया है। इसमें विभाग की कोई गलती नहीं है।

(१२ मध्याह्न)

यह उम्र का डिफरेन्स और ये सारी चीजें होने की वजह से इसमें देरी हुई है। अभी लेटेस्ट इस आक्षेप का प्रत्युत्तर मांगा गया था उसका तो जवाब गया ही है, मगर श्री रामजीलाल ने भी भेजा है उत्तर और अब उसके अन्दर रुकावट नहीं रही है और जल्दी यह मामला समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामजीलाल द्वारा इस नोटिस का उत्तर दिया हुआ है और यह कहा है कि ९-९-४४ को उनकी नियुक्ति हुई थी और उस नियुक्ति होने के वक्त जो डेट ऑफ बर्थ बताई थी वह दुरुस्त है, और खुद सरकार जिस समय नियुक्ति करती है तो डेट ऑफ बर्थ भेजती है तो कई उम्र बार-बार कहां हो सकती है ? शुरू में जो दी है उसको मानकर चलना चाहिए था। उनकी उम्र जो शुरू में ४४ में उनका एपॉइंटमेंट हुआ था उस समय दी गई थी उसको क्यों नहीं माना ? वास्तविकता यह नहीं है, पर यह है कि सरकार के पास से उनकी नियुक्ति के कागजात गुम हो गये और सरकार को कोई कागजात मिले नहीं और अन्दाजे के आधार पर रिटायरमेंट कर दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत तहकीक तौर पर मैंने कहा है, और मेरे इस कथन की पुष्टि इस बात से होती है जो उन्होंने महालेखाकार और डिपार्टमेंट को अभी लिख कर दिया है। उसमें उन्होंने स्वयं ने लिखा है और उनके कथन के आधार पर उनको रिटायरमेन्ट दिया है। अर्ली या लेट जो कुछ भी है अपनी उम्र ५५ साल की हो जाने पर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। इसमें सन्देह करने का प्रश्न नहीं है। डेट में डिफरेन्स क्यों है, तो सर्विस रेकार्ड होता है उसमें विवरण होता है, उसमें दो-तीन तारीखें थीं। एक में १९०५ थी और दूसरी और तीसरी थी इसलिए महालेखाकार ने यह जरूर कहा था कि इस डेट को मानने से एक साल पहले रिटायरमेंट हो जाना जाहिर होता है, तो क्यों रिटायरमेंट किया, और इसके बारे मे वापस....

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह दलिया क्यों दलते हैं ? संक्षेप में जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिख दिया है कि उनका रिटायरमेंट अर्ली नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री रामजीलाल ने विजिलेन्स कमीशन को एक दरख्वास्त दी और विजिलेन्स कमीशन ने निर्देशक, आयुर्वेद औषधालयों को यह लिखा है कि जल्दी ही इस केस का फैसला कर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विजिलेन्स कमीशन को इन्होंने दरख्वास्त दी या नहीं, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन हम स्वयं चाहते हैं कि इस मामले का फैसला जल्दी से जल्दी हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ७ वर्ष हो गये हैं, और विजिलेन्स कमीशन ने ४-११-६५ को निर्देशक को पत्र लिखा है। वह फाइल में होना चाहिए पत्र। उसके बावजूद दो वर्ष और बिता दिये और अभी तक उपाध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ है। इनके और कोई कमाने वाला नहीं है। बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हैं और दो-चार महीने या साल भर के मेहमान होंगे। वे सब एम. एल. एज. जो जिले के हैं उनके पास पहुँच गये हैं। उनकी ऐसी हालत हो गई है कि चल नहीं सकते। सात वर्ष तक उनको पेन्शन नहीं मिल सकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस कठिनाई को महसूस करता हूं। मैंने आज सवेरे ही अधिकारियों से कहा है कि एन्टिसिपेट्री पेन्शन की रकम जो बनती है उसका तत्काल चुकारा उनको कर दिया जाय जिससे आर्थिक कठिनाई उनकी किसी सीमा तक हल हो, और साथ-साथ जो यह इनके पेन्शन के कागज हैं उनमे जो आक्षेप थे उनका उत्तर दिया जा चुका है। इस तरह से इसकी व्यवस्था आज सवेरे कर दी गई है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या उनकी पर्सनल फाइल आप मंगाकर निर्णय ले लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक प्रश्न २८४ जरूरी था...

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मेरा जरूरी प्रश्न रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए बार-बार माननीय सदस्यों के सहयोग की प्रार्थना की जाती है।

Page No. 25

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : २८४ नम्बर का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। उपाध्यक्ष महोदय, डकैत डकैती डाल जायें और वह पुलिस की जानकारी में आ जाय और थानेदार डकैतों से मिल जाय और लम्बी-चौड़ी रकम ले लें। यह बहुत जरूरी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : २८१ नम्बर का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २८५ भी लिया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : छोटा सा प्रश्न मेरा एक ही है। केवल एक मिनिट का है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से इसका सहयोग चाहा कि केवल आवश्यक पूरक प्रश्न पूछे जायं तो सबों का जवाब आ सकता है। प्रश्नों के लिए एक घंटे का समय निर्धारित होता है।

प्रश्न संख्या २८०

श्री विट्ठल भाई !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

मांडलगढ़ उप-जिले को डिस्पेन्सरियों में डॉक्टर

२८१. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मांडलगढ़ उप-जिले में कुल कितनी एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं और उनमें से किन-किन में डॉक्टर हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मांडलगढ़ उप-जिले में ७ डिस्पेन्सरीज क्रमशः मांडलगढ़, बिजोलिया, मोरोलो, काछोला, बीगोद, कोटड़ी और बडछिया-वास हैं, जिनमें से राजकीय अस्पताल मांडलगढ़ व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ी में डाक्टर कार्य कर रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे एक छोटी-सी अर्ज करनी है कि क्या आप यह मानेंगे कि बिजौलिया वह जगह है कि जहां से हिन्दुस्तान की आजादी की मशाल जली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मानते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप यह मानते हैं कि बिजौलिया के आसपास ३० मील तक कोई भी डॉक्टर नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : यह भी मानते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिस बिजौलिया ने आजादी की मशाल जलाई है कृपा करके वहां पर तो डॉक्टर भेज दें और जगह नहीं तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय बिजौलिया को भूले हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल !

जिला डूंगरपुर की गोचर भूमि

२८२. **श्री रतनलाल रौत** (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला डूंगरपुर में कितनी गोचर भूमि है ?

(श्री रतनलाल रौत)

(२) क्या यह सत्य है कि पिछले सेटलमेंट में गांवों के पास पड़त एवं आबादी भूमि को भी गोचर भूमि घोषित किया और इन्हीं कारणों से हजारों किसानों से गोचर भूमि पर काश्त के नाम से भारी जुर्माना वसूल किया जा रहा है ?

(३) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसी पड़त भूमि को, आबादी भूमि को जो भूल से गोचर भूमि घोषित की गई है, वापस छोड़ने की कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जिला डूंगरपुर में २,६५,३४७ बीघा गोचर भूमि छोड़ी गई है।

(२) पिछले सेटलमेंट में गांवों के पास पड़त एवं आबादी भूमि को भी गोचर भूमि घोषित नहीं किया गया है। अतः भारी जुर्माना किसानों से वसूल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रतनलाल रौत : यह मुझे जानकारी है कि गोचर भूमि खलिहान, खड्डे और आबादी के पास जो जमीन होती है उसके पास करार कर दी गई है, और उसके कारण से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने भारी जुर्माना दिया है। इस प्रकार की शिकायतें आपके पास में आई हैं तो क्या इसके बारे में कोई कारगर कार्यवाही करेंगे आप उस भूमि को निकालने के बारे में ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आबादी भूमि और खलिहान वगैरह कन्वर्ट कर दिये गये हैं गोचर में। इन तीन तहसीलों में मवेशियों की संख्या ४,६५,३४५ है और उस हिसाब से जो गोचर भूमि घोषित की गई है, वह २,६५,३४७ बीघा १३२ फीट वाला जरीब से घोषित किया गया है जबकि प्रावधान है कि १६५ फीट वाली जरीब से आधा बीघा प्रति मवेशी को गोचर भूमि चाहिये। उस हिसाब से अभी तक करीब १,०६,६२७ बीघा गोचर भूमि की और आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए खलिहान और आबादी भूमि इसमें आ गई है।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य ने कहा कि अधिक गोचर भूमि घोषित की गई है, यह सही बात नहीं है।

श्री रतनलाल रौत : लेकिन जो पहले गांव थे तो आबादी की भूमि उनके पास में ही थी। सेटलमेंट के समय उस भूमि को गोचर कर दिया गया है। इस कारण से हजारों किसानों पर जुर्माना हुआ है। क्या ऐसी भूमि को निकालने का आप कोई कारगर उपाय करेंगे ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रश्न यह है कि वन विभाग ने डूंगरपुर जिले के अन्दर जहां मवेशी हमेशा से चरते थे वहां चरने का उनको अधिकार दिया गया है, और इसलिये वहां की जनता यह चाहती है कि हमें गोचर भूमि की आवश्यकता नहीं है। पंचायत नहीं तो राज्य सरकार उसको गोचर भूमि में रखने के लिये क्यों प्रेस करती है ?

Page No. 27

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : गोचर भूमि डूंगरपुर जिले में जितनी होनी चाहिये उससे कम है, इसलिये यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है क्योंकि और भूमि नहीं है जितनी है उसमें ही काम चलाया जाय। ऐसा मालूम होता है कि वन विभाग का जो सेटलमेंट हुआ तो गांव के नजदीक उन्होंने पिलर्स लगा दिये हैं उसकी वजह से कोई बात हुई हो तो इसका जवाब वन विभाग से दिया जा सकता है।

श्री रोशनलाल शर्मा : ऐसा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है। मंत्री महोदय का उत्तर एक हद तक पर्याप्त है। वहां पर आबादी की बड़ी भारी समस्या है। भारी आबादी हो रही है। डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन के हिसाब से जमीन कम है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जानकारी करने की चेष्टा करेंगे कि काश्तकारों के सामने जो जटिल समस्या उपस्थित हो गई, बहुतसों पर पेनल्टी हुई है, यदि आप उदारतापूर्वक विचार करेंगे तो उचित होगा। जमीन की समस्या तो है ही किन्तु पेनल्टी की समस्या है उस पर उदारता से विचार करना चाहिये। क्या सरकार जानकारी करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जितनी जानकारी है उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि वहां पर गोचर भूमि की कमी है। जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है। दूसरी वहां पर कृषि योग्य भूमि की भी डूंगरपुर में कमी है। अब कुछ लोगों ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है इसलिये दिक्कत हो रही है। गोचर भूमि से और जमीन निकालें तो पंचायतों को और पंचायत समिति को पूछ कर ही गोचर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो समस्या उत्पन्न है वह बिल्कुल ठीक है कि मंत्री महोदय को हरगिज बाध्य नहीं कर सकते कि गोचर भूमि जो उचित रखी गई है उसको काश्तकारों को आवंटित किया जाय किन्तु जो जमीन काश्तकारों के कब्जे में ३-४ वर्ष से है उस पर पेनल्टी लगा रहे हैं तो यह मेंडकी पर सूई का डाम है। उसकी जानकारी करके पेनल्टी न लगाने के आदेश जारी करेंगे तो उचित होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह उलझी हुई समस्या है। एक तरफ आदेश निकालें ..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका टास्क थैन्कलेस है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि जुर्माना ज्यादा किया है तो देखेंगे। आयन्दा कब्जा छोड़ दें तो जुर्माना नहीं लेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आयन्दा नहीं कब्जा करें इसकी व्यवस्था करें और जो हो गया है उसको रेगुलेराइज, यदि हो सके तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या २८३।

आयुर्वेदिक औषधालय, अलवर

२८३. **श्री गंगासहाय (कठूमर सु०)** [श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) द्वारा पूछा

(श्री गंगासहाय)

गया] : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक प्रधान चिकित्सालय, अलवर में रोगियों की संख्या सन् १९५७ से १९६० तक ११०० से १३०० तक प्रतिदिन रहती थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में रोगियों की संख्या अब २०० प्रतिदिन रहती है ? यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि १९५७ से ६० तक चिकित्सालय में न तो रोगियों के रहने के लिये पर्याप्त मकान की व्यवस्था थी और न भोजन की व्यवस्था थी और केवल ५ रोगी-शय्या थीं फिर भी रोगी संख्या १३ तक रहती थी ?

(४) क्या यह सही है कि अब उक्त चिकित्सालय में रोगी-शय्या संख्या १५ की स्वीकृति है और मकान, भोजन आदि की सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है फिर भी रोगी-शय्या खाली पड़ी रहती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

आयुर्वेद मंत्री की ओर से सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। औसत ४०० से ५५० तक रहती थी।

(२) जी नहीं। प्रतिदिन औसत रोगी संख्या ४०० से ६०० रहती है। अतः गिरावट का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) जी नहीं। ६५ तक वहां कोई आतुरालय (इनडोर वार्ड) नहीं था।

(४) जी नहीं। १९६६ से ५ रोगी-शय्याएं स्वीकृत की जाकर इनडोर वार्ड चालू किया गया है, जिसमें भोजन आदि की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। सभी रोगी-शय्याएं भरी रहती हैं।

श्री लाभचन्द वैद : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वहां से जो संख्या आपके पास आई है वह कंपाउन्डर को दबाकर जबरन दी जाती है, वास्तव में इतनी उपस्थिति नहीं होती, क्या आप इसकी जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो सूचना मेरे पास आई है उसके आधार पर मैं सूचना दे रहा हूं। किसी को दबाकर आंकड़े प्राप्त नहीं किये गये हैं न राज्य सरकार को इसमें दिलचस्पी हो सकती है कि किसी को दबाकर बदले हुए आंकड़े प्राप्त किये जायं।

श्री लाभचन्द वैद : मैं जो कह रहा हूं वह वास्तविकता है। क्या मंत्रीजी जानकारी करायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप लिखित में प्रमाण सहित दें तो छानबीन कर सकता हूं।

श्री लाभचन्द वैद : इसमें प्रमाण की क्या बात है ? आप जानकारी करावें तो पता चल जायगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : एक माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं तो विश्वास करना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप लिखित में दे दीजिये, जानकारी करवा लूंगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या प्रश्न ही काफी नहीं है ?

Page No. 29

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या २८४।

ग्राम नरेना चौथ (थाना डीग) में डकैती

२८४. श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम नरेना चौथ, थाना डीग (भरतपुर) में डकैती पड़ी थी ?

(२) क्या यह सच है कि इस केस की प्रारम्भिक जांच थानेदार डीग द्वारा की गई ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि इस केस की जांच सी. आई. डी., क्राइम ब्रान्च ने अपने हाथ में ली थी ? यदि हां, तो क्या कारण थे ?

(४) क्राइम ब्रान्च के सी. आई. डी. विभाग द्वारा इसकी क्या रिपोर्ट दी गई है ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सच है कि इस डकैती के केस की जांच के दौरान जो एस. एच. ओ., डीग द्वारा की गई, जिन मुल्जिमान के नाम (डकैतों के नाम) गवाहान ने बताये थे, नाम एस. एच. ओ. ने एक पर्चे पर दर्ज कर लिये थे और उनको थानेदार ने १६१ जा. फौ. के बयानों में जानबूझ कर दर्ज नहीं किया ?

(६) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में एस. एच. ओ., डीग के हाथ का एक ब्रीफ नोट (पर्चा) पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(७) क्या यह सच है कि इस डकैती की जांच के दौरान मोहनी नामक एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके अपनी जेल (पुलिस लोकअप) में रखा था ? यदि हां, तो फिर उसको क्यों छोड़ दिया गया और उसकी गिरफ्तारी सम्बन्धी रिकार्ड क्यों समाप्त कर दिया गया ?

(८) सी. आई. डी. की जांच की रिपोर्ट के आधार पर उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(९) क्या सरकार डकैती के केस को जानबूझ कर खराब करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर उनको समुचित दंड देने का विचार रखती है ?

उप-गृह मंत्री (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां, यह सच है कि ग्राम नरेना में दिनांक १० व ११ दिसम्बर, ६६ की बीच की रात को डकैती पड़ी थी।

(२) यह सच है कि प्रारम्भिक जांच थानेदार डीग ने सर्किल ऑफिसर की देख-रेख में शुरू की थी किन्तु किसी व्यक्ति को थानेदार द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में दिनांक २५-१०-६७ को और २३-११-६७ को कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी सूची संलग्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सूची नहीं मिली है।

श्री खेतसिंह : मैं दे दूंगा। मेरे जवाब से ही संतुष्ट हो जायेंगे।

(श्री खेतसिंह)

(३) जी हां, यह सच है कि बाद में तफतीश अतिरिक्त आई. जी. ने अपने हाथ में ले ली। इसका कारण यह था कि ग्राम नरेना चौथ के व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस की तफतीश से संतोष नहीं था।

(४) सी. आई. डी. विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत है।

(मेरे पास है, मैं दे दूंगा)

(५) जी हां, सत्य है।

(६) जी हां, पर्चा पकड़ा गया है जिसके बारे में उचित कार्यवाही हेतु आदेश अधीक्षक, भरतपुर को दे दिये गये है।

(७) यह तथ्य नहीं है। सही यह है कि मोहनी नहीं बल्कि एक गोपी नामक व्यक्ति को वास्ते तफतीश थाने पर बुलाया गया था परन्तु उसकी तफतीश करने के बाद थाने से जाने की इजाजत दे दी गई उसको न तो गिरफ्तार किया गया और न उसकी गिरफ्तारी सम्बन्धी रिकार्ड का समाप्त किया जाना पाया गया।

(८) थानेदार के विरुद्ध उप-महानिरीक्षक खंड (अजमेर), जयपुर ने अधीक्षक, आरक्षी भरतपुर को विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है।

(९) संबंधित थानेदार के विरुद्ध इस गलती के लिये विभागीय कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा सी. आई. डी. की निरीक्षण रिपोर्ट को देखते हुए आदेश जारी कर दिये गये हैं कि उक्त थानेदार को तुरन्त सस्पेन्ड कर दिया जाय और एडीशनल आई. जी. पी. ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ये आदेश कब जारी किये गये?

श्री खेतसिंह : आज ही किये गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात संतोषजनक है कि देर से आये दुरुस्त आये। क्या यह बतायेंगे कि जब पुराना पर्चा पकड़ा गया और मुल्जिमान के साथ कंप्लेसिटी पकड़ी गई तो उस वक्त उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया?

श्री खेतसिंह : पुलिस अधिकारियों ने उस वक्त यही उचित समझा कि पहले विभागीय जांच करवाई जाय और प्राइमाफेसी केस बने तो आगे कार्यवाही की जाय।

श्री रामकिशन : आपके डी. आई. जी. की तरफ से आदेश दिये गये कि विभागीय जांच करवाई जाय उस समय ही उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया?

गृह-मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में अब तक जो कार्यवाही हुई है वह उन्होंने बतला दी। सवाल का जवाब जब आया तो उसको देख कर इन्होंने कहा कि सब-इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड करके जांच करवाई जाय। एडीशनल आई. जी. पी. को इसके लिये मुकर्रर किया। ग्राउन्ड देख कर तो वह सजा पाने योग्य है इसलिये सबसे सीनियर आदमी को मुकर्रर किया। अब सवाल यह आया कि उसको पहले क्यों नहीं सस्पेन्ड किया। डी. आई. जी. ने एस. पी. को जांच करने के लिये मुकर्रर किया। यह सही है कि पहले डिपार्टमेन्टल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इन्क्वायरी होती है और उसमें प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है तो आगे कार्यवाही नहीं की जाती इसलिये वे आदेश अपने स्थान पर ठीक हैं। क्योंकि यह मामला गंभीर था और गंभीर मामले में सख्त कार्यवाही करनी चाहिये इसलिये अब उसको सस्पेन्ड कर दिया है और मामला एडीशनल डी. आई. जी. को सौंप दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर बहुत संतोषजनक है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस मामले में १९,००० रु० तो रिश्वत के गये हैं, एक तो यह जांच करा लें....

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच के दौरान सब आप बातें रख सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जांच में मेरा सहयोग ले लें। दूसरे यह जांच करा लें कि डकैतों से मिल कर राजाखेड़ा में मंदिर बनवाया गया है, कैसे-कैसे उपचार कराये हैं, यह भी जांच करालें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूराम आर्य !

ग्राम पंचायत, बिलाड़ा के भूतपूर्व सरपंच को सड़क निर्माण के लिये दी गई रकम

२८५. **श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, बिलाड़ा को पंचायत समिति, बिलाड़ा द्वारा सड़क निर्माण हेतु ४,००० रु० (चार हजार) की राशि दी गई थी ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त राशि उक्त भूतपूर्व सरपंच ने गलत तरीके से पंचायत को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बिना काम किये ही ठेकेदार को अग्रिम दे दी ? क्या यह भी सही है कि काम अभी तक नहीं किया गया है ?

(३) क्या यह भी सच है कि पंचायत द्वारा बार-बार लिखा जाने पर भी जिलाधीश, जोधपुर ने इस दिशा में कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं की है ?

(४) क्या यह भी सच है कि न तो ठेकेदार से कोई काम कराने का समय ही निर्धारित किया गया था और न काम का कोई तखमीना ही बनाया गया था ?

(५) क्या सरकार उक्त राशि मय ब्याज उक्त सरपंच से वसूल करना चाहती है ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) केवल ३,९०० रु० की राशि दी गई थी।

(२) धनराशि ठेकेदार को अग्रिम दे दी गई और कार्य अब तक नहीं हुआ।

(३) जी नहीं। प्रारम्भिक जांच की है।

(४) जी हां। ऐसा आरोप है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(५) जांच पूर्ण होने के पश्चात् रकम वसूली के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

श्री रामनारायण (मंडावा) : क्या यह सही है कि सरपंच ने रुपये का गबन कर दिया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : जांच हो रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री रामनारायण देवपुरा : जांच किसके द्वारा कराई जा रही है?

श्री हीरालाल देवपुरा : धारा १७ (४) के तहत विभागीय जांच का जो प्रोविजन है, उसके अन्तर्गत जांच कराई जा रही है।

श्री रामनारायण : मामला महत्वपूर्ण है, जांच के लिये आपने कितनी मियाद निर्धारित की है?

श्री हीरालाल देवपुरा : ६-१-६८ को उप-जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी मुर्करर कर दिया गया है, वह जांच करके रिपोर्ट करेगा। इसमें मियाद निर्धारित करने का तो सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण : क्या यह सही है कि यह पैसा एकमुश्त दिया गया?

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, अलग-अलग दिया।

श्री रामनारायण : पंचायत समिति से अलग-अलग मिला तो क्या ओवरसीयर का सर्टिफिकेट आ गया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : काम नहीं हुआ है तो सर्टिफिकेट कैसे आता?

श्री रामनारायण : अलग-अलग पैसा कैसे दिया?

श्री उपाध्यक्ष : जांच से सब मालूम हो जायगा। यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। समय काफी हो गया है।

नेक्स्ट!

श्री रामनारायण : क्या पंचायत की स्थाई समिति द्वारा यह पैसा खर्च किया गया?

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा!

बूंदी राज्य परिवहन के स्टेन्ड पर यात्रियों का विश्राम-गृह

२८६. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) [श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी राज्य परिवहन के स्टेन्ड पर यात्रियों का विश्राम-गृह अभी भी कृषि विभाग द्वारा खाली नहीं किया गया है?

(२) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम ने पुराने बूंदी ट्रान्सपोर्ट का स्टेन्ड खरीदा है? यदि हां, तो कृषि विभाग ने उस इमारत को खाली क्यों नहीं किया है?

(३) क्या यह सत्य है कि पहले बूंदी ट्राम्स्पोर्ट के जमाने में उक्त स्टेन्ड पर

Page No. 33

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

टेलीफोन की व्यवस्था थी ? यदि हां, तो क्या टेलीफोन फिर से लगवाना सरकार जरूरी नहीं समझती ?

(४) क्या चेयरमैन, राज्य पथ-परिवहन निगम ने इस स्टेंड को खरीदने से पूर्व या खरीदने के बाद इसका निरीक्षण कभी किया था ?

(५) इसकी खरीद में कितना रुपया खर्च हुआ और क्या रकम का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां तो कब ?

यातायात मंत्री की अनुपस्थिति में सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, यह सही है।

(२) जी हां, स्थानाभाव के कारण कृषि विभाग द्वारा इस इमारत को खाली नहीं किया गया है। इसे शीघ्र खाली कराने के प्रयत्न जिलाधीश, बूंदी के द्वारा किये जा रहे हैं।

(३) जी हां, टेलीफोन की व्यवस्था अभी भी है।

(४) जी हां, अध्यक्ष, राजस्थान पथ-परिवहन निगम ने इस स्टेन्ड का जनवरी, १९६७ एवम् सितम्बर, १९६७ के बीच चार बार निरीक्षण किया।

(५) इस भवन एवं जमीन की कीमत आंकने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा हुआ है और अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

श्री महेन्द्रसिंह : प्रश्न नं० ४ का उत्तर आपने क्या दिया ? सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न के भाग ४ का उत्तर दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, अध्यक्ष, राजस्थान पथ-परिवहन निगम ने इस स्टेन्ड का जनवरी, १९६७ एवं सितम्बर, १९६७ के बीच चार बार निरीक्षण किया।

श्री महेन्द्रसिंह : कब तक तखमीना बन जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें विशेष दिलचस्पी की बात नहीं है। यह तो बुक एड्जस्टमेंट है, किसी दूसरे आदमी को तो मिलना नहीं है कुछ भी।

श्री महेन्द्रसिंह : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कब तक खाली करा दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दिया गया है न कि शीघ्र ही खाली करा दिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा २६१ नं० का प्रश्न रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है, दुबारा नहीं लेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो मेरे इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय पर आना चाहिये था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : २६१ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, इसे लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आने दें।

स्थगित प्रश्न
(२४-१-६८)

कोटा-जयपुर रूट पर बस नं० आर. एस. एल. १८२४ में अधिक सवारियों आदि के मामले

८८. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अबलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दि. १२-६-६७ को कोटा से जयपुर चलने वाली आर. एस. एल. १८२४ बस जो कोटा से ५-३० बजे सायंकाल चली थी, ५५ सीटर होते हुए भी ६५ सवारियों से ओवरलोड थी ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उस दिन एक यात्री गर्मी के कारण बेहोश हो गया था और सभी यात्रियों के चिल्लाने पर भी ड्राइवर व कन्डक्टर ने बस को रोका नहीं था ?

(३) क्या यह भी सही है कि ओवर-लोड ६५ सवारी वाली बस में टिकिट केवल ४० सवारियों के ही बनाये गये थे और बाकी यात्रियों से पैसे ले लिये थे और टिकिट नहीं दिये गये थे ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त बस में जेठमल आत्मज कजोड़ नाम का वेकड़ी निवासी व्यक्ति कोटा से देवली तक यात्रा कर रहा था और उनसे कन्डक्टर नन्दलाल जैन ने १०) रु० २ सवारियों के लिये थे किन्तु टिकिट नहीं दिया था ?

(५) क्या यह भी सही है कि यात्रियों के बूंदी शहर में जोर-जोर से चिल्लाने पर एवं कोतवाल बूंदी के कहने पर भी उक्त गाड़ी को नहीं रोका गया था ?

(६) क्या उक्त ड्राइवर-कन्डक्टर के खिलाफ कोतवाली बूंदी में मोटर विहिकल्स एक्ट तथा ४०६ कॉरपोरेशन के धन के गबन व आरोप में कोई केस रजिस्टर किया गया है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां, यह बात इस अन्तर के साथ सत्य है कि बस आर. एस. एल. १८२४ जो कोटा से दि० १२-६-६७ को जयपुर आ रही थी उसमें ५५ सवारियों की जगह ७३ सवारियां बैठाई हुई थीं न कि ६५ सवारियां। यह बूंदी के पास चैकिंग पर पाया गया था।

श्री विट्ठलप्रसाद : कितनी सवारियां ?

श्री खेतसिंह : ७३ सवारीज।

श्री रामकिशन : अंग्रेजी का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं खेतसिंहजी !

श्री खेतसिंह : Seventy three passengers were there.

(२) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(३) ओवरलोड सवारी वाली बस के ५८।। सवारियों के टिकिट मोटर स्टेन्ड से कटे हुए थे व ७ सवारियों के टिकिट रास्ते में काटे गये थे। बाकी ओवरलोड की सवारियां बस से उतार दी थीं। उन्होंने न तो कन्डक्टर को कोई किराये के पैसे दिये और न उनको बस में बाद में बैठाया गया।

(४) ऐसी कोई शिकायत पुलिस को या रोडवेज महकमे को प्राप्त नहीं हुई।

(५) यह सत्य नहीं है। कोतवाली हैड-कॉन्स्टेबल, मदनलाल ने बस को रोकने का इशारा दिया तो बस ड्राइवर ने रोक दी और

Page No. 35

(श्री खेतसिंह)
हैड कॉन्स्टेबल ने बस को चेक किया। जनता द्वारा कहने पर चालक द्वारा बस न रोकने की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।

(६) कोतवाली बूंदी में ड्राइवर श्री किशनचन्द व नन्दलाल कन्डक्टर का चालान धारा २२/११२, ४२/१२१, ६४/१२५, ३८/११२ मोटर विहिकल्स एक्ट व १२१, १८५ मोटर विहिकल रूल साथ में धारा ११२ मोटर विहिकल्स एक्ट के तहत चालान किया गया है। धारा ४०९ ता. हि. का अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि सरकारी धन के गबन की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि कोटा से चलने वाली बसें समय पर कभी भी नहीं चलती हैं ?

श्री खेतसिंह : मैंने कहा कि चालान हो चुका है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : समय पर कोटा से चलने वाली बसें नहीं चलती हैं...

श्री खेतसिंह : आप जरा मुंह को दूर रखें, जोर से बोलिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि कोटा से चलने वाली गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है। यातायात विभाग से पूछिये ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या मोटर विहिकल्स एक्ट के तहत यदि कोई गाड़ी समय पर नहीं चले तो उसका चालान नहीं किया जा सकता, जो आप कहते हैं कि अलग से प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है।

श्री खेतसिंह : यह विधि विभाग से पूछिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : गाड़ी ओवरलोडेड थी या नहीं ?

श्री खेतसिंह : गाड़ी ओवरलोडेड थी, इसी लिये चालान किया है।

एक माननीय सदस्य : चालान तो तब किया जब हमने शिकायत की।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि केकड़ी का एक जेठमल नामक आदमी बस में मौजूद था जिससे कन्डक्टर ने १० रुपये लिये थे पर टिकिट नहीं दिया था ?

श्री खेतसिंह : मैंने इसका जवाब दे दिया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो रोड़वेज कॉरपोरेशन का आदेश है कि पीछे की गाड़ी आये तो उस गाड़ी की सवारियों को उठा ले तो ऐसी हालत में पुलिस ड्राइवर का चालान क्यों करती है ?

श्री खेतसिंह : आप तो पुराने सदस्य हैं, यह प्रश्न आपको यातायात विभाग से पूछना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी हालत में कोई गाड़ी ओवरलोडेड मिल जाय तो क्या चालान किया जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, अब कोई पूरक प्रश्न की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लालच के लिये ओवरलोड करले तो चालान होना चाहिये। किसी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाय और उस हालत में पीछे से आने वाली गाड़ी सवारियों को सहूलियत देने के लिये उठाले और फिर उसका चालान करे यह तो ठीक नहीं है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न २४-१-६८ को ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह प्रश्न होम मिनिस्टर को ट्रान्सफर कर दिया। अब यह कहते हैं कि ट्रान्सपोर्ट का है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा सवाल है।

श्री रामनारायण !

श्री विजयसिंह (मकराना) : यातायात विभाग के मिनिस्टर को किराया लेने तो नहीं जाना पड़ेगा। वह यहीं बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण !

स्थगित प्रश्न

(२९-१-६८)

तहसीलदार, झुंझुनू द्वारा शादी के लिए चीनी के परमिट

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसीलदार, झुंझुनूं द्वारा देहात के लोगों को शादी के लिये ५ किलो चीनी दी जाती रही है जबकि झुंझुनूं कस्बे के लोगों को ३० किलो से लेकर १ बोरी तक के परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह फर्क क्यों रखा गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : तहसीलदार, झुंझुनूं द्वारा देहात के लोगों को ५ किलो से १० किलो तक चीनी के परमिट दिये गये हैं।

कस्बे के लोगों को ५ से २० किलो तक के परमिट दिये गये हैं। यह सही नहीं है कि उन्हीं दिनों ३० किलो से एक बोरी तक के चीनी के परमिट दिये गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह बात सही है कि उन देहातों की चीनी जो कि जिले से बहुत अधिक दूरी के कारण समय पर उठाई नहीं जाती है वह चीनी भी सम्बन्धित अधिकारी स्पेशल परमिट्स के जरिये शहर के लोगों को दे देते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि पहले पुरानी नीति थी, उसमें पहले स्पेशल एलॉटमेंट का प्रोवीजन था और तब इस प्रकार के डाइरेक्शन्स कलेक्टर्स को थे कि उस वक्त जो चीनी बच जाती है वह स्पेशल परमिट से दे देते। १-१२-६७ के बाद, जो जनवरी से नई नीति को लागू किया है, उसके बाद किसी प्रकार का स्पेशल परमिट चाहे कन्फेक्शनर्स का मामला हो, चाहे शादियों का मामला हो या कोई आवश्यकता को देखते हुए चीनी देने का मामला हो, इनके लिए जो पहले परमिट दिये जाते थे वह अब बन्द कर दिये गये हैं और चीनी केवल उपभोक्ताओं को ही दी जायगी।

Page No. 37

श्री केवणलाल : क्या यह सही है कि आपके आदेशानुसार शादियों में केवल ५० किलो तक चीनी दी जायगी, लेकिन आपके आदेशों की कलेक्टर्स और विकास अधिकारियों ने अवहेलना की है और एक-एक बोरी तक चीनी दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जो देहातों के बारे में ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज की व्यवस्था की है, उससे जो गांव बहुत इन्टीरिअर में हैं उनके ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार ने इस तरह के डाइरेक्शन्स कलेक्टर्स को दे दिये हैं कि जो गांव इन्टीरिअर में हैं और जिनका पी० डब्ल्यू० डी० की रेट्स से ज्यादा खर्च आता है परिवहन का, उनमें उन गांवों की लोकल रेट्स को ध्यान मे रखते हुए वह तय करते हैं। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए उसकी कलेक्टर स्वीकृति दे सकता है और इस प्रकार की स्वीकृति की नियमानुकूल जानकारी राज्य सरकार को देनी चाहिए। यह आदेश राज्य सरकार ने कल ही प्रसारित किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : कल प्रसारित किया है...

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके बावजूद भी...

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की ओर देख कर प्रश्न पूछें। आंख मींच कर आसन की अवहेलना नहीं की जा सकती।

श्री रामनारायण चौधरी : इनसे कह रहा था।

श्री रामकिशन (वैर): ध्यानमग्न होकर प्रश्न पूछते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके बावजूद यदि दूरी के कारण पंचायत चीनी उठाने में असमर्थ है तो उन पंचायतों की चीनी स्पेशल परमिट के जरिये दूसरे काम में खर्च नहीं की जायगी और उन पंचायतों में ही पहुँचायी जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई रिटेलर—चाहे वह इन्डीविजुअल हो, व्यापारी हो या सहकारी समिति हो—समय पर चीनी नहीं ले जाता है तो उसके लिए जिले के अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं कि वे उस चीनी का वितरण स्वयं करायें और चीनी को इस प्रकार वितरण करने में मजबूर हैं या असमर्थ पाते हैं तो इस प्रकार की चीनी जिस गांव के लिये थी उसको दूसरे काम के लिए स्पेशल परमिट के द्वारा वितरित नहीं करवा सकते। अगर करते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जब तक राज्य सरकार स्वीकृति नहीं दे तब तक उस गांव की चीनी दूसरे को नहीं देसकते।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दौलतराम सारण !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलवा दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : साढ़े बारह बज गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत हो गया है और माननीय सदस्य भी उपस्थित नहीं है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछेंगे, इसका जवाब दिलवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछे जायंगे, इसका जवाब दे दिया जाय।

राजस्व मंत्री !

स्थगित प्रश्न

(२६-१-६८)

भूमिहीन कृषि मजदूर

१६२. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) [श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितने भूमिहीन कृषि मजदूर हैं ? क्या इसको कोई सर्वे की गई है ? यदि नहीं तो क्यों नही ? यदि की गई तो कब ? किसके द्वारा ? कृपया सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार देने की क्या योजना है ?

(३) कब तक सबको रोजगार दे दिया जायेगा और किस प्रकार ?

(४) क्या कृषि मजदूरों की मजदूरी, छुट्टी, कल्याण, विवाद निपटारा आदि के लिए औद्योगिक मजदूरों की भांति ही कानूनी व्यवस्थाएं हैं ? यदि हैं तो क्या-क्या ? और नहीं तो क्यों नही ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : **(१)** राजस्थान में लगभग २,८४,१८२ भूमिहीन कृषक मजदूर हैं। इसकी अभी तक कोई सर्वे नहीं की गई है। सर्वे करना अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं हो सका है।

(२) कोई क्रमबद्ध योजना नहीं है किन्तु कृषि उत्पादन में वृद्धि और भूमि आवंटन के साथ-साथ मजदूरों की समस्या का भी समाधान होता जा रहा है।

(३) ऊपर बताया गया, समस्या का समाधान हो रहा है।

(४) कृषि मजदूरों के लिए औद्योगिक मजदूरों की तरह कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं है। अभी इतने निजी कृषि फॉर्म राजस्थान में नहीं हैं कि जिनके लिये कानूनी व्यवस्था लागू की जाय।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : यह २,८४,१८२ का आंकड़ा किस आधार पर दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री नहीं होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह फिगर किस आधार पर है ?

श्री उपाध्यक्ष : किस आधार पर है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जो जानकारी अब तक सरसरी तौर पर पटवारियों के माध्यम से प्राप्त की है उसके आधार पर है।

श्री रामकिशन : यह बहुत पुराना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई जांच-पड़ताल, किसी प्रकार की की है ? आखिर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। यह तो अन्डर एस्टीमेट है।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : हो सकता है कि यह अन्डर एस्टीमेट हो। जो दरख्वास्तें एलॉटमेंट के लिए आई हैं. उनके आधार पर जो लिस्टें पटवारियों ने भूमिहीनों की अपने-अपने गांवों में प्रिपेअर करवाई हैं उनके आधार पर यह आंकड़ा दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : राजस्थान में करीब बीस लाख से अधिक भूमिहीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बीस लाख से ज्यादा भूमिहीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : २६१ !

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेन्ट्री नहीं करना है। प्रश्न २७० का उत्तर दिलवा दिया जाय। सप्लीमेन्ट्री नहीं करना है।

श्री उपाध्यक्ष : २६१ ! केवल यही प्रश्न लिया जायगा। इसके बाद में प्रश्न समाप्त होंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : २६१ लिया जायगा तो २७० भी लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष दल के नेता महोदय ने कहा है इसलिए इस प्रश्न को लिया है। वैसे प्रश्न का समय समाप्त हो चुका है।

आसीन्द की जागीर

२६१. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मेवाड़ सरकार के द्वारा आसीन्द की जागीर जब्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि चावड़ीजी आसीन्द की मेन्टीनेन्स के लिये जागीर जब्त करने के एवज में ताजिन्दगी दस हजार रुपया सालाना अलाउन्स मुकर्रर किया था ? इसकी आज्ञा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उक्त सरकार ने मेन्टीनेन्स अलाउन्स मुकर्रर करते वक्त उनकी तमाम प्रोपर्टी उनके फौत हो जाने के बाद सरकार में जब्त होने का आदेश दिया था ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त आदेश में उनको किसी भी शख्स को एडाप्शन में लेने का भी अधिकार नहीं दिया था ?

(५) क्या यह सही है कि मेवाड़ सरकार ने उक्त जागीर के सम्बन्ध में जो आदेश दिये, उनकी पालना राजस्थान सरकार ने नहीं की ?

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

(६) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अब तक स्वर्गीय चावड़ीजी की प्रोपर्टी को अपने कब्जे में नहीं ली ? यदि हां, तो वह प्रोपर्टी अब किसके कब्जे में है तथा सरकार उसको अपने कब्जे में लेने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(७) क्या यह सही है कि चावड़ाजी के फौत हो जाने के बाद मेन्टीनेन्स अलाउन्स व दीगर कोई अलाउन्स का भुगतान किसी और को नहीं किया और न कोई प्रोपर्टी भी किसी को हस्तान्तरित की ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां । क्योंकि मामला भूतपूर्व विलीनीकरण राज्य के समय का है और काफी पुराना है और भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के रिवाज के अनुसार इस प्रकार के ठिकानों की जब्ती के आदेश भूतपूर्व महाराणाओं के निजी रेकॉर्ड मे ही रखे जाते थे, यह रेकार्ड राज्य सरकार को सुपुर्द नहीं किये गये हैं । इसलिये जागीर के खालसा किये जाने के आदेशों की प्रतिलिपि प्रस्तुत नही की जा सकेगी ।

(२) जी हां । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) ऐसे कोई आदेश उपलब्ध नहीं हैं ।

(४) ऐसे कोई आदेश उपलब्ध नहीं हैं और यदि कोई ऐसे आदेश होगे तो वे वहां के रिवाज के मुताबिक भूतपूर्व महाराणा के निजी रेकार्ड में होंगे ।

(५) ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) जी नहीं । यह केवल भूतपूर्व मेवाड़ के आदेशों को देखते हुए विधान के अन्तर्गत दिये गये वैधानिक हकों की जांच करके हो सकेगा ।

(७) जी हां । और न ही कोई प्रोपर्टी उनकी हस्तान्तरित की है ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपने इस प्रश्न के पहले भाग में कहा है कि जागीर की जब्ती होने के कारण आपके पास कोई रेकार्ड नहीं है तो जब कोई रेकार्ड नहीं है तो आपने दस हजार रुपया मेन्टीनेन्स का किस हिसाब से दिया ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : मेन्टीनेन्स के लिये ऑर्डर हैं, तहसील में रुक्का पड़ा है, इसलिये मेन्टीनेन्स उनकी मृत्यु तक दिया जाता रहा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेन्टीनेन्स दिये जाने का सवाल किस बिना पर है ? आया उसके बारे में निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि मेन्टीनेन्स दिया गया या वह जागीर जब्त होने के बाद में मुकर्रर किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह ऑर्डर वहां से जारी हुआ, महकमाखास से, और जब वह आसीन्द के वहां पहुंचा तहसील में तो उस आदेश के अनुसार वह दिया जाता रहा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि जागीर रिजम्प्शन लॉ के तहत यह जब्ती हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कह नहीं सकता ।

Page No. 41

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह छः हजार और दस हजार किस बिना पर जागीरदार की बेवा को देते रहे हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : वह तो मरने को है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो ऑर्डर्स थे, उसके आधार पर मेवाड़ राज्य के जमाने में दिये जाते रहे, उस आधार पर दिये होंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह तो ८० वर्ष की है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा प्रश्न था, उसमें बताया गया है कि किस कानून से जो आसीन्द की जागीर थी, वह संवत् ७६ के पहले जब्त हुई ? क्योंकि रेकार्ड आपके पास है इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जागीर जो जब्त की गई, उसमें कहा गया था कि बेवा के बाद क्योंकि वारिस नहीं है इसलिये सारी जागीर जब्त की जाकर तमाम प्रोपर्टी सरकार के अन्दर रहेगी। उसके बाद में यह दस हजार रुपया मेन्टीनेन्स का ताजिन्दगी मिलता रहा, तो क्या उस ताजिन्दगी के बाद में अब कोई चुकारा कर रहे हैं इसके सम्बन्ध में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक यह ताजिन्दगी का प्रश्न था, तो उसकी जिन्दगी तक हम चुकारा करते रहे। मगर उनकी प्रोपर्टी का कोई और होगा हकदार, गोद लिया हुआ लड़का होगा तो उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर कार्यवाही करेंगे। मैं सदन की जानकारी के लिये जो ऑर्डर उस वक्त का है, वह पढ़ देता हूं।

श्री एकलिंगजी श्री रामजी

हुक्म

हाकिम आसीन्द ने लिखी जावे चावड़ीजी मरजी मिलवा बाबत सबूतां वगैरह नजर कराई सो इसे तो पेरे दरयाफ्त कराई जावेगा और ठिकाने को नामों भी दियायो जावेगो लेकिन फिलहाल रावजी गुजरा मदुसू ६,०००) (छः हजार) ८० साल का हिसाब सूं चढ़िया हुआ दे देवे और आइन्दा भी दे दिया करे और रावजी की बाई के भी रावजी गुजर्या जदु बरवी बेवा या बाबत हुक्म देगा(फटा हुआ) के लिये वारे नूंद बरवी कपड़ा मरच को आन्दा जो देव रिपोर्ट करे सो इसे हुक्म होवेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। पूरा जवाब नहीं आया है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब वह ८० की उम्र में है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे सवाल का जवाब तो आना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : How are you interested ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के पास जितनी सूचना थी वह उन्होंने उपलब्ध कर दी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जागीर की जब्ती के ..

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे निवेदन करना है कि वह अब अस्सी, पिचहत्तर की हैं और वह अब मरने को हैं, ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य क्यों सवाल पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह प्रश्न का जवाब अधूरा है, यह बहुत आवश्यक है। क्या चावड़ीजी के मर जाने के बाद अब भी राज्य सरकार कोई पैसा उनको अदा कर रही है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मर जाने के बाद अदा करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट के आदेश से मुकर्रर किया है, आपने आदेश दिया है, तो अब पैसा अदा नहीं करेंगे किसी को भी ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी आज्ञा से मन्त्री महोदय से मैं एक प्रश्न पूछूंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो क्लेम होगा और अगर वह क्लेम सही माना जायगा तो अदा किया जायगा। अगर क्लेम नहीं माना जायगा तो अदा करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि आसीन्द की जागीर भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के समय में जब्त हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह सवत् १६७६ में जागीर के एवज में ६ हजार सालाना देने का तय हुआ, यह जब्त हुई तब।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय बहुत टैक्टफुल है। माननीय सदस्य ने पूछा वही मैं दोहराऊंगा कि जब्ती का अर्थ क्या है ? जब्ती होने के पश्चात् उसके लिए कोई उत्तराधिकारी होता तो मैन्टीनेन्स दिया जायगा। माजी साहब चावड़ी के प्रति श्रद्धा है, इज्जत है, सहानुभूति है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : देव हो गई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन जब्ती का अर्थ क्या है। जब्ती के पश्चात् मेन्टनेन्स का प्रश्न पैदा होता है जबकि उत्तराधिकारी हो। जब्ती हुई जागीर को, वह कैसी है, वह गलत की गई है क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस वक्त ऑर्डर जारी हुआ उस वक्त स्थिति थी कि जब्त हो गई। इतना कह सकता हूं कि जागीर जब्त हो गई। तो इसको फिर दरयाफ्त कराया जावेगा, ठिकानों के नामो दियो जावेगा, यह इसमें है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : 'नामो दियो जावेगा'—यह कागज रेलेवेन्ट कागज नहीं है। आखिरकार मेवाड़ गवर्नमेंट थी, और इतनी पुरानी रियासत थी, पुरानी जागीर थी तो आखिरकार जब जागीर को एक्वायर किया होगा तो जब्ती की मिसल होगी। वह जब्ती की मिसल कहां है, उसको आप बरामद करायें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने अर्ज किया कि पुराने मेवाड़ के जितने भी ठिकानों को जब्त करने के असली ऑर्डर है वह तो महाराणा साहब के यहां पर हैं, हमारे यहां ट्रान्सफर नहीं हुए। जो रेकार्ड ट्रान्सफर हुआ है उसके आधार पर यह है कि उसके बाद में इसका जानकारी करके दिया जायगा, फिलहाल छः हजार का चलता रहे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक प्रश्न करके मैं समाप्त करता हूं। जो रेकार्ड प्रशासनिक था, वह राज्य ने सब सौंप दिया उत्तराधिकारी सरकार को और जागीर की जब्ती की मिसल अवश्यमेव उत्तराधिकारी सरकार को, अथवा राजस्थान सरकार, जब प्रथम सरकार बनी, तब सुपुर्द किये होंगे। यह मेरी निश्चित धारणा है। मंत्री महोदय का यह कहना कि जागीर जब्त हुई या नहीं हुई, जब्ती का क्या अर्थ है इधर-उधर की चीजें कहना मेरे ख्याल में अनुचित है। आप तो लायक आदमी और अध्ययन करने वाले आदमी हैं, समस्त राजस्थान की जनता जानती है कि आसीन्द जागीर की जब्ती हुई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वैसे मेरी इन्फार्मेशन यह है कि जागीर जब्त हुई है, फिर भी रेकार्ड अवेलेबल होगा तो तलाश करवाने का प्रयत्न करेंगे, उदयपुर में तलाश कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : तब तक इसको स्थगित करने का सवाल...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस स्टेशनों पर टेलीफोन

२६२. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाई माधोपुर जिले के किस-किस पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन लग चुके हैं ?

(२) क्या यह सच है कि गंगापुर पुलिस स्टेशन भी एक इम्पोर्टेन्ट स्टेशन है ? यदि हां, तो उक्त पुलिस स्टेशन पर अभी तक टेलीफोन नहीं लगने के क्या कारण है ?

(३) क्या यह सच है कि एस० डी० ओ० टी०, भरतपुर के यहां से डिमान्ड नोटिस जारी कर दिये जाने पर पैसे जमा नहीं कराये जा रहे हैं और एक इम्पोर्टेन्ट स्टेशन को बिना टेलीफोन रखा जा रहा है ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेवार है ?

उत्तर

(१) सवाई माधोपुर में पुलिस स्टेशन सवाईमाधोपुर, हिन्डौन, गंगापुर में टेलीफोन लगे हुये हैं।

(२) थाना गंगापुर में टेलीफोन लग चुका है।

(३) जी नहीं। एस० डी० ओ० टी०, भरतपुर को रकम का भुगतान किया जाकर टेलीफोन थाना गंगापुर में लगा दिया गया है।

ब्यावर-अजमेर रोड पर मोड़ में ली गई जमीन का मुआवजा

२६६. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) क्या यह सही है कि ब्यावर-अजमेर रोड पर ग्राम मांगलियावास के पास सड़क का मोड़ निकालने का कार्य राहत कार्यों के अन्तर्गत चालू किया जाकर कुछ किसानों के खेतों में से सड़क निकाली गई है ? यदि हां, तो क्या उन किसानों को बिना कोई नोटिस दिये ही कार्य चालू कर दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि जिन खेतों में से यह सड़क निकाली गई उनके मालिकों को अभी तक भूमि का मुआवजा विभाग द्वारा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार की ओर से ऐसे मामलों को निपटाने हेतु कोई नियम है जिसके तहत भूमि का मुआवजा दिये बिना भूमि का कब्जा लेना और कार्य शुरू नहीं करवाने के लिये कोई हिदायत है ? यदि हां, तो फिर इस मामले में इन नियमों को किस अधिकारी ने नजरअंदाज किया ?

(४) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? और ऐसे किसानों के मामलों को निपटाने के लिये कोई समय निर्धारित करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुये नोटिस किसानों को नहीं दिया गया है और न ही मौके पर किसी भी किसान ने काम को रोका है।

(२) जी हां, राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

(३) भूमि अवाप्ती अधिनियम है किन्तु अकाल राहत कार्य होने के नाते राजस्व विभाग एवं फेमीन एडवाइजरी कमेटी के चाहे अनुसार कार्य कराया गया था।

(४) जी नहीं, कार्य कराना आवश्यक था अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। मुआवजा के निपटारे के लिये राजस्व विभाग को याद दिहानी करा दी गई है और ज्योंही अवार्ड प्राप्त हुआ मुआवजा भुगतान करा दिया जावेगा।

अभावग्रस्त ग्रामों में कुंडों का निर्माण कार्य

२६७. श्री शीशराम (सादुलपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर व बाड़मेर के कतिपय अभावग्रस्त गांवों को कुंडों के निर्माण हेतु एक लाख रुपये की धनराशि दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के अभावग्रस्त गांव अमरपुरा, जोधासर, मकड़ासर, भीखनेरा, जैतपुर, सुई आदि गांवों के हरिजन निवासियों के लिये पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तथा उन्हें सवर्णों के व्यक्तिगत साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है ? अगर हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों के हरिजन निवासियों के पेय जल संकट निवारणार्थ कुंडों के निर्माण हेतु कम से कम दस हजार रुपये प्रति गांव की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

(श्री शीशराम)

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में जल प्रदाय व्यवस्था के लिए जिलाधीशजी को अधिकृत कर दिया गया है कि वे सभी प्रभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए पानी के कुए चलवाकर ट्रकों, गाड़ियों आदि से पानी परिवहन करके अथवा अन्य प्रकार से उचित व्यवस्था करें। सहायता विभाग द्वारा हरिजनों के लिए किसी प्रकार की पृथक् व्यवस्था की जाना सम्भव नहीं है।

पाटन-हसामपुर सड़क

२७१. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाटन-हसामपुर रोड की मंजूरी कब हुई ?

(२) क्या इस रोड पर ठेकेदार द्वारा काम चालू किया गया ?

(३) क्या रोड व पत्थर भी इस सड़क पर ठेकेदार द्वारा लगवाया गया ?

(४) अब तक राज्य सरकार का कितना रुपया इस सड़क पर खर्च हो गया ?

(५) अब इस सड़क का काम क्यों बन्द है और कब तक काम चालू करने का सरकार का इरादा है ?

(६) क्या यह सही है कि हसामपुर से पाटन तक सड़क नहीं बनने से बरसात के दिनों में यह रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है और बसें दूसरे मार्ग से आती-जाती हैं, जिससे जनता को बड़ी असुविधा होती है ?

उत्तर

(१) कोटपूतली, डाबला वाया पाटन रोड की स्वीकृति तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जनवरी, १९६८ तक १,८३,२१० रु० व्यय हुआ है।

(५) भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही न होने के कारण काम रुका हुआ है। ज्योंही भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही समाप्त होगी कार्य पुनः आरंभ कराया जावेगा।

(६) जी हां।

कृषि योग्य भू-खण्डों पर अनधिकृत कब्जों के मामले—जिला सवाईमाधोपुर

२७२. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील सवाईमाधोपुर, बोंली एवं खण्डार (जिला सवाईमाधोपुर) के तहसीलदारों द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ. ३ (५०) रेव./बी/६४ दिनांक :-१०-६७ ई. के अधीन कृषि योग्य भू-खण्डों पर अनधिकृत कब्जों की सूची ३१-१०-६७ तक तैयार की जा चुकी थी ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(२) यदि हां, तो उक्त तीनों तहसीलों में से प्रत्येक तहसील में कितने ऐसे मामलों की संख्या है जिन्हें नियमन किया जाना अभीष्ट है ? यदि नहीं तो ये सूचियां क्यों नहीं तैयार की गई और अब कब तक तैयार करली जावेंगी ?

(३) क्या यह सही है कि सूचियां तैयार करने में विलम्ब इसलिये भी हुआ है कि उक्त विज्ञप्ति के कुछ अंश अस्पष्ट हैं और उनके खुलासा किए बगैर इस विज्ञप्ति पर अमल नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो जिन अंशों का जिले के राजस्व अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण अभीष्ट है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या सवाईमाधोपुर जिलाधीश द्वारा उक्त विज्ञप्ति के किन्हीं अस्पष्ट अंशों के विषय में राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण चाहा गया है ? यदि हां, तो कब और क्या ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह सही है कि जिलाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में तहसीलदारों को यह समझाया गया है कि जिस काश्तकार के अनधिकृत कब्जों की जमीन को मिला कर १५ बीघे से अधिक भूमि होती हो तो केवल नियमन इस सीमा तक किया जावे कि उसके पास उसकी खातेदारी की जमीन सहित नियमन करने से १५ बीघे से अधिक न होने पावे ?

(६) क्या राज्य सरकार भी उक्त विज्ञप्ति से यही तात्पर्य रखती है ? और नहीं तो राज्य सरकार का इस विषय में क्या स्पष्टीकरण है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इन तीनों तहसीलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

तहसील सवाईमाधोपुर	१७५६
तहसील बोंली	४५६०
तहसील खण्डार	४१४६

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं। तात्पर्य उक्त विज्ञप्ति में स्पष्ट है।

कस्बा थाना की गुड़ उत्पादक सहकारी समिति

२७४. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील शाहबाद के ग्राम कस्बा थाना में गुड़ उत्पादक सहकारी समिति की स्थापना कब हुई और उसकी सदस्य संख्या कितनी है तथा उसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी को सरकार द्वारा किसी प्रकार का ऋण व अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस मद में कितना-कितना रुपया ऋण व अनुदान के रूप में दिया गया है ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(३) क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी को जिस कार्य के लिये ऋण व अनुदान दिया गया, उसका सही उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो विभाग ने अब तक उसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की ?

(४) उक्त सोसाइटी ने अब तक क्या-क्या कार्य प्रारम्भ किये और सोसाइटी द्वारा किये गये कार्यों से सम्बन्धित क्या-क्या प्रस्ताव पास किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) इस सोसाइटी में कितने मजदूर कार्य करते हैं तथा इसका वैतनिक सचिव कौन है ?

उत्तर

(१) तहसील शाहबाद के ग्राम कस्बा थाना में गुड़ खाण्डसारी उत्पादक सहकारी समिति लि० की स्थापना दिनांक (पंजीयन) १६-११-६२ को हुई। इसकी सदस्य संख्या २० है। पदाधिकारियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट अ)।

(२) उक्त समिति को सरकार द्वारा कोई ऋण व अनुदान नहीं दिया गया है। खादी बोर्ड द्वारा २४,५३७ रु० ५० पैसे ऋण व २,०५० रु० अनुदान दिया गया है।

(३) उक्त समिति को दिये गये ऋण व अनुदान राशि में से खादी बोर्ड ने १००,५० रु. ऋण व २,०५० रु. अनुदान की रकम ठीक उपयोग होना नहीं माना है। खादी बोर्ड देय रकम में से ५,८५७ रु. ५० पैसे समिति द्वारा चुका दिये गये हैं, शेष देय रकम रु. ४,८७०.०० पैसे की वसूली हेतु विभाग द्वारा प्रयास जारी है। ऋण की शेष राशि अभी देय नहीं हुई है।

(४) उक्त समिति ने गुड़ बनाने व आटा पीसने का कार्य किया है। किये गये कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तावों की प्रतियां संलग्न हैं।

(५) वर्तमान में समिति में एक मिस्त्री कार्य करता है तथा वैतनिक सचिव कोई नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी)।

पंचायत समिति, पीपलखूंट में एनीकट निर्माण कार्य

२८०. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति, पीपलखूंट द्वारा सन् १९६६ से अब तक कितने एनीकटों के निर्माण की स्वीकृतियां दी गई ?

(२) कितने-कितने एनीकट किस-किस पंचायत के लिये स्वीकृत किये गये ?

(३) किस-किस पंचायत में कितने-कितने ऐनीकट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और किस-किस पंचायत में कितने-कितने एनीकट अब तक अपूर्ण हैं ?

(४) जो एनीकट बन चुके हैं उनमें से किस-किस एनीकट से अब तक कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई हुई है और इन एनीकटों पर कितनी राशि खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) १४ एनीकट।

(श्री विकास मन्त्री)

(२) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(४) कार्य हाल ही में वर्षा के बाद पूरे हुए हैं। अतः सिंचाई नहीं हुई है। अभी तक एनीकटों के निर्माण कार्य पर रु. २,१९,३५८.३९ पैसे खर्च हो चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जागीरदारों को मुआवजे की रकम का भुगतान

७२. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) व श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भट्टों की गली, जयपुर के गांव के जागीरदारान को अभी तक उनके मुआवजे की रकम नहीं मिली है ?

(२) इन जागीरदारान का अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है ?

(३) अब कब तक इनका भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, अभी उन्हें केवल अन्तरिम मुआवजा दिया गया है।

(२) इन जागीरदारों ने एक मौजा छापरवाड़े की आय क्लेम की है, जिसमें इनकी हिस्सा राशि की जांच की जा रही है, क्योंकि उसमें पांतिया दर्ज नहीं हैं। इसलिये अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा सका है।

(३) स्थायी निर्णय होने के पश्चात् ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

टॉडगढ़-बरार सड़क की मरम्मत

७३. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह बात सही है कि ग्राम टॉडगढ़ से ग्राम बरार जाने वाली सड़क की वर्तमान हालत अत्यन्त बिगड़ी होने के कारण उस पर पैदल यात्रियों, बैलगाड़ियों एवं मोटरों का चलना अत्यन्त कठिन और असुविधाजनक हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको सुधरवाने की शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

सड़क की दशा साधारण है और यातायात का कोई कठिनाई नहीं है।

ग्राम दांता से सांचोर सड़क की मरम्मत

७४. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा-सांचोर सड़क में से ग्राम दांता से सांचोर तक १० मील का टुकड़ा अभी तक बनना शेष है ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(२) क्या यह भी सत्य है कि यह टुकड़ा बहुत खराब हो गया है और उसमें बड़े-बड़े गड्ढे पड़ जाने से आवागमन में बड़ी भारी कठिनाई उपस्थित होती है ? अगर हां, तो अब वह टुकड़ा कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस टुकड़े के बन जाने से रानीवाड़ा रेल्वे स्टेशन का सम्बन्ध सुरक्षा सड़क से जुड़ जाता है ? अगर हां, तो जल्दी से जल्दी इस १० मील सड़क को सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि सुरक्षा की दृष्टि से आबूरोड़ से सांचोर तक सुरक्षा सड़क बनाना आवश्यक है ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सड़क न होने से यातायात को थोड़ी कठिनाई होना स्वाभाविक है। धनराशि मिलने पर जल्दी काम कराने की कोशिश कराई जावेगी।

(३) जी हां, उपलब्ध धनराशि के अनुसार काम कराया जा रहा है।

(४) यह सड़क तीसरी योजना में स्वीकृत नहीं है।

राज्य की सडकें

७५. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में आज तक कुल कितने मील लम्बी डामर की सड़कों का निर्माण हो चुका है ?

(२) कंकरीट की सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है ?

(३) जिलेवार इसकी सूची सदन की मेज पर रखवाने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) १ अप्रेल, १९५१ से ३१ मार्च, १९६७ तक ६५८० मील में डामर हुआ है।

(२) सीमेन्ट कंकरीट रोड़ की लम्बाई २९ मील है।

(३) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(परिशिष्ट ३ देखिये)

कम्पाउन्डर्स का फिक्सेशन

७६. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट एनिमल हसबेन्ड्री ऑफिसर, अजमेर के अधीनस्थ कई एक कम्पाउन्डर्स का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) अब कब तक फिक्सेशन कर दिया जावेगा ?

(श्री सुमेरसिंह)

(४) ऐसे कितने कम्पाउन्डर्स हैं जिनको सन् १९५४ से अभी तक नई ग्रेड व पुरानी ग्रेड में वेतन वृद्धि नहीं दी गई है ?

(५) ऐसे कम्पाउन्डर्स का मामला डाइरेक्टर, एनिमल हसबेन्ड्री ऑफिस, जयपुर के पास कितने वर्षों से लगातार चल रहा है व उनके डिपार्टमेन्ट का एकाउन्ट्स ऑफिसर होते हुए भी सन् १९५४ से अब तक वेतन वृद्धि व फिक्सेशन अभी तक नहीं करने का क्या कारण है ?

(६) अब कब तक वेतन वृद्धि व फिक्सेशन कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

द्वितीय श्रेणी के निरीक्षकों को सलेक्शन ग्रेड

७७. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी निरीक्षक, सहकारी समितियों को सलेक्शन ग्रेड अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? तथा कब तक यह ग्रेड दे दिया जायेगा ?

(२) क्या सहायक रजिस्ट्रार के पद पर योग्यता के अनुसार निरीक्षक सहकारी समितियों में से ३३ प्रतिशत पदोन्नति करने के नियम हैं ? यदि हां, तो कितने ऐसे व्यक्तियों को सहायक रजिस्ट्रार बनाया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां, इसका कारण यह है कि इन निरीक्षकों की वरिष्ठता निश्चित नहीं हुई है। वरिष्ठता निश्चित होने पर दे दिया जावेगा।

(२) जी हां, पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का ३३ प्रतिशत। किसी को भी नहीं, क्योंकि सेवा नियमों में इस आशय का संशोधन होने के पश्चात् से अभी तक स्थाई रूप से कोई पदोन्नतियां नहीं की गई हैं।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत छानी से झाझरी सड़क पर कार्य तथा बैलगाड़ियों के मालिकों को भुगतान

७८. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फरवरी से सितम्बर, १९६७ तक छानी से भाभरी सड़क पर तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत काम कराया गया था ?

Page No. 51

(श्री विद्यासागर)

(२) यदि हां, तो फरवरी से सितम्बर, १९६७ तक अलग-अलग महीनों में मजदूरों की संख्या क्या थी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर बैलगाड़ियों द्वारा भी काम कराया गया ?

(४) यदि हां, तो बैलगाड़ियां किस-किस की थीं, उनके नाम व गांव का नाम बताने का कष्ट करें। तथा उन बैलगाड़ियों वालों को कितना-कितना पैसा पेमेन्ट किया गया है ?

उत्तर

(१) जी, नहीं। छानी से भांभरी सड़क तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर पर दिनांक २१ जून, ६७ से १० सितम्बर, १९६७ तक अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत काम करवाया गया था।

(२) अलग-अलग महीनों में मजदूरों की औसत संख्या इस प्रकार थी :—

माह जून	९८
माह जुलाई	५३०
माह अगस्त	१८४४
माह सितम्बर	२२३२

(३) जी हां।

(४) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(परिशिष्ट ४ देखिये)

जिला जालोर में चोरी, लूट, डकैती एवम् कत्ल के मामले

७९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर में पिछले तीन सालों में चोरी, लूट, डकैती एवम् कत्ल के कितने मुकदमात दर्ज हुए ?

(२) उनमें से कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट दी गई ?

(३) कितने मामले अभी तक जेर-तफतीश हैं और तफतीश में इतनी देरी लगने के क्या कारण हैं ?

(४) कितने मुकदमों में अदालत में चालान पेश किए गए और उनमें से कितने मुकदमों में सजाएं हुई व कितनों में अभियुक्तगण रिहा या बरी किए गए व कितने मुकदमे अभी तक जेर गौर अदालत हैं ?

(५) उपरोक्त चोरी, लूट एवम् डकैती के मामलों में किस में कितना माल था ? उनमें से कितना-कितना माल बरामद किया गया ? पूरा माल बरामद न होने के क्या-क्या कारण थे ?

(६) उपरोक्त मुकदमात में पिछले तीन सालों में सजा का क्या औसत रहा है ?

(७) संगीन जुर्मों में सजा का औसत बढ़ाने के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

(१) जिला जालोर में पिछले तीन सालों में चोरी के ४९४, लूट के १४०, डकैती के २२ और कत्ल के ५३ अभियोग दर्ज हुये। तीन साल की तालिका संलग्न है।

(श्री गृह-मन्त्री)

(२) उनमें से चोरी के २२९, लूट के ५९, डकैती के १० और कत्ल के १३ अभियोगों में फाइनल रिपोर्ट दी गई।

(३) गत तीन सालों में ४४ अभियोग चोरी, २० अभियोग लूट व ५ अभियोग डकैती, ८ अभियोग कत्ल के जेर तफतीश हैं। तफतीश में देरी होने के मुख्य कारण मुल्जिमान की तलाश करना व साक्षियों का उपलब्ध न होना व केमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट देरी से आना आदि हैं।

(४) कुल ६०४ अभियोगों का चालान पेश अदालत किया गया जिनमें डकैती के ७, लूट के ६१, कत्ल के ३० और चोरी के २०६ अभियोग शामिल हैं। उनमें से ३६ अभियोगों में सजाएं तथा २९ अभियोगों में अभियुक्त रिहा-बरी किए गए और २३९ अभियोग जेर तजवीज अदालत हैं।

(५) उपरोक्त अभियोगों में डकैती के अभियोगों में १०,५९७.५० व लूट के अभियोगों में ४९,३९९.४३ और चोरी के अभियोगों में १,३१,२७८.६३ की धनराशि का माल चोरी गया। चोरी गये माल में से डकैती के अभियोगों में ३,३४५.००, लूट के अभियोगों में १८,६९५.५० और चोरी के अभियोगों में ६३,१६७.७९ का माल बरामद किया गया। पूरा माल बरामद न होने के मुख्य कारण अभियुक्तों द्वारा नकद पैसा खर्च कर देना, सोने-चांदी को गलाकर फरोख्त कर देना तथा अभियुक्तगणों का पता न चलना मुख्य कारण है ?

(६) उपरोक्त मुकदमात में ५५ प्रतिशत अभियोगों में सजा का औसत रहा है।

(७) यह प्रश्न पुलिस की दक्षता पर निर्भर है व विभाग द्वारा इस ओर पूरा ध्यान दिया जाता है।

(परिशिष्ट ५ देखिये)

पुलिस थाना झंवर में मृत्यु का मामला

८०. श्री शंकरलाल (जैतारण) ; क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर जिला के झंवर पुलिस थाने में दिनांक २८-९-६७ को श्री श्रीकिशन वैष्णव की मृत्यु हो गई ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में तात्कालिक सब-इन्सपेक्टर व हैड कान्स्टेबल पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने श्री श्रीकिशन को मारपीट कर मार डाला और इस आरोप में सब-इन्सपेक्टर व हैड कान्स्टेबल को निलम्बित भी किया गया है ?

(३) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं। अनुसंधान से श्री श्रीकिशन वैष्णव की मृत्यु दिनांक २८-९-६७ को पीचवाले कुए में जो गांव के बीच में स्थित है और थाने झंवर से करीब २४३ फुट दूर है गिरकर होना पाया गया है।

(२) जी हां। अपर जिलाधीश, जोधपुर द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस सम्बन्ध में प्रथम जांच रिपोर्ट, जिसके अनुसार श्रीकिशन वैष्णव को अनधिकृत रूप से थाने पर रोक रखना और गलत रेकार्ड तैयार

(श्री गृह-मन्त्री)

करने के लिये उप-निरीक्षक श्री नन्दसिंह व मुख्य आरक्षक श्री नारायणसिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच प्राप्त होने पर दोनों कर्मचारियों को अधीक्षक पुलिस, जोधपुर द्वारा दिनांक ३-८-६७ से निलम्बित किया गया है।

(३) जी हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार अपर जिलाधीश, जोधपुर द्वारा की गई प्रथम जांच रिपोर्ट पर उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग क्रमांक २१ धारा ३०२ ता० हि० दिनांक ४-८-६७ थाना भंवर में पंजीबद्ध होकर अपराधी अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा), जयपुर द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

अम्बर चर्खा स्कीम

८१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग के द्वारा चलाई गई अम्बर चर्खा स्कीम के क्या परिणाम निकले ?

(२) अब राजस्थान में कहां-कहां कितने अम्बर चर्खे चल रहे हैं और उनसे कितना उत्पादन हर माह होता है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अम्बर योजना चालू की गई, जिसको क्रियान्वित करने के लिए आयोग स्वयं ने एवं राजस्थान खादी बोर्ड के माध्यम से राजस्थान में इस योजना को चलाने हेतु आवश्यक आर्थिक व तकनीकी सहायता दी। इस योजना के परिणाम अच्छे रहे, जो मुख्यतः निम्न हैं :—

(१) सूत का गुण स्तर में सुधार।

(२) बुनकर की दैनिक मजदूरी में वृद्धि।

(३) कतवारियों की मजदूरी में वृद्धि।

(४) यह योजना बहुतसे परिवारों का जीवनयापन का साधन बनी।

(५) कपड़े के पोत में सुधार हुआ।

(२) राजस्थान में अम्बर योजना के अन्तर्गत चल रहे अम्बर चर्खे व उनके वार्षिक उत्पादन की स्थिति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

राज्य के आयुर्वेदिक औषधालय

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आयुर्वेदिक औषधालयों की जिलेवार संख्या क्या है ?

(२) गांवों के नाम सहित एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) गांवों के नाम सहित औषधालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी)।

Page No. 54

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! स्थगन प्रस्तावों पर...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को एक महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी राज्य सरकार किस प्रकार से खाद्य वस्तुओं और पेय वस्तुओं की शुद्धता के ऊपर किस प्रकार अंकुश रखती है, इसके उदाहरणस्वरूप मैं एक गोल्ड स्पोट की बोतल पेश करना चाहता हूं। इस बोतल में कीड़े हैं और यह सीलबन्द है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी के सामने जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो वह उसको टालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि राज्य सरकार का लाखों और करोड़ों रुपया प्रशासन पर खर्च होता है फिर भी यह स्थिति है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी को यह पिलाने के लिए पेश करता हूं। क्या आप राजस्थान की जनता को इस प्रकार की पेय वस्तुएं पीने के लिए देने की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कीड़े हों। यह गोल्ड स्पोट की बोतल है, यह सीलबन्द है। मैं चाहता हूं कि सदन के सामने स्वास्थ्य मंत्रीजी को यह पिलायें....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या कोई बोतल अन्दर लाई जा सकती है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ताकि उनको मालूम पड़े कि क्या स्थिति है। मैं आपको यह बोतल सदन की मेज पर रख कर कहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रीजी को इसकी पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए और जांच करने के पश्चात् किसी न किसी निराकरण करने की स्थिति में पहुँचना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुद्ध खाद्य वस्तुओं की और पेय वस्तुओं की राज्य सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती, राज्य सरकार इन्तजाम नहीं कर सकती। यदि यही स्थिति रही तो इस देश की क्या गति होगी। अतः मैं यह बोतल सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर ! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बाहर जो सामान रखने की टेबल है वहां आप इसको रख दीजिये। यहां सदन की मेज पर तो कागज रखे जाते हैं। आप इसको बाहर भेज दीजिये। यह यहां नहीं रखी जायगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, यह गोल्ड स्पोट की बोतल सदन की मेज पर रखनी चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य मंत्रीजी इसका मुलाहिजा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वास्थ्य मंत्रीजी को दिखाना चाहते थे, उनको आप दिखा देते।

श्री खेतसिंह (उप-गृह मंत्री) : यह अन्दर कैसे ले आये ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन में बोतल नहीं ला सकते, आप चेम्बर में दिखा सकते थे। मैंने व्यवस्था दे दी है कि यह सदन में नहीं रहेगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस सदन के जिम्मेदार सदस्य के द्वारा कोई चीज लाई जाती है तो सदस्यों द्वारा इस प्रकार की बात कही जाती है तो वह इस सदन की टेबल पर रखी जाय, और उसको रखा जाना चाहिए। इस तरह की चीजें अब तक रखी जाती रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : नियमानुसार यदि वह है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था !

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस प्रकार एक मेडीसन का मामला इस सदन में उठा था....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य कोकाकोला या गोल्ड स्पोट पीने के लिए मंगायें तो वह नियमों के विपरीत है और वह सदन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन जनहित की दृष्टि से कोई गोल्ड स्पोट की बोतल पेश करे, जो कि सीलबन्द है, और जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए इन्जूरिअस है, वह इस मकसद से लाये कि सरकार का और इस सदन का उस ओर ध्यानाकर्षण हो तो उस प्रश्न के ऊपर जैसे कि पहिले भी परम्परा रही है...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह सदन की परम्परा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक माननीय सदस्य ने दवा का मामला पेश किया था और उसके सम्बन्ध में बोतल भी पेश की गई थी, और उसके बाद में उसकी इन्क्वायरी भी कराई गई थी। तो इस प्रकार की चीज सदन में उपस्थित करने के लिए सदन के अन्दर लाई जा सकती है।

श्री मदनसिंह दांता : पहले भी दवा पेश की गई थी, जो सीलबन्द थी। सील बन्द सदन की मेज पर पेश की गई थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पब्लिक इन्ट्रेस्ट की चीज कह कर मारने के लिए लायें तो क्या होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : किस पर्पज से लाई गई है, यह देखना होगा। अगर पीने की दृष्टि से या सदन के अन्दर इस्तेमाल करने की दृष्टि से लाई गई है तो नियमों के विपरीत होता है।

श्री मदनसिंह दांता : यह नियमों के विपरीत नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खाने-पीने की चीजों में अगर इस प्रकार की मिलावट हो, या उसके अन्दर कोई खामी है तो इस सदन की मेज पर एनेलेसिस के लिए रखे जाने का इस सदन के सदस्यों को अधिकार है। उस अधिकार के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि यह गोल्ड स्पोट की जो शीशी है, इसमें यह खामी है इसलिए इसको एनेलेसिस के लिए पेश करते हैं तो इस पर मंत्री महोदय यदि कार्यवाही करें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस हाउस में एनेलेसिस नहीं करेंगे। वह तो चेम्बर में होगा।

श्री उपाध्यक्ष : उचित होगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी इसकी जांच करवा लें कि इसमें क्या है, क्या नहीं है।

(१२.५० म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि ४ मई, १६६७ को राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बूंदी में सीमेंट वर्क्स खोले जाने का उल्लेख किया था किन्तु अब केवल उदयपुर, निम्बाहेड़ा तथा ब्यावर में सीमेंट के कारखाने खोले जाने की घोषणा की गई बतलाई जाती है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है कि इस पर आज सदन में विचार किया जाय।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री शिवनार्थसिंह द्वारा दी गई है जिसमें उन्होने पिछले कुछ दिनों से अनाज के भाव लगातार गिरने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। इसके अतिरिक्त इस विषय को बजट पर होने वाली बहस के दौरान भी उठाया जा सकता है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह व श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा दी गई है जिसमें दिनांक ६-३-१६६८ को जयपुर गोली कांड जांच आयोग के समक्ष श्री अमिरुद्दीन के साक्ष्य के दौरान सरकारी पक्ष के वकील के व्यवहार से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह मामला सब-जुडिस है और यह प्रश्न उक्त आयोग के माननीय न्यायाधीश के कॉग्नीजेन्स का है, अतः इस पर सदन में विचार नहीं हो सकता।

तीन स्थगन प्रस्ताव जिनका संबंध राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम करने से है, सर्वश्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री भैरोंसिंह व श्री देवीदत्त गाड़िया तथा श्री महेन्द्रसिंह व श्री प्रेमसिंह सिंघवी से प्राप्त हुए हैं:—

(१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने दिनांक ६-३-१६६८ को जयपुर नगर चौकड़ी रामचन्द्रजी, मोहल्ला कुम्हारान में से मु० हुस्नबानू नाम की एक १६ वर्षीय युवती को मालपुरा के नट परिवार के सुपुर्द किए जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री भैरोंसिंह व श्री देवीदत्त गाड़िया ने दिनांक ५-३-६८ की रात्रि में मंडावा के एस० आई० श्री कन्हैयालाल द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति श्री टीकू माली को बाजार में पकड़ने, उसको पीटने तथा वहां के कुछ नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने से सबंधित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(३) श्री महेन्द्रसिंह व श्री प्रेमसिंह सिंघवी ने कोटा जिले की तहसील पीपलदा के ग्राम रोडगंज एवं सीनोता के कुछ ग्रामवासियों के बीच चम्बल नदी के किनारे पर बोई हुई फसल को काटने के मामले को लेकर झगड़ा होने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये तीनों मामले जैसा कि ऊपर बतलाया गया है कि राज्य में लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था कायम करने से संबंधित हैं और ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि सदन की कार्यवाही

(श्री उपाध्यक्ष)

को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त इन मामलों को पुलिस की मांग पर होने वाली बहस के मौके पर ही कटौती प्रस्तावों के जरिए उठाया जा सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, केवल स्टेटमेंट मंत्री महोदय से दिलवाया जाय मैं संतोष कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने सिंचाई मंत्री महोदय द्वारा दिनांक २३-२-६८ को सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल वापस लिए जाने के संबंध में उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद काश्तकारों को काश्त के लिए पानी न मिलने का उल्लेख किया है जैसा कि इस विषय पर माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था में कहा जा चुका है यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय नहीं है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की मांग पर होने वाले वाद विवाद पर कटौती प्रस्तावों के जरिए इसको उठाया जा सकता है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानंद अग्रवाल से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने विद्युत् मंडल को स्टैंडिंग ऑर्डर से मुक्त करने की सरकारी घोषणा के संबंध से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। इस विषय में पहले ही एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गोकलप्रसाद शर्मा से प्राप्त हुई थी और उसको माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव के संबंध में ऊपर दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जहां तक मेरा स्थगन प्रस्ताव का संबंध है केवल स्टेटमेंट गृह-मंत्री से दिलादें क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार इसका लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। इसके अन्दर न वारंट जारी किया गया है न केस रजिस्टर किया गया है और किसी ऊपरी दबाव के कारण मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि स्वयं गृह-मंत्री क्योंकि मालपुरा के रहने वाले हैं, लड़की को फरार करवाया गया है....

तो केवल स्टेटमेंट कम से कम दिलाने की व्यवस्था करवायें ताकि इस पर विचार किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद के समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है। उस समय मंत्री महोदय उत्तर देंगे और उत्तर नहीं देते हैं तो उस समय उनका ध्यान आकर्षित किया जायगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। जो मेडिकल कॉलेज के लड़कों की हड़ताल हो रही थी, उसमें भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है और मेडिकल कॉलेजेज के छात्र भी हड़ताल करने के नोटिस दे चुके हैं। सारे राजस्थान में भारी असंतोष की लहर दौड़ रही है। यहां पर चर्चा हुई थी, प्रिंसिपल्स वगैरह इकट्ठे हुए थे, कुछ सुझाव भी दिए गए थे लेकिन प्रिंसिपल्स की हठधर्मी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कारण फैसला न हुआ। मंत्री महोदय ने कहा था कि वे घोषणा भी करेंगे लेकिन घोषणा नहीं की जिसकी वजह से भूख-हड़ताल शुरू हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कल सायंकाल तक वार्तालाप चल रहा था, जानकारी मांगी गई है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय दिया जायगा।

श्री रामानंद अग्रवाल : कब ?

श्री उपाध्यक्ष : परसों।

श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा : मेरे क्षेत्र के अंदर जो घटना हुई है, उसमें भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप सामान्य वाद-विवाद के साथ प्रश्न उठायेंगे तो मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे। उत्तर नहीं दिया जाता है तो उनका ध्यान उस समय आकर्षित कर दिया जायगा।

श्री महेन्द्रसिंह : पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, केस बिगड़ रहा है। वह लोग गरीब आदमी हैं। एक आदमी तो मर भी गया है तो भी सरकार ध्यान नहीं देती।

श्री मदनसिंह दांता: (ओन एपॉइन्ट ऑफ क्लैरीफिकेशन) बार-बार आसन की ओर से फरमाया जाता है कि यह प्रश्न जनता के महत्व का नहीं है। तो इस मुद्दे पर निर्णय हो जाय कि आखिर कितने आदमी मर जायं, कितनों के साथ अन्याय हो जाय, कितनी घटनायें हो जायं तब आप लोक-महत्व का समझेंगे ? वहां के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी लाते हैं और लोगों के मरने से ज्यादा लोकमहत्व का प्रश्न क्या हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी आपत्ति को मैं समझ गया। अगर स्थगन प्रस्तावों को मन्जूर किया जाय तो सदन का एक सत्र भी ५ साल तक नहीं चल सकता, सदन को बंद रखना पड़ेगा। इसलिए साधारणतः जो महत्वपूर्ण मसले होते हैं, उन पर जानकारी सदन में दे दी जाती है लेकिन हरएक को स्वीकार कर लिया जाय, यह तो संभव नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : लेकिन हैं तो महत्व के ? आसन से....

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : एक या दो तो लोकमहत्व के समझे जायं ? आज १५ वर्ष के अंदर कोई भी स्थगन प्रस्ताव लोकमहत्व का नहीं समझा गया।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा मतलब था जैसे उदयपुर में लाठी चार्ज हुआ या भूख हड़ताल है या लोग मारे जा रहे हैं, संगठित रूप से देखा जाय तो सारे राजस्थान की जनता से संबंधित प्रस्ताव है, इतनी घटना के बावजूद अगर स्टेटमेंट होता...

श्री उपाध्यक्ष : तो इसका हल तो विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने से नहीं है बल्कि उसकी जानकारी सदन को कराई जाय। इसके पीछे यही भावना होती है तो काफी संख्या में वक्तव्य दिलाये जाते हैं मन्त्रियों से और उनको अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसके लिए यह कह दिया जाता

(श्री उपाध्यक्ष)

है कि इस–पर चर्चा हो, इसलिए इस पर वक्तव्य मंत्रीगण देते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : इसकी जानकारी दिला दें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। बीकानेर जिले में अकाल है। गांवों में भयंकर अकाल होते हुए भी, मैंने जो पिछले सेशन में प्रश्न उठाया था, प्रस्ताव रखा था, उसको दबा दिया गया। बीकानेर जिले में बराबर लगातार भयंकर अकाल चला आ रहा है लेकिन खेद की बात है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा पटवारियों को दबाकर अकाल होते हुए भी गिरदावरी में जमाना दिखाया गया है। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह बड़ी शर्म की बात है।

(१.०० म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : जब बजट पर वाद-विवाद हो उस समय कह दीजिये।

आॅर्डर प्लीज ! ध्यानआकर्षण पर भी होगा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : जनता वहां मर रही है। मैंने पहले सेशन मे भी दिया था। लोग भूख से मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आज उनकी इत्तला हमारे पास नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मेरे स्थगन प्रस्ताव को दबा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! नियम ११६ के अन्तर्गत लोक हित के विषय पर चर्चा। श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरी चीज है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको पूरा दिन लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प है, जब ये प्रस्ताव रख दें तब बाद में...

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर ५-७ व्यक्तियों ने प्रस्ताव दिये हैं और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। राजस्थान की जनता का भविष्य का सवाल है, राजस्थान की सीमा का सवाल है, राजस्थान के विकास से सम्बन्धित है। इस पर पूरा एक दिन दिलाने की व्यवस्था दी जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रोग्राम के अनुसार भी ऐसा ही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कई प्रस्तावकर्त्ता उपस्थित नहीं हैं। कई कारणों से उन्होंने भी मुझे यह संकेत दिया है कि एक पूरा दिन दिया जाय। मैं स्वयं भी यह समझता हूं कि यह एक महत्त्वपूर्ण जनहित का प्रश्न है और मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई एक दिन और नहीं तो आधा दिन कम से कम इसके लिये रखा जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प रखा है, विरोधी पक्ष के नेता ने जैसा कहा है कि इसके लिये

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अधिक समय होना चाहिये और विस्तार से चर्चा होनी चाहिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामकिशन : इसकी तारीख तय हो जानी चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : एसेम्बली एडजोर्न होने से पहले विचार किया जाय।

श्री रामकिशन : बिजनिस एडवाईजरी कमेटी का जो प्रोग्राम है, उसको एडहाक चेन्ज कर दिया जाता है इसमें दिक्कत होती है। बजट के लिये तैयारी कर रहे थे। अब बजट पर कहें या क्या ? इस स्थिति को कम से कम बिजनिस एडवाईजरी कमेटी को सरक्यूलेशन के जरिये इत्तला दे दें लोगों को आइन्दा कब रख रहे हैं ताकि उसी के मुताबिक अपना प्रोग्राम रख सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज इसको कैसे तय कर सकते हैं ?

श्री रामकिशन : बजट के दिनों में बहस नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके पश्चात्।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह देख लेंगे किसी रोज।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा समय लगने की स्थिति में बिजनिस एडवाईजरी कमेटी में देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन और आधा दिन लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समय ज्यादा लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि बजट के बाद रखेंगे तो इसके महत्व के सम्बन्ध में किसी न किसी रूप में चर्चा अवश्य आयेगी। इससे इसकी जो खूबसूरती और महत्व है वह घट जायगा। खास तौर से लोक सभा में बजट पर बहस हो रही है इससे पूर्व ही ले लिया जाय ताकि यहां की राय वहां जाय तो ठीक रहेगी। पहले ही इसकी चर्चा होनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामकिशन : आज नहीं हो सके तो ११ तारीख को करवा दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा निवेदन है कि स्पीकर साहब से जिस दिन तय करके रखना चाहें रख लें। इसके अलावा जिस तरीके से आप इसका एडजस्टमेन्ट करना चाहें कर लें। मुझे आपत्ति नहीं है। स्पीकर साहब से तय करके या बिजनिस एडवाईजरी कमेटी के जरिये इसको तय किया जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया है उससे एक हद तक मैं भी सहमत हूं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कम से कम आधे दिन दिलाने को बिजनिस एडवाईजरी कमेटी में रखा जाय। लेकिन मंत्री महोदय यहां पर हैं वे विशेष रूप से बिजनिस एडवाईजरी कमेटी को रखने से पूर्व आश्वासन दे दें कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न को बजट के फर्स्ट रीडिंग के बाद ले लिया जाय तो आपको क्या आपत्ति है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बजट पास होने से पहले कोई दिन निर्धारित कर लें। कटौतियों के समय बहस नहीं हो सकती है। आप देख लें कि अमुक तारीख तक बजट पास करना है। जिस रोज आप चाहें और जितने समय तक के लिये आप चाहें उतना समय बिजनिस एडवाईजरी कमेटी देख लेगी।

(१.०७ म. प.)

आय-व्ययक (बजट) १९६८-६९ पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद। विरोधी पक्ष के नेता !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में कोई बजट पर विवेचन करूं इससे पहले यह निवेदन है कि भविष्य में अगर आय-व्यय का बजट किसी शनिवार के दिन पेश हो तो ठीक होगा। यदि सरकार को कोई वहम हो इस सम्बन्ध में कि शनिवार को मनहूस दिन माना जाता है तो कोई मुहूर्त रखने की व्यवस्था करें। लेकिन मेरा निवेदन है कि जिस दिन बजट पेश हो उसके दूसरे दिन छुट्टी होनी चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना का प्रश्न है। आज जब विरोधी पक्ष के नेता बजट आय-व्यय के सामान्य वाद-विवाद पर बोल रहे हैं तो न तो मुख्य मन्त्रीजी ही हाजिर हैं और न वित्त-मन्त्रीजी ही हाजिर हैं। इसलिये इसको....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री) : बात यह है कि फाईनेन्स मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था कुछ देर पहले ही और मैंने ही उनसे कहा कि डेढ़ बजे से पहले विरोधी पक्ष के नेता नहीं कह सकेंगे, इसलिये उनको आने में देर हो गई है। जितनी आस्था और रेस्पेक्ट होनी चाहिये वह अवश्य है किन्तु चूंकि दूसरा एजेन्डा एक दम इसके पश्चात् ले लिया गया है इसलिये........

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : मुख्य मन्त्रीजी गायब, फाईनेन्स मिनिस्टर साहब गायब और फिर आप हमेशा हमसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यह कैसे हो सकता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य रामकिशनजी ने जो आपत्ति उठाई है वह सिद्धान्ततः सदन की परम्परा के अनुसार सर्वथा उचित है लेकिन हमारे में भी जो कमी है वह भी मैं निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि जब मन्त्री महोदय के द्वारा आफिशियल रिप्लाई दिया जाता है तो हम भी नहीं होते हैं। उप-मन्त्रीजी यहां बैठे हुए हैं। मेरे व्यक्तिगत रूप से उप-मन्त्रीजी, वित्त पर्याप्त है।

श्री नत्थीसिंह : देखी उदारता हमारी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वित मंत्रीजी आकर बैठें या नहीं बैठें तो व्यक्तिगत रूप से आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बजट सदन के समक्ष आता है तो कई तरह की विचार-धारायें उत्पन्न होती हैं। बजट एक तरह के आंकड़ों का अरण्य है। इन आंकड़ों के अरण्य रोदन के लिये कुछ समय चाहिये। आजकल राज्य सभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वे बजट के सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं। उनको कम से कम २४ घंटों का अवकाश मिलना चाहिये। यह सदन की स्वस्थ परम्परा नहीं है। अगर सरकार शनिवार के दिन बशर्ते सरकार को मनहूस दिन का वहम न होता तो यह अच्छा रहता। सोमवार के दिन बहस जारी हो जाती।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इस तरह उसको काफी समय मिल जाता। मेरे ख्याल से लोक सभा और राज्य सभा में भी ऐसा स्वस्थ परम्परायें हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार भविष्य में इसका ध्यान रख कर चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय १९६८-६९ की आय जो वित्त मन्त्री द्वारा आंकी गई है वह १२७,७७,९०,००० है, यानी गत वर्ष की तुलना में यह आय ३३,७९,००० अधिक है। इसी तरह खर्चे के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं : खर्चा इस वर्ष का १४ करोड़....

श्री रामकिशन : १४ करोड़ नहीं १४१ करोड़ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ठीक है। अगर कोई गलत बोलूं तो ठीक कर लें। खर्चा इस वर्ष का १४१,७९,६४,००० आंका गया। यह खर्चा गत वर्ष की तुलना में ३.२९ लाख अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री ने यहां पर घोषणा की है कि वे कोई नया कर नहीं लाये हैं। उन्होंने साथ-साथ यह भी संकेत किया है कि पुराने करों में वे कुछ छूट देंगे। तदुपरांत अगर आप टैक्स इन्कम का विवरण देखेंगे तो गत वर्ष के मुकाबले में ४,७३,७१,००० रुपये और विशेष टैक्स इन्कम के द्वारा सरकार को प्राप्त हुआ है और यह रुपया करीब-करीब सभी खर्च हो चुका, किन्तु खर्च के अन्दर ३१९ लाख रुपया अधिक खर्च हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मूल उद्देश्य और लक्ष्य यह है कि सरकारी आंकड़ों को देखते हुए जो अनुभव सरकार को गत बजटों से प्राप्त हुआ होगा उसको सरकार कोई काम में लाती हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि चाहे देना हो, चाहे घाटा हो, चाहे ऋण हो, आप कुछ ही कहें, यह धनराशि ४५० करोड़ है, और गत वर्ष का १८ करोड़ रुपये का घाटा अगर इस ४५० करोड़ रुपयों के अन्दर मिला दिया जाये तो कुल इस सरकार पर लायबिलिटी, चाहे किसी रूप में हो, कर्ज के रूप में हो या घाटे के रूप में हो, लेकिन वह देना है, तो ४६८ करोड़ रुपया इस सरकार के ऊपर चढ़ चुका है, यह मेरा निवेदन है और मुझे जो अनुभव है और जिस रफ्तार से यह रकम बढ़ती चली जा रही है, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, न ज्योतिषी हूं, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्दर यह रकम ४७५ करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगी, यह मैं सरकार को चेतावनी निवेदन कर देता हूं।

वित्त मंत्री महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय, जोड़-तोड़ करके अब वे तो जगलरी ऑफ फिगर्स, परमुटेशन और काम्युटेशन तो जानते ही हैं, यह बता दिया है कि इस बजट में कुल ९३ लाख रुपये का घाटा रहेगा। मैं विनम्रता पूर्वक आपके द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष के बजट में इन्हीं माननीय वित्त मंत्री ने स्पष्टतया कहा था कि बजट संतुलित है, आय-व्यय संतुलित है और घाटे का बजट नहीं है। उसके परिणामस्वरूप सरकार की कहनी और करनी में कितना अन्तर है यह इससे स्पष्ट होता है कि १८ करोड़ रुपये का घाटा इस संतुलित बजट के अन्दर एक्चुअल फिगर्स के अनुसार हमको प्राप्त होना सिद्ध हुआ है।

तो मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि आपके जो आंकड़े हैं वे सभी थोथे हैं और गलत हैं, चाहे वे उत्पादन से सम्बन्ध रखते हों, चाहे खाद्यान्न से सम्बन्ध रखते हों, चाहे योजना से सम्बन्ध रखते हों और चाहे बजट से सम्बन्ध रखते हों। आपके आंकड़े नाकाबिल भरोसा है और वे आंकड़े नाकाबिल भरोसा इस हद तक है कि आपको स्वयं को धोखा देते हैं। यह मेरे खयाल में ऐसी भयंकर व्यवस्था है कि सरकार को आत्म निरीक्षण करके सच्चे रूप से जो कुछ भी उनकी व्यवस्था हो उस पर प्रकाश डालना चाहिये, वरना दूसरों को तो धोखा देते ही हैं, वे खुद भी धोखे में रहते हैं।

यदि यह खर्चा, जो बहुत ज्यादा बताया गया है, स्वस्थ अर्थ परम्परा के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं, साउन्ड बजेटिंग के प्रिन्सिपल्स के अनुसार निवेदन करूंगा कि अगर यह खर्चा विकास के रूप में किया जाता है तो एक हद तक मै मानने को तैयार हूं कि यह हमारा इनवेस्टमेंट है, हम जो कुछ पूंजी लगाते हैं उससे कमी-बेशी जो कुछ भी होगा कुछ न कुछ हमको रिटर्न मिलेगा, कुछ न कुछ फायदा हमको प्राप्त होगा। इसके अन्दर भी मैं सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा कि गत वर्ष में विकास खर्चा कुल खर्चे का ५७.७२ प्रतिशत था और यह खेद का विषय है कि इस वर्ष में वह विकास खर्चा घट कर ५६.२३ प्रतिशत रह गया है। अविकास खर्चा, जो गत वर्ष में ४२.२८ प्रतिशत था वह आज बढ़ करके ४३.७७ प्रतिशत हो गया है। यह एक अस्वस्थ परम्परा है। आप अपनी मनमानी नीति के अनुसार चाहे जैसे बजेटिंग करें, लेकिन यह प्रगतिशील बजट है इससे मैं इनकार करता हूं और मैं इस बात का विरोध करता हूं कि नॉन-डेवलपमेंट खर्चा आप मनमाने ढंग से बढ़ाते जायें और डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर आप कम करते जायें। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्लान्स के सम्बन्ध में आप अपने राज्य के कोष से एक छदाम भी खर्च न करें, सब भीख मांग कर दूसरों पर अवलम्बन करें, यह भी बहुत गलत परम्परा है।

उपाध्यक्ष महोदय, १९५२ में इस राज्य की आमदनी १७ करोड़ थी, इस राज्य का बजट संतुलित था। उस १७ करोड़ की आमदनी की जगह आज १२७ करोड़ की आमदनी हो गई, लेकिन फिर भी इस सरकार के ऊपर ४६८ करोड़ रुपये का कर्जा हो गया और वह दिन दूर नहीं है कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर, ६३ लाख का घाटा तो कहीं रह जायेगा, ६ या ७ करोड़ का घाटा हमको पड़ेगा और यह रकम ४६८ करोड़ से बढ़कर ४७५ करोड़ रुपये हो जायेगी।

मैंने अभी, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन किया था कि हमने हमारी योजनाओं पर एक छदाम भी खर्च नहीं किया। गत वर्ष के अन्दर केन्द्र के द्वारा हमको ३९ करोड़ मिलने का प्रावधान था, वह हमको यथावत् मिला। लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन द्वारा हमें ४ करोड़ रुपया मिलने का प्रावधान था, उसकी जगह हमे केवल मात्र एक करोड़ रुपया मिला। राज्य का शेअर जो डेढ़ करोड़ का प्रावधान था उसमें राज्य की तरफ से एक छदाम भी नहीं खर्च किया गया और कह दिया कि हमारे पास योजना पर अपने कोष से खर्च करने के लिये कुछ भी नहीं है। इस तरह से साढ़े ४४ करोड़ का जो योजना के सम्बन्ध में प्रावधान था, उसमें से ४० करोड़

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ही खर्च कर चुके हैं। और मैं यह सुन रहा था कल, कल माननीय वित मंत्री ने स्पष्टतया यह ऐलान कर दिया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना के अन्दर एक पाई भी खर्च करने के लिये हमारे पास नहीं है। मेरे खयाल से यह तो दिवालियापन की पराकाष्ठा है। योजना के अन्दर आप अपनी धनराशि खर्च नहीं करेंगे और केवल दूसरों से आया हुआ धन खर्च करेंगे तो यह तो मेरे खयाल से बिल्कुल शर्मनाक परिस्थिति है। माले मुफ्त और दिले बेरहम बाहर से जो कुछ आये वह तो खर्च करदें और बेढंगे रूप से खर्च करदें, किसी व्यवस्था का ध्यान किये बगैर, और जब अपने पास से खर्च करना हो तो कह दें कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो कमंडल और डोली लिये फिरते है और बिल्कुल ही दिवालिया हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, देश की अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरा सामान्यतया यह निवेदन है कि हमारा मूल धन्धा मेन इन्डस्ट्रीज कृषि है। इस सूखे-भूखे राजस्थान के अन्दर तो कृषि का महान महत्त्व है आपको सिंचाई को प्राथमिकता देनी चाहिये। बार-बार सम्माननीय सदस्य, चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों, सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारे प्रान्त में सिंचाई को महत्त्व देना चाहिये लेकिन सरकार तो कई अपनी कमियों के कारण घिरी हुई है, कुछ कर नहीं पाती। करना चाहती भी है तो कर नहीं पाती। अभी सदन के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न आया, जो जनहित का प्रश्न था उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने मांग की राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए एक पूरा दिन या आधा दिन दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में अगर राजस्थान को आपको स्वावलम्बी बनाना है तो राजस्थान केनाल को बिल्कुल प्राथमिकता दें और अवश्य दें। यही एक समृद्धि का मार्ग है। हमारे राजस्थान के अन्दर अन्न का भण्डार इसी से हो सकता है। इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट मानकर के प्राथमिकता दें यही मेरा निवेदन है।

आपने इसके लिये दो वर्ष पहले प्रावधान रखा था कि इस नहर पर पांच करोड़ रुपया खर्च किया जायगा, गत वर्ष तीन करोड़ खर्च करने का प्रावधान था। इस वर्ष पांच करोड़ रुपया खर्च करने का वित्त मंत्री महोदय ने प्रावधान रखा है। राजस्थान का १२७ करोड़ का बजट है, क्या आप इस महत्त्वपूर्ण योजना के ऊपर खुद की सहायता से १० करोड़ भी खर्च नहीं कर सकते? अगर आप इस महत्त्वपूर्ण योजना पर दस करोड़ भी खर्च नहीं कर पाते तो जनता के प्रति यह आपका विश्वासघात मैं मानता हूं। इससे आपकी योजनाओं का थोथापन प्रगट होता है। मैं आपकी इस उपेक्षावृत्ति की कड़े से कड़े शब्दों में विरोध, भर्त्सना एवं निन्दा करता हूं। इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस योजना पर प्रतिवर्ष दस करोड़ रुपया खर्च करें। मैं समझता हूं इस बारे में विचार के लिये सारा दिन दिया जायगा अतः मैं इस पर ज्यादा समय न लेता हुआ यह निवेदन करूंगा कि यह योजना समृद्धि और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से महान महत्त्वपूर्ण योजना है। मैं आज यहां पर पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ विवेचन करूं। पर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हों, वह हमारा पड़ोसी है, उसके प्रति हमारी सद्भावना है। इसके साथ साथ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आज पाकिस्तान

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चीन का मित्र है। चीन की शासन प्रणाली और वहां की प्रशासन पद्धति हमारे से भिन्न है, वह साम्यवादी तो है ही परन्तु शक्तिशाली भी है उसके साथ-साथ वह विस्तारवादी और महत्वाकांक्षी भी है। उसकी चेष्टा यह है कि वह एशिया का सर्वोपरि सत्ता ही घोषित न करे बल्कि भारत पर प्रभाव डाले जिससे सारा विश्व एशिया की सर्व प्रमुख सत्ता चाइना को मान ले। ऐसी स्थिति में यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान चीन का एक मित्र है, तो हमको राजस्थान केनाल के संबध में ठोस विचार करना चाहिये, इस पर अधिक से अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिये। सैंकड़ों मील की जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करने के लिये मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं जिस प्रकार से पाकिस्तान के लिए इच्छगिल नहर वरदान सिद्ध हुई है, जब भारत का हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ उस समय इच्छगिल नहर एक ऐसा गढ़, किला सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान के लिये था उससे भी बढ़कर राजस्थान केनाल हो सकती है। इस केनाल में नौका-चालन होगा, यह नेवीगेबल केनाल होगी या इसके अन्दर नौका चलन भी संभव हो सकता है। राजस्थान केनाल का जो प्लान ह सरकार उसको प्राथमिकता दे यही मेरा निवेदन है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, लघु सिंचा याजना के सम्बन्ध में खास करके जिस राजस्थान के हिस्से से मैं आता हूं वह पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका होने के नाते वहा पर दो-तीन साल से खण्ड वृष्टि हुई ही कम वर्षा तो कहीं कुछ कम। कम वर्षा तो सभी जगह हुई है ऐसा मेरा अनुभव है। हमारे क्षेत्र के अन्दर सब सोइल वाटर लेवल पानी नीचे की सतह है वह सिंक होता जा रहा है। वहां पर सरकार ने ब्लास्टिंग द्वारा कोशिश की, बोरिंग द्वारा कोशिश की कुए खुदवाने की लेकिन वहां पर पर्याप्त रूप से पानी आया हो ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां ब्लास्टिंग उपयोगी हो सकता है, बोरिंग वहां के लिये उपयोगी नहीं। वह रोकी एरिया है वहां बोरिंग अनुपयुक्त होगा। मैंने भी दो-तीन बोरिंग लगाने की कोशिश की उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि सरकार को वहां के लिये ब्लास्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिये। वहां पर यदि चार-पांच कुओं में ब्लास्टिंग किया जाय कम से कम दो-तीन कुओं में पर्याप्त रूप से पानी मिल सकता है। ब्लास्टिंग ओपरेशन के लिये सरकार ने दल लगाये हैं वे इधर-उधर ब्लास्टिंग करके चले जाते हैं उससे थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो होली के बाद वह पानी सूख जाता है, कुओं के अन्दर कबूतर गटरगुं बोला करते हैं। ऐसी व्यवस्था की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यह सब फिजूल खर्ची है अगर आपका ब्लास्टिंग सफल नहीं है तो उसको बन्द कर देना चाहिये। सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह पहाड़ी हिस्सा है वहां पर आप लघु सिंचाई को प्राथमिकता दें। छोटे-मोटे तालाब बनवायें, कुए और तालाबों से वह जो ऊबड़-खाबड़ जमीन है वहां सिंचाई हो सकती है, वहां पर बड़ी सिंचाई योजना द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये भी विवेचन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर सघन वन था। वहां के जंगल कट चुके और जो हैं वे भी बुरी तरह से कट रहे हैं, उन जंगलों का बुरी तरह से ह्रास हो रहा है। जंगल कटेगा तो पानी कम गिरेगा, अनावृष्टि होगी। जंगल में जो पत्तियां गिरती थीं उससे खाद मिलता था वह भी समाप्त हो गया। इस तरह से प्रकृति का असन्तुलन हो जाने से वर्षा की कमी हो गई, वहां अनावृष्टि से प्राकृतिक सम्पदा अपसेटहो जायगी।

इस संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अफोर्सटेशन नहीं करें तो आपके पास जो जंगल हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए आप कोई न कोई विचार करें और मैं मानता हूं कि यह सरकार वोटों पर गठित है लेकिन जनहित के सिद्धान्त को लेकर आपको कुछ साहस बताना चाहिए। अगर जनहित के लिए कोई कटु सत्य भी आपको कहना पड़े, कोई अच्छी योजना अपनानी पड़े तो साहस बताकर आप उस योजना को कार्यान्वित करें, यही मेरा निवेदन है।

कल माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा कि आदिम जाति, आदिम जन-जाति के लोगों को बसाने के लिए गंगानगर में एक लाख बीघा भूमि एलॉट की है। मेरा इस संबन्ध में निवेदन है कि जिस जिले से मैं आता हूं वहां पर बहुत घनी आबादी है। डेन्सिटी के अनुपात से सारे राजस्थान में डूंगरपुर जिला सिवाय भरतपुर जिले को छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। जनसंख्या के अनुपात से फी वर्गमील में जो पापुलेशन है उसके अनुपात से राजस्थान में यह दूसरे नम्बर का जिला है। अगर आप एक हजार परिवारों को गंगानगर जिले में हमारे जिले से बसाने की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूं कि जैसे धरियावद के पास जवाहरनगर में उनको बसाने की योजना बनाई, लाखों रुपया खर्च किया और कुछ आदिवासी परिवार आप ने वहां पर बसाये लेकिन वह थोड़े ही दिनों में आपकी योजनाओं में खामियां होने की वजह से वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण जवाहरनगर की भूमि चाहे जितनी अच्छी थी तब भी वे भागकर अपने घर वापिस आ गये। दूसरा उदाहरण मैं निवेदन करूं चित्तौड़ में गाडूले लुहारों का सम्मेलन किया गया। उसमें लाखों रुपया खर्च किया और उसमें कुछ हुआ न हुआ या सरकार का सब पैसा बरबाद हुआ। तो अगर ऐसी आपकी योजना है गंगानगर की तो आप कृपा करके इसको बन्द कीजिए, स्थगित कीजिए लेकिन वास्तविक रूप से आप उनको अवश्य बसाना चाहते हैं तो मेरे स्थान डूंगरपुर जिले के आदिवासियों के संबन्ध में मैं कहूंगा कि उनको भी वहां पर कुछ परिवारों को बसाया जाये और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबन्ध में विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब बिजली के संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि बिजली का निकटतम संबन्ध हमारे उद्योगों से है। अगर बिजली आदिवासियों के घरों पर पहुंचायें, दूसरे गावों में पहुंचायें तो स्वागत है लेकिन इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। उद्योगों के लिए, देश की खुशहाली के लिए, राज्य के कोष के लिए मेरे ख्याल में उद्योगों को प्रोत्साहन मिले इसलिए बिजली की आवश्यकता है। लेकिन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पन बिजली भी क्योंकि प्रकृति हमारा साथ नहीं देती इसके कारण यह पन बिजली व्यवस्था भी ऐसी हो गई है जिसके ऊपर मुझे सन्देह है और शंका है कि इसमें पूर्णतया हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यह अणु युग है। आधुनिक साधन हमारे पास इतने है कि उनके द्वारा हमें बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सोचना चाहिए और उसके साथ ही साथ मेरा यह निवेदन है कि प्राइवेट एन्टरप्राइज और पब्लिक एन्टरप्राइज दोनों में सन्तुलन रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वह विशेष हितकर है। आपकी जो योजनायें हैं वह मिक्स्ड इकॉनामी के सिद्धान्तों पर चलती है उस सिद्धान्त से अपनी गवनमेन्ट तो मेरे ख्याल में पहले किसी को प्राथमिकता नहीं दे पायेगी। आप बेलेन्स्ड व्यवस्था करके पब्लिक एन्टरप्राइज और प्राइवेट एन्टरप्राइज दोनों में यदि सौतेला भाई और सगा भाई का झगड़ा करके चलेंगे और इस सिद्धान्त से आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी।

जहां तक राष्ट्रीय योजनाओं का और बड़ी योजनाओं का संबन्ध है, मुझे नहीं पता चलता कि वूलन मिल, बीकानेर जो हमारी है वह कोई वरदान सिद्ध हुई हैं। न उदयपुर के पास देबारी में जिंक स्मेल्टर है वह वरदान सिद्ध हुई है। यह जिंक स्मेल्टर कई वर्षों तक पड़ा था। अब बड़े धूमधाम से उसका उद्घाटन हुआ। एक बार किसी चीज का उद्घाटन हो लेकिन बारबार उद्घाटन भी हो और फिर उसके बाद भी योजना चले या न चले और थोड़े ही दिनों तक चलकर फिर ठप्प हो गयी तो यह न तो मेरे खयाल में जिंक स्मेल्टर के लिए प्रशंसा की बात है? क्योंकि आश्चर्य नहीं कि कुछ दिनों के बाद जिंक स्मेल्टर भी ठप्प हो जाये और करोड़ों रुपयों का इसमें अपव्यय हो।

इसी तरह मैं वित्त मन्त्री महोदय ने डूंगरपुर तहसील में मांडव पाल में फ्लोराइड के संबन्ध में कुछ प्रकाश डाला। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें भी बनीं, बंगले भी बन गये, बगीचे भी लग गये, कुए भी खुद गए बेचारे आदिवासी भी विस्थापित हो गए लेकिन फ्लोराइट का अभी तक कोई विशेष अलामत पाई गई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अगर यही आपकी योजनायें हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा। सोपस्टोन भी उदयपुर में पहले पाया गया था अब उसकी भी दिनों-दिन घटत की ओर मेरे ख्याल में विशेष बढ़ोतरी हो रही है बनिस्बत बढ़ोतरी के।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान मितव्ययता की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार की बहुत फिजूल खर्ची की प्रक्रिया है वह बहुत बुरी है। मैं समझता हूं कि सरकार फिजूल खर्ची के ऊपर कोई काबू नहीं पाती और इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह विकेन्द्रीकरण जो वर्तमान स्थिति में है यह आप समझते हैं कि कोई प्रगतिशील कदम है ? मैं मानता हूं कि यह प्रगतिशील कदम एक हद तक है लेकिन जहां तक विकास के कार्य हैं मेरे खयाल मे यह विकास का कार्य आप नहीं कर रहे हैं बल्कि विनाश की तरफ विशेष जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी २३२ पंचायत समितियां हैं। आप कम से कम पंचायत समितियों को आधा कर दो और इनको १२५-१२० ही पंचायत समितियां कर दो। जितनी आज पंचायतें हैं उनकी आप आधी कर दीजिए। अगर एक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पंचायत के अन्दर ३००० वोट होंगे तो कम से कम आपको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा और वहां पर प्रजातंत्र की जड़ें जम सकेंगी। कई पंचायतों के अन्दर एक हजार भी वोट नहीं हैं और पंचायतें नाम मात्र की हैं और वहां के सरपंच अंगूठामात्र हैं और वहां के बी० डी० ओ०, सरपंच, बी० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, बी० डी० ओ० सर्वेसर्वा हैं, बी० डी० ओ० महाराजाधिराज भी हैं वहां के। यह विकेन्द्रीकरण नहीं वह विनाशकरण है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पंचायतों की तादाद आधी कर दें। जो २३२ पंचायत समितियां हैं उन्हें १२५ ही रखें और विकास की योजनायें कम से कम पंचायत समितियां बड़ी बनेंगी तो उनमें योग्यता भी आयेगी और वहां का रिप्रेजेन्टेशन भी ठीक होगा, खर्चा भी ठीक होगा और व्यवस्थित ढंग से वहां की व्यवस्था भी ठीक होगी और आपके कर्मचारियों के निरीक्षण करने का भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इस ओर आप ध्यान देंगे।

मैं विशेष सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यह बिलकुल बोगस संस्था है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अगर आपको रखना है और राजनैतिक कारणों से रखना है तो रखें लेकिन हमको तो राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना चाहिए, जनहित को लेकर विचार करना चाहिए। दलगत नीति को अपनाना मेरे ख्याल में वृथा है और अदूरदर्शितापूर्ण कदम होगा। अगर आपको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को रखना है तो रखें बाबा लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इसका खर्चा आधा और घटा दीजिए।

यह सहकारिता के अन्दर अगर आपको सहकारी विभाग रखना है तो रखिये ३० करोड़ रुपया इसके अन्दर गर्क है और ३० करोड़ रुपये की वसूलात क्या होती है वह तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और अब तो आपका रोवना भी सूख गया है। इसके पीछे दौड़-दौड़ कर अब मेरा निवेदन है कि अगर आपको को-ऑपरेटिव रखना है तो आप रखिये लेकिन आपको क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए...

श्री रघुनाथ विश्नोई : १० करोड़ तो बकाया नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ३० करोड़ रुपये का कुल इन्वेस्टमेन्ट है। बकाया कितनी है यह तो नहीं पता। ३० करोड़ की लागत है। वसूली कुछ भी हो लेकिन वसूली करने की कोशिश नहीं करते हैं। यह (श्री मथुरादास माथुर) देख रहे हैं इनको पता है....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वसूली करने की कोशिश करें तो उनकी कुर्सियां हिल जायें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको मुबारक हो आपकी कुर्सी। और यह सुरक्षित रहे लेकिन जब तक आप कुर्सी पर बैठे हैं तब तक आपको कुर्सी का लिहाज रखना चाहिए और निष्पक्ष रूप से व्यवस्था करनी चाहिए।

तो को-ऑपरेटिव के बारे में मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि जो सबल को-ऑपरेटिव हों उनको आप ऋण दें, उनको हर तरह से प्रोत्साहन दें लेकिन यह कोई विन्डो ड्रेसिंग नहीं है। यह फोकट की बात आप करते हैं बहुतसारी को-ऑपरेटिव्स बिलकुल बोगस है। आप उन्हें खत्म कर दीजिए और सरकार ने भी देखा होगा कि इन संस्थाओं में अच्छी कौन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हैं और बुरी कौन हैं। अच्छी और बुरी के अन्दर जब तक सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है तो जैसा राजस्थान में कहते हैं 'सांभर मेजो पड़े वही लूण हो जाता है'—यह व्यवस्था आपकी है, इसका मैं विरोध करता हूं।

आपकी योजनाओं मे जो अधूरे काम हैं वह दस-दस वर्ष से अधूरे पड़े हैं। तो आपको यह एलान कर देना चाहिए कि यह अमुक काम अधूरे हैं, यह असफल हैं और इनको हम छोड़ते हैं। अगर अधूरे कामों को लेकर आप चलते हैं तो यह सामान्य बुद्धि की बात है कि जो काम अधूरे हैं उनके लिए सरकार का कर्त्तव्य है कि उनको पूरा करे। अगर सरकार उनको पूरा नहीं करती है तो सरकार अपना काम भी पूरा नहीं कर सकती सरकार अयोग्य है अनफिट है। तो योजनाओं के संबंध में मेरा निवेदन है कि आपको मितव्ययता लानी चाहिए। आपके जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने में पहले प्राथमिकता दें और अवश्यमेव कोई उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर उस पर विचार करें तो आपके डिपार्टमेन्ट की तादाद में कमी आ सकती है "Where there is a will there is a way" अगर आप अच्छा करते हैं तो मितव्ययता अवश्य आ सकती है। मितव्ययता के संबंध में मंत्रिमण्डल के बारे में यहां बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कम से कम कोई स्वस्थ परम्परा इस देश में होनी चाहिए। अगर सदन की संख्या के अनुपात से मंत्रिमण्डल का गठन हो १० या १५ प्रतिशत के अनुपात से तो ठीक होगा वरना मंत्रियों के ऊपर भी जो फिजूल खर्ची हो रही है, जब दाने-दाने के लिए लोग भूखों बैठे हुए हैं, महंगाई गगन चुम्बी कर रही है इतना बड़ा मंत्रिमण्डल आपके लिए अशोभनीय व्यवस्था है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि मितव्ययता के नाम पर उपेक्षापूर्ण नीति सरकार की रही है। हजारों रुपयों के टेलीफोन दिल्ली में राजस्थान हाउस में होते हैं। हजारों रुपयों का बिल बनता है। १५-१५ हजार रुपयों का टेलीफोन का बिल आये आप वहां बैठे-बैठे क्या करते हैं ? क्या टेलीफोन करके अपनी आशिक या माशुका को याद करते होंगे...

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु०) : आप किसको याद करते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। लेकिन मुझे आशा नहीं है कि मैं इनकी जगह होऊंगा। यह क्या करते हैं यही तो ये ही जानें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आपकी उम्र को शोभा नहीं देता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वित्त मंत्री महोदय ने यह संकेत किया कल योजनाओं के संबंध में मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने यह कहा कि हमने योजनायें छोड़ी नहीं हैं, हमने स्थगित कर दी हैं। योजनाओं का स्थगन मेरे ख्याल में एक ठीक दिशा में कदम है। हमारा दल तो बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा है और सरकार यह कहती रही है कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। यह भी बिल्कुल अवास्तविक है और गलत है। हमारे पास योजनायें हैं। हम हमेशा कहते आये हैं कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

'कट दी कोट अकाडिंग टू दी क्लॉथ'। प्लानिंग कमीशन की बैठक हुई उसमें मैंने यही कहा था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर ने इसका घोर विरोध किया है। मैं मानता हूं कि इनफ्लेशन ठीक है। प्रोग्रेसिव नेशन के लिए मुद्रास्फीति ठीक है लेकिन जहां पर बहुतायत हो, माल बिल्कुल लुप्त हो जाय तो मेरे ख्याल में इनफ्लेशन हार्मफुल है। मितव्ययता को ध्यान में नहीं रखते हुए जो योजनायें आपने यहां पर निर्धारित की हैं उनका मैं विरोध करता हूं। हमारा दल मानता है कि हर साल की आप योजना बनायें। आपकी जो प्राप्तियां हैं उसको आप आंकें और जो प्राप्तियां हों उनके अनुसार दूसरे वर्ष की दूसरी योजना बने। ५ वर्ष की योजना मेरे ख्याल में एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके संबंध में हमको जो अनुभव हो चुके हैं उस अनुभव के द्वारा हम निश्चित रूप से इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि यह विकास नहीं है, यह विनाश है।

उपाध्यक्ष महोदय, जलप्रदाय योजना के संबंध में वित्त मंत्री महोदय ने उल्लेख किया कि उदयपुर के लिए एक जलप्रदाय योजना की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। तो उदयपुर तो सौभाग्यशाली नगर है, ऐतिहासिक गौरवान्वित नगर है और आज उसको गौरव भी इस बात का प्राप्त है कि मुख्य मंत्री महोदय का वह निर्वाचन क्षेत्र है। मेरी तरफ से चाहें तो आप उसको स्वर्ग बना दें लेकिन उसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम पेय जल योजना के बारे में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर बिल्कुल रेगिस्तान में हैं इनके लिए आप कुछ न कुछ व्यवस्था करें। आखिरकार आप सरकार हैं, आपको समान दृष्टि रखनी चाहिए और जहां तक पेय जल की व्यवस्था का प्रश्न है राजस्थान की सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर सकी है और मैं तो कहता हूं कि इसको हल भी मत कीजिए। लेकिन इसका हल आप २५ प्रतिशत रूप से भी निकालते हैं तो मैं आपको बधाई देने के लिए तैयार हूं...

श्री मथुरादास माथुर : २५ क्या ५० प्रतिशत व्यवस्था कर चुके हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बैठे-बैठे बातें करते हैं। कपोल कल्पना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन इसलिये है कि आप समदृष्टि रखें और बेचारे गरीब डूंगरपुर के ऊपर भी कृपा दृष्टि रखें। २० वर्ष के पहले जो डूंगरपुर की जल पेय योजना थी शुद्ध जल की (श्री भीखाभाई के सदन में आने पर) भीखाभाई सुनो, यह योजना ऐसी थी कि ३ वर्ष भी अगर अकाल पड़े तो इतना पर्याप्त जल था कि जल खत्म नहीं हो सकता था। आज उस योजना को आपने बन्द कर दिया और गेपसागर का कीचड़ और गोबर लोगों को आप पिला रहे हो। मैंने गत वर्ष भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि जहां पानी की समस्या है वहां पानी दिया जायगा लेकिन आधे नगर को यहां से देते हैं और आधे नगर को वही गोबर पिलाते हैं। यह एक रेट्रोगेट स्टैप है। मैं तो कहता हूं कि २५ वर्ष पहले जो शुद्ध पेय-जल की योजना थी उसको पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था करें। मैं इससे अधिक और कोई मांग नहीं कर सकता।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

माननीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं मैंने आश्वासन दिया है कि मैं मद्य निषेध के संबंध में विरोध नहीं करूंगा लेकिन कल सरकार की ओर से ऐलान हुआ कि वचनबद्ध और कटिबद्ध है...

वचनबद्ध हों या कटिबद्ध हों ! बीस बरस तक तो झख मार रहे थे और अब वचनबद्ध और कटिबद्ध हो रहे हैं। कहां गया यह प्रोहिबिशन का आपका पहले का नारा, और अब प्रोहिबिशन योजना आप लागू कर रहे हैं वह भी लूले-लंगड़े रूप में और किस समय में ? जबकि महाराष्ट्र और अन्य राज्यो में यह किया जा रहा है। वह प्रवृत्ति देखिये और फिर अपनी प्रवृत्ति देखिये। गोकुल से मथुरा न्यारी।

श्री **मथुरादास माथुर** : डूंगरपुर में तो हो गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मथुरा तो हैं ही। मथुरा वृन्दावन बिल्कुल।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन इतना बढ़ रहा है. बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिले में इतने महुए के पेड़ हैं कि कोई आश्चर्य नहीं कि कॉपर ऑक्साइड के रूप में इल्लिसिट डिस्टिलेशन के द्वारा वह महुआ की शराब नाजायज खरीदें कि जिसे पीकर शायद मौतें भी होने लग गई हैं। वह जहर हो जायगा। मद्रास में तो सुना होगा कि ऐसी सड़ी-गन्दी, जहरीली शराब पीकर मर गये।

तो आपको अगर प्रोहिबिशन करना ही है तो सारे राजस्थान में करें। मैं एक शब्द भी इसके बारे में नहीं कहूंगा। पर यह सब अधूरी और नाजायज कार्यवाही करके थोथे ढोल पीटना और वास्तविक रूप में कुछ बात नहीं करना, ऐसी व्यवस्था करते हैं तो मैं उसका विरोध करूंगा।

माननीय मन्त्रीजी ने हड्डियों पर टैक्स लगाया। आपने मछलियों का ठेका दिया। आपने शूकर पाले और सूअर का मांस भी वितरित किया। आपकी सरकार ने अंगूर भी लगाये। लेकिन कमाल किया यह आपने लॉट्री की स्कीम भी ऐलान कर दी। सरकार के लिये लॉट्री और सरकार के वित्त मन्त्री की स्पीच में इसका उल्लेख, मेरे खयाल से यह आश्चर्यमतः परम्। यह आश्चर्य की व्यवस्था है। आपके लिये यह कतई शोभनीय नहीं है। मुझे अन्देशा है कि इसमें भी वही घोटाले होंगे जो रक्षा कोष के अन्दर हुए हैं। सादड़ी, ब्यावर का सोना इस तरह से घोटालों के ऊपर ही यह लॉट्री की स्कीम भी बनी-बनाई है। सिर्फ इसी घोटाले के लक्ष्य को लेकर यह बनी है कि "बापू का नाम जपना और पराया माल अपना।"

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मन्त्री की लॉट्री डाल दें आप।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लगान के सम्बन्ध में इतना ही मैं निवेदन करूंगा सरकार को कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसको उन्होंने वापिस उठा लिया। गरीब किसान को लगान की जो छूट दी थी उस लगान की छूट देने के सम्बन्ध में साहस का जो सरकार ने परिचय दिया था और जो आश्वासन दिया था उसको सरकार को कार्य रूप मे परिणत करना चाहिये।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐसी नाजुक समस्या पर आता हूं, जिसके बारे में कहना मेरा पुनीत कर्त्तव्य है। चाहे उचित हो वह, चाहे अनुचित हो, चाहे इस सदन के दायरे में आता हो या न आता हो, और वह प्रश्न है भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स के सम्बन्ध में।

देश के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, १ खरब १० अरब और २९ करोड़ का कर्जा है। इस कर्जे का सालाना सूद ५५० करोड़ रु० होता है। प्रिवीपर्स की कुल मिला कर धनराशि ५ करोड़ है। हमारा राष्ट्रीय बजट ३,००० करोड़ का है। प्रिवीपर्स की कुल धनराशि कन्सोलिडेटेड फण्ड ऑफ इण्डिया से मिलता है और वह पांच करोड़ यानी कुल खर्चे का आधा या .०५ पर्सेन्ट है।

मेरे खयाल में, एकतरफा रूप से वचन भंग करना यह सरकार के लिये अशोभनीय है और एक बहुत बुरी परम्परा है। जिस सन्दर्भ में यह प्रिवीपर्स का ठहराव हुआ था उस समय कल्पना तक नहीं की जा सकती थी कि जिन लोगों के नाम यह व्यवस्था दी गई थी उनके जीवन में ही यह देखना पड़ेगा कि केन्द्रीय सरकार का न्याय विभाग यह ऐलान कर रहा है स्पष्टतया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। मेरे खयाल से मैं आपको कोई ग्रेट नहीं देता, पर फिर इस स्थिति में भी नहीं हूं। अगर मेरे पास बारगेनिंग पावर है तब भी ऐसा अशोभनीय विचार नहीं रख सकता पर एक सभ्य नागरिक के नाते बहुत अपमानजनित व्यवस्थाएं, बहुतसी बातें सुनते-सुनते बीस बरस बीत गये। अगर यह भी सरकार ने बिल्कुल निश्चित किया है तो यह सरकार के लिये अशोभनीय है। इसका मैं विरोध किये बिना नहीं रह सकता। यह सरकार के लिये अहितकर व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब विशेष सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं एक और समस्या पर प्रकाश अवश्य डालना चाहूंगा और वह प्रकाश सेल्स-टैक्स अफसर के सम्बन्ध में है। सेल्स-टैक्स अफसर छोटे व्यापारियों के सामने साक्षात् शनिश्चर का दूत होकर पड़ता है। एक सभ्य आजाद देश के सम्मानित नागरिक का अपमानजनित जिस तरह का ये व्यवहार करते हैं, उसकी किताबें, उसकी बहियां उठाकर ले जाते हैं। तलाशी करते वक्त कैश भी ले जाते हैं तो मेरे खयाल में यह सेल्स-टैक्स अफसर उचित नहीं करता है। यह सेल्स-टैक्स अफसर नहीं है एक तरह से डाकू और लुटेरा है।

राजस्थान सेल्स-टैक्स की सैक्शन ५ मेरे खयाल से अनावश्यक है। इसमे इतने विस्तृत अधिकार इन अफसरों को दे रखे हैं कि जिससे वे काफी गलत तरीकों से अनुचित लाभ उठाते हैं। धारा १९१ इण्डियन आई. पी सी. की ही पर्याप्त है। वह मेरे खयाल में सबके ऊपर उसी हद तक लागू होती है, जिस हद तक कोई बेईमान व्यापारी पर लागू होती है। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि सैक्शन ५ ऑफ राजस्थान सेल्स-टैक्स को डिलीट कर दिया जाय।

मैं विशेष नहीं निवेदन करना चाहूंगा। इतना ही दोहराऊंगा कि आपकी कथनी भी अलग है और करनी भी अलग है।

९३ लाख की जो आपने कमी बताई है अगर यह वास्तविक रूप से १९३ लाख भी रह जावे तो मैं कहूंगा कि मैं वित्त मन्त्री को

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

शाबाशी दूंगा। पर मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होगा। विण्डो ड्रेसिंग है यह। विधान सभा रहेगी तब तक तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे पर फिर रूल्स और उसके अन्दर फिलामेन्टरी और कन्टेंप्शन करके खर्चा बढ़ा कर आप आपाधापी में लगे रहेंगे और करोड़ों रुपयों का यह इस तरह से डेफीसिट में हो जावेगा।

तो यह बजट उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की एक कहावत के अन्दर अगर मैं इसको घटित करूं तो यह कहावत उस पर चरितार्थ होती है—

"रूप रूडा गुण बायरा, रोहिडा रा फूल।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी !

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए यह बजट काफी तसल्लीबख्श है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं वह रेगिस्तानी इलाका है। बदकिस्मती से मुल्क तकसीम होने से यह इलाका पाकिस्तान की बोर्डर पर आया हुआ है। बोर्डर होने की वजह से वहां की जनता को हर वक्त काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

(२ म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से मैं सरकारी कर्मचारियों के मुताल्लिक कुछ निवेदन करना चाहता हूं, जिनके जुल्म और ज्यादतियों की कोई इन्तहा नहीं है। मैं आपकी मारफत सरकार तक अपने वहां की तकलीफात पहुँचाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सबसे बड़ी जो तकलीफ है वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है जो कि वहां पटवारी लोग हर वक्त करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई आदमी अगर अपने पिटीशन फॉर्म वगैरह भरवाते हैं तो पटवारी १००) रु० मांगता है। मजबूरन लोगों को देने पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से पंचायती राज कायम हुआ है तो उसमें जो पंच और सरपंच हैं मुझे इस बात का जाती पता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और पटवारी लोग अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ रोज पहले हमने अखबारों में देखा है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एक बयान दिया है उसमें यह इजहार किया है कि किसानों को पास बुके दी जायेंगी, जिनमें जमीनों के इन्दराजात होंगे। जब मैंने अखबार देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम किसानों को पास बुक से राहत मिलेगी। उसके साथ-साथ मैं सरकार से यह पुरजोर अपील करूंगा और मेरा यह सुझाव है कि सरकार अगर इन पास बुकों की बिना पर लोगों को लगान बैंकों में जमा कराने की व्यवस्था कर दे तो सरकार को इसमें क्या हर्ज हो सकता है? मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था के होने से लोगों के साथ जो पटवारी जुल्म और ज्यादती करते हैं वह खत्म हो जायगी और किसानों को बड़ी भारी राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह शिकायत जितने भी मेम्बर साहबान हैं उन सबके इलाके में होगी। मैं समझता हूं कि तमाम मेम्बरान इस मामले में मेरी पूरी मदद करेंगे और सरकार से अपील करेंगे। सरकार इस विचार को अगर मान ले तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी।

(२.०२ म० प०)

Page No. 74

(श्री अब्दुल हादी)

(2.02 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

चेयरमैन महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा इलाका जो है वह रेगिस्तानी इलाका है। चार साल में एक साल ऐसा आता है जिससे लोगों का गुजारा होता है, और तीन साल के करीब-करीब अकाल रहता है। वहां के लोगों का जो खास गुजारा है वह मवेशियों पर है। सैटलमेंट के वक्त लोगों की नावक्फियत की वजह से उन्होंने जमीन गोचर इन्दराज़ नहीं करवाई। गोचर नहीं होने की वजह से मवेशियों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है और काफी इलाके में अमूमन तमाम ऐसे गांव हैं जिन गांवों के अन्दर बिल्कुल गोचर नहीं है। सरकार ने एक नीति बनाई है उसमें यह है कि फी मवेशी के पीछे आधा बीघा गोचर सरकार ने रखी है, मगर यह आधा बीघा बहुत कम है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि फी मवेशी के लिए एक बीघा रखना चाहिए और मवेशियों में भेड़-बकरी भी रखी जायं जिससे काफी गोचर भूमि हो सकती है। उस इलाके के लोगों का खास गुजारा ही मवेशियों पर है तो मैं समझता हूं कि मवेशियों को अगर सरकार को जिन्दा रखना है तो उस बात पर काफी तवज्जह दे। हमारे यहां के मवेशी खास तौर से मशहूर हैं, खास तौर से गायें हमारे इलाके की बहुत मशहूर हैं। सारे हिन्दुस्तान में वहां की थारपारकर ब्रीड मशहूर गाय है। वह एक टाइम में ७ से १० किलो तक दूध देती है। हमारे यहां हर साल महाराष्ट्र और गुजरात सरकार की डेयरीज़ के लिए गायें खरीदने के लिए डॉक्टर लोग आते हैं और सैंकड़ों की तादाद में गायें खरीदी जाती हैं। अब थारपारकर ब्रीड आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि मवेशियों को कायम रखने के लिए गोचर का इन्तजाम भी करे, और अलावा इसके डेयरीज़ वहां पर खोली जायं सरकार की तरफ से ताकि यह नस्ल हमारे इलाके की बच सके।

चेयरमैन महोदय, अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां की स्कूलों के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां बाड़मेर जिले की तीन पंचायत समितियों—चौहटन, बाड़मेर और शिव में इमरजेन्सी के टाइम पर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के अन्दर में दे दी गई थीं। इमरजेन्सी चूंकि खत्म हो चुकी है इसलिए ये स्कूलें वापिस पंचायत समितियों के अन्दर दे दी जायं। स्कूलें इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के अन्दर में होने की वजह से इन्तजाम ठीक नहीं है उनका। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स उनको सम्भाल नहीं सकते। इसलिए पंचायत समितियों के अन्दर में देने से मैं समझता हूं कि स्कूलों का इन्तजाम ठीक होगा। अब जबकि इमरजेन्सी खत्म हो चुकी है तो ऐसी सूरत में ये स्कूलें वापस पंचायत समितियों को देना चाहिए।

चेयरमैन महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुजिश्ता साल में हमारे यहां जो जमीनों का एलॉटमेंट हुआ है वह बहुत गलत तरीके से हुआ है। तहसीलदारों ने अपनी मनमानी से बगैर एलॉटमेंट कमेटी बुलाये एलॉटमेंट किया है। खास तौर से मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं वहां के इलाके में तहसीलदारों ने हजारों रुपया फी बीघा लेकर एलॉटमेंट किया है। मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में पूरा इन्तजाम

(श्री अब्दुल हादी)

करेगी और तहसीलदारों को हिदायत करेगी कि बगैर एलॉटमेंट कमेटी के जमीनों का एलॉटमेंट न करें ।

चेयरमैन महोदय, अब मैं पंचायतों के मुताल्लिक कुछ जिक्र करना चाहता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां, मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान के लिए यही बात है, खास तौर से मैं अपने इलाके की बात करता हूं कि हमारे यहां जो सरपंच हैं वे बहुत ही कम तादाद में लिखे-पढ़े हैं इसलिए उनसे एकाउन्ट में तो गलती हो ही जाती है। जब एकाउन्ट चेक कराने के लिए ऑडिट वालों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि पैसा लाओ वर्ना ऑडिट गलत करेंगे तो मजबूरन उनको (ऑडिट वालों को) पैसा देते हैं और पैसा देकर काम कराते हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है, और मैं समझता हूं कि बहुत समझने की बात है और सारे राजस्थान में यह दिक्कत होती है । सरकार को चाहिए कि जब सरकार इतना खर्चा कर रही है तो पंचायतों के लिए ट्रेन्ड सचिव उनको देना चाहिए । ट्रेन्ड सैक्रेटरी अगर आप दे दें तो एकाउन्ट का मामला उनके जिम्मे रखा जाय ताकि सरपंचों को ऑफिसरों की तरफ नहीं देखना पड़े और हर वक्त उनका मोहताज न होना पड़े। यह जरूरी मसला है, और काफी मेम्बरान इसको महसूस करेंगे और सरकार को हर पंचायत के लिए एक आदमी देने में ज्यादा खर्च लगता है तो २-३ पंचायतों को मिलाकर एक सेक्रेटरी तो होना ही चाहिए जो कि ट्रेन्ड हो और जो कि एकाउन्ट्स के मामले कर सके। मुझे इस बात का तजुर्बा है क्योंकि मैं सरपंच हूं और हम जानते हैं कि किस तरह से ऑडिट वाले हम लोगों को दिक्कत देते हैं। इसलिए मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि सरकार इस मामले में खास तौर से तवज्जह देकर पंचायतों के लिए ट्रेन्ड सैक्रेटरी रखे।

विकास का काम भी होता है, काफी बड़ी तादाद में काम होता है, इस काम को कौन करे, कौन हिसाब-किताब रखे इस बारे में बड़ी दुविधा है । यदि सरकार इस पर विचार करे तो सरपंचों की आफत मिट जायगी । उनके खिलाफ झूठे-सच्चे केस बनते हैं उनसे बच जायेंगे, राहत मिलेगी और पंचायतों का काम भी अच्छी तरह से चलेगा। मैं समझता हूं सरकार हमारे मामले पर तवज्जोह देगी, सोचेगी, समझेगी ।

चेयरमैन महोदय, अब मैं पानी के मुताल्लिक निवेदन करना चाहता हूं । इन्सान को जिन्दगी बसर करने के लिये सबसे पहले पानी की जरूरत रहती है। चेयरमैन महोदय, हमारा बाड़मेर जिला काफी पूरा रेगिस्तान है, जिसमें शेरगढ़ भी है, जैसलमेर भी है। इन इलाकों में पानी की काफी किल्लत है और बहुत काफी ऐसा इलाका है जहां पर पानी बिल्कुल खारा है। सरकार के इस सारे बजट में मेरे खयाल से जैसलमेर और बाड़मेर का कहीं नाम निशान नहीं है । यह बड़े अफसोस की बात है। सड़कों के बारे में हमारे जिले में थोड़ा बहुत काम किया वह भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने किया। पानी की तरफ तवज्जह बजट में न देख कर दुःख हुआ इसलिये मैं सरकार से पुरजोर अपील करूंगा कि जहां पर मीठा पानी उपलब्ध है वहां से नलों द्वारा मीठा पानी उस जगह पर पहुँचाने की व्यवस्था करे जहां पर खारा पानी है । यदि नलों द्वारा मीठा पानी पहुँचाया जाय तो लोगों को राहत मिल सकती है। हमारे यहां पर १३ में से १२ ट्यूब-वेल्स मीठे पानी के

(श्री अब्दुल हादी)

हैं लेकिन उनमें से कुछ चल रहे हैं और बाकी बंद पड़े हैं। जो बंद पड़े हैं उनकी ओर सरकार ध्यान देकर चालू करने की व्यवस्था करे। जिन गांवों में खारा पानी है ऐसा ही एक गांव बायतू है जहां की आबादी १० हजार के लगभग है, वह पंचायत समिति का हैड-क्वार्टर भी है लेकिन वहां का पानी खारा है। ऐसे गांव में तो कम से कम मीठे पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। नल के जरिये पानी पहुँचाया जाय तो बड़ी बात नहीं है। मैं पुरजोर निवेदन करूंगा कि सरकार पानी की समुचित व्यवस्था करे।

अब मैं आपसे चीनी के वितरण के बारे में निवेदन करूंगा। हमारे इलाके के गांवों में गरीबों को बिल्कुल चीनी मिलने का सवाल नहीं है। दुकानदारों को देते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो चीनी को बाड़मेर में ही खत्म कर देते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जैसी पहले चीनी की व्यवस्था पंचायत समितियों के अंडर में थी उसी तरह से वापिस उन्हीं को चीनी वितरण की व्यवस्था सौंप दी जानी चाहिये। पंचायत समिति एक ऐसी चीज है जहां सारे पंच, सरपंच आते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, हरएक जगह के बारे में बात होती है, उनसे पता चल सकता है कि हर गांव में चीनी मिली या नहीं। अब उन लोगों के पास दूसरा अधिक काम भी नहीं है, बी० डी० ओ० बेकार बैठे रहते हैं या इधर-उधर मोटरें दौड़ाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि चीनी वितरण का काम पंचायत समिति को दे दिया जाय तो कुछ राहत मिल सकती है। इसमें सरकार को भी कोई हर्ज हो ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार विचार करेगी।

चेयरमैन महोदय, अब हमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसके बारे में निवेदन आखिर में कर देता हूं, वह है पुलिस के बारे में। हमारे इलाके में माइनोरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं। बदकिस्मती से मुल्क के तकसीम होने की वजह से बोर्डर पर रहते हैं इसलिये पुलिस वाले उनके साथ लूट-खसोट करते हैं। उसके लिये क्या अर्ज करूं खास तौर से सी० आई० डी० का महकमा है उनका यह रवैया है कि वे देखते हैं कि कौन पैसे वाला है उसको कहते हैं कि तेरे खिलाफ डायरी देता हूं या तो इतने रुपये दे दे रुपये नहीं देगा तो इन्टेरोमीडेशन बना दूंगा। इस तरह की शिकायत वहां पर ज्यादा है। जितने छोटे तबके के लोग हैं वे वहां के लोकल आदमी हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि लोकल आदमियों को वहां पर क्यों रखा गया है। सी० आई० डी० का काम अहम है। उसके लिये ईमानदार आदमी होना चाहिये जो सरकार को गुमराह करने की बात न करे और सही बात पहुँचाने की कोशिश करे। इसलिये मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। यह हमारी अहम समस्या है, लूट-खसोट का मामला है, वहां पर लोकल स्टाफ न रखें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, कल मैंने जब वित्त मंत्री महोदय का भाषण सुना और उसके बाद भाषण पढ़ा, मनन किया तो मेरा मन हुआ कि अब की बार स्वभाव के विपरीत वित्त मंत्रीजी को बधाई दूं और बधाई इसलिये दूं कि मेरा जो उनके बारे में पिछला मत था उसको बदलने में ये कामयाब हुए हैं। पिछले २३ साल से मैं माथुर साहब को विभिन्न रूपों में देखता आया हूं। युवक नेता पार्टी के नेता और मंत्री के रूप में मैं उनको देखता आया हूं।

(श्री नत्थीसिंह)

उनमें एक कला थी जिसको उन्होंने पारंगत किया और वह कला यह थी कि चाहे उनका पक्ष कमजोर ही हो उसको छिपाना। कभी भी उन्होंने अपनी कमजोरी को आचरण में प्रकट नहीं होने दिया, वाणी से प्रकट नहीं होने दिया। अबकी बार उनके ऊपर का आवरण थोड़ा हट गया। अपनी कमजोरी को और बीमारी को छिपाने की चेष्टा की भी गई है तो उसमें वे असफल रहे हैं और सारी कमजोरी को बजट भाषण के रूप में सदन में नंगे रूप में प्रकट किया है। उसके ऊपर आवरण डाला है परन्तु वह झीणा आवरण है और उसमें से वह तस्वीर जो कांग्रेस के २० साल के शासन के जमाने की दिल्ली की ओर राजस्थान की है वह स्पष्ट झलकती है।

सबसे पहली बात जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माथुर साहब ने अंत में कहा कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्यादा सस्पेन्स में रखना नहीं चाहता, और कहा कि बिना कोई कर लगाये अबकी बार बजट पेश कर रहा हूं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से तसलीम किया है कि पिछले २० साल तक करों पर कर लगाते गये जो चरम बिन्दु पर पहुँच गया है। अब जरिया नहीं रहा जिस पर कर लगाते। इस मजबूरी को मानते हुए यह तसलीम किया कि इतना कर लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि योजना के द्वारा प्रदेश का भला करने में समर्थ नहीं रहे, अपने आपको असमर्थ माना है। पिछली बार जब हम सदन में नहीं थे, अनुपस्थित थे, मुख्य मंत्रीजी का जोश-खरोश का भाषण था उन्होंने कहा था कि इस देश का कोई योजना मिनिस्टर हो सकता है तो वह इन्द्रदेव है। इस बात की पुष्टि वित्त मंत्रीजी का बजट भाषण है। दूसरी बात जिसकी पुष्टि इन्होंने की वह यह है कि ऊपर से इन्द्रदेव खुश न हों और दिल्ली में इन्द्रादेवी हैं उन पर ही सब कुछ दारोमदार है। यदि ये दोनों रुठ जावें तो न योजना चलेगी और न और कार्य चलेंगे। फिर तो कर्मचारियों को वेतन भुगताने में भी आफत आयगी इस बात को इन्होंने अपने बजट भाषण में मंजूर किया है।

दूसरी बात बजट भाषण में अच्छी तरह से कही, उन्होंने यह माना है, पिछले बजट भाषण में, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हमने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, कितने पोलीटेक्निक के विद्यार्थियों की तादाद बढ़ाई है, कितने मेडिकल के छात्रों की तादाद बढ़ाई है। अबकी बार उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी सारी पिछली योजनाएं नाकामयाब रहीं।

इसके विपरीत हम सब जगह भर्तियां कम कर रहे हैं, या उनको तोड़ रहे हैं, इन्जीनियरों की समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े देने की कोशिश की, करते ही, क्योंकि यह तो भरोसा था कि कुछ करतब तो दिखाते ही। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है ५१-५२ से तुलना करते हुए कि कितने गांवों में बिजली पहुँचाई, उन्होंने तो चतुरता की है पर वह चतुरता थोड़ी सी मेहनत करने से खुल कर असली रूप में सामने आ गई।

उन्होंने कहा कि वर्ष के अन्त तक १८९८ गांवों में बिजली पहुँचा देंगे। पिछले वर्ष गांवों में देखा था कि १८३७ गांवों में बिजली के खम्भे डाल चुके थे, चुनावों के समय में लट्ठे डाल दिये, पता

Page No. 78

(श्री नत्थीसिंह)

नहीं लट्ठे डालने के लिये उन्हें कितने आदमी मुकर्रर करने पड़े, १८३७ गांवों में इस तरह बिजली पहुंच गई । ३१ गांवों में बिजली देने के लिये अन्दाज लगाते हैं, उसका उन्हें विश्वास नहीं है ।

दूसरी बात उन्होने लड़कों के बारे में कही, बड़ी खुशी से कह दिया कि राज्य के कई महकमों को तोड़ दिया जाय तो कोई बात नहीं, उन्होंने पहला प्रहार तो नवाब साहब पर किया है, वे यहां हैं नहीं, केवल ४ पुल बनाने का काम उनके विभाग पर है। अगर चार पुल ही बनाने हैं तो इस सारे महकमें को वाइन्ड अप कर दीजिये, सारे महकमे की क्या जरूरत है, इस प्रकार का इशारा उन्होंने किया है पर वे कह नहीं पाये ।

सबसे बड़ी बात जो अपनी गवर्नमेंट के विषय में कही है, वह जिक्र आता है उनकी नीतियों के बारे में, नीतियों के बारे में बहुत बड़ी जगह उन्होंने अपने बजट भाषण में घेरी है कि गवर्नमेंट की नीतियां क्या हैं। पर वहां भी वे गवर्नमेंट का पर्दा-फाश करने से बाज नहीं आये, इसकी मुझे खुशी है, सारी गवर्नमेंट की नीतियां दोहरा दीं और नीतियों को दोहराने में खण्ड ५३ से ८५ तक और पेज २० से ४७ तक ले लिये, इस तरह २७ पेज नीतियों से भरे हैं। पर अन्त का खण्ड ८५ है उसमें वित्त मंत्रीजी ने नीतियों के बारे में बता दिया कि आप गवर्नमेंट की इन नीतियों के मुगालते में आ जाना मत, हमारी सरकार की नीतियां कई हैं, भरोसे मत रह जाना। हमारी एक खास नीति है और जो नीति लगातार चली आई है वह हमारी सरकार की मुख्य नीति है कह कर मुकर जाने की....

उससे अन्दाज लगाओ तो यह वचनभंगी सरकार रही है। इसके अलावा सरकार की और कोई नीति नहीं रही है।

इसी लिये खण्ड ८५ में वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि जो हमने छोटी जोतों पर भू-राजस्व की काश्तकारों को छूट दी थी, उस छूट को हम वापिस लेते हैं । इससे आप अन्दाज लगायेंगे कि इस सरकार की नीति कितनी जल्दी-जल्दी बदलती है। यहां छोटी जोतों पर भू-राजस्व के सम्बन्ध में इसी विधान सभा के सत्र में मई में एक बार घोषणा की गई, राज्यपाल महोदय ने घोषणा को बड़े अच्छे-अच्छे शब्दों में कि हम क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं, उस घोषणा के जरिये उन्होंने कहा कि हमने छोटी जोत वाले काश्तकारों पर से सारा लगान माफ किया। इसके साथ ही बड़े-बड़े किसान हैं, उन पर सीलिंग से दुगुना सरचार्ज लगाया।

दूसरी बार हमने इस सरकार की नीति को देखा, दिसम्बर में वह नीति प्रारम्भ हुई, कलेक्टरों को आदेश दिये गये कि पूरा का पूरा लगान उन छोटी जोत वाले किसानों से भी वसूल कर लिया जाना चाहिये। फिर इस सरकार की इस सम्बन्ध में तीसरी नीति जनवरी में हमारे सामने आई, सरकार द्वारा छोटी जोतों पर माफ किये गये लगान को पूरा का पूरा वसूल करने की जब घोषणा सरकार द्वारा की गई तो उसके विरोध में विरोधी पक्ष ने सरकार की इस नीति की निंदा का प्रस्ताव

(श्री नत्थीसिंह)

दिया, इस प्रश्न को लेकर तो उस दिन भी इन्हीं वित्त मंत्रीजी ने कहा था, इन्हीं वित्त मंत्रीजी ने कांग्रेस पार्टी के उप-नेता के रूप में यहां सदन मे जवाब दिया था, हिचकते-हिचकते जवाब दिया था कि छोटी जोतों वाले किसानों से जो हमने भू-राजस्व वसूल किया है वह हम दो किश्तों में उन्हें वापिस लौटा देंगे। सरकार की तीसरी नीति हमने यह देखी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : चेयरमैन महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि यहां नीतियों के सम्बन्ध में बहस हो रही है और दोनों मन्त्री महोदय, सदन में नहीं हैं। जिस समय सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में कहा जाय उस समय मन्त्री यहां सदन में नहीं बैठें, इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है।

श्री खेतसिंह : एक माननीय मन्त्री अभी आ रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अगर मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य हमारे माननीय सदस्य के भाषण से डर के मारे और इस लज्जा से कि जो कुछ बातें कही जा रही हैं, सही-सही हैं, सदन से चले गये हैं तो यह बड़े अफसोस की बात है। केवल उप-मन्त्री बैठे हुए हैं यहां, उनको इस राज्य की नीतियों में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है, केबिनेट में उनको भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, यहां सदन में इस समय कोई केबिनेट स्तर के मन्त्री नहीं हैं....

श्री सभापति : वे आ रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनको भी नीति सम्बन्धी फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये कोई केबिनेट स्तर के मंत्री नहीं हैं। यहां सदन में जब इतनी महत्त्वपूर्ण बहस हो रही है तो केबिनेट स्तर के मंत्री का रहना जरूरी है, जो राज्य की नीति निर्धारण करने में केबिनेट में भाग लेते हों।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री) : मिस्टर चेयरमैन सर, आई एम हीयर। आप जो कुछ बोलेंगे, एक-एक पोइन्ट का जवाब दिया जायगा, अगर वह जवाब देने लायक होगा तो, जवाब देने लायक नहीं होगा तो कोई जवाब नहीं दिया जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप किस कानून से गवर्नमेन्ट को रिप्रेजेन्ट करते हैं, केबिनेट स्तर के मिनिस्टर तो आप हैं नहीं, जो केबिनेट स्तर के मिनिस्टर होते हैं वे ही गवर्नमेन्ट को रिप्रेजेन्ट करते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ! श्री नत्थीसिंह ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य को उत्तर दे दूं। ऐसा लगता है विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने रूल्स ऑफ बिजनेस को पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की है। रूल्स में साफ़ शब्द हैं :

'Finance Minister' means any Minister, and I am Minister in the Ministry of Finance and, therefore, I am truly and fully representing the Finance Minister.

Page No. 80

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत-से मंत्री तो ऐसे है जिनकी चपरासी से भी कम हैसियत है, जिनके पास फाइलें तक नहीं जाती हैं...

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप पूछते हैं कि रूल्स में फाइनेन्स की डेफिनीशन क्या है। आप बताइये कि फाइनेन्स के कितने हैड्स होते हैं। लेजर हैड्स में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बजट प्रस्तुत करने के लिये कितने हैड्स होते हैं, आप डेफिनीशन नहीं जानते।

श्री सभापति : यह रिलेवेनेवल नही है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपकी जो बात जवाब देने लायक होगी उसका जवाब दिया जायगा। फालतू बातों का जवाब नहीं दिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस के उप-नेता की हैसियत से इन्हीं वित्त मंत्रीजी ने जो छोटी जोतों वाले किसानों को माफ किया था वहीं भू-राजस्व सरकार ने पुनः लेने की घोषणा की उसके सम्बन्ध में कहा था, उस समय हमने इस वचनभंगी सरकार की तीसरी नीति को देखा। इन्होंने कहा था कि छोटी जोतों पर जो माफ किया हुआ भू-राजस्व वसूल करने के आदेश दिये हैं, उन आदेशों को हम वापिस लेते हैं और वह भू-राजस्व उन किसानों को दो किश्तों में वापिस कर देंगे। मैंने उस समय उनसे सदन में साफ सवाल पूछा था कि आगे आपकी क्या नीति है, इस सम्बन्ध में, आपके राज्यपाल ने स्पष्ट घोषणा की थी कि सभी छोटी जोतों पर लगान नहीं लगायेंगे, उस वक्त मैंने कहा था कि आप वचन-भंग के सम्बन्ध में स्पष्ट कहिये कि आगे इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति रहेगी। वित्त मंत्री उस समय इस स्थिति में नहीं थे कि साफ जवाब देते, वे टालमटोल करना चाहते थे, मैंने उस समय कहा था कि आपके हाकिम साहब सदन में नहीं हैं। मेरी यह मान्यता है कि मुख्य मंत्री की यह स्थिति होती है।

First among the equals,

किन्तु कभी यह नहीं होता कि जितने साथी हैं, वे केवल पेशकार का काम करें और मुख्य मंत्री ही सर्वेसर्वा हो कर बैठ जायं। आज राजस्थान में मंत्रिमंडल की हैसियत नहीं है, मुख्य मंत्री सर्वेसर्वा हो कर बैठे हैं और बाकी सब मंत्री बेकार और पेशकार मात्र हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : This is absolute nonsense.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हूत।

श्री नत्थीसिंह : उनका जवाब देने का साहस नहीं होता, न उनको बेचैनी सी होती है कि हमारे हाकिम साहब इसमें क्या कहते हैं। हाकिम साहब आये और इसके सम्बन्ध में नीति की चौथी घोषणा कर दी, इस सरकार की नीति क्या है, १० महीने में तीन-चार परिवर्तन हुए। यह चौथा परिवर्तन हुआ है। वित्त मंत्रीजी ने जिन्होंने यहां इस सदन में कहा था कि जब तक यह सदन तय नहीं करेगा, जब तक यह सदन इस सम्बन्ध में और कुछ निश्चय नहीं करेगा तब तक छोटी जोत वाले काश्तकारों को जो भू-राजस्व की छूट दी है, वह जारी रहेगी।

(श्री नत्थीसिंह)

पर इस सदन से पूछा तक नहीं गया, इस सदन की मोहर लगवाई नहीं गई और वित्त मंत्रीजी ने तीसरी बार फिर वचन भंग किया। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आपकी मंशा क्या है ? नीति के ऊपर आपको एक फैसला लेना होगा।

आप एक तरफ कहते हैं कि राज्य के व्यापक हितों के सन्दर्भ में राजनैतिक दलों को सोचना चाहिये।

मैं पूछना चाहता हूं कि किसको आप व्यापक हित कहते हैं। आपके राजस्व मंत्रीजी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये थे, उनको ध्यान में रखते हुए आप व्यापक हित कहते हैं ? मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस सदन में हमारी पार्टी ने बार-बार इस प्रश्न को उठाया है। हिन्दुस्तान की राजनीति के संदर्भ में हमारी यह मान्यता है, यह छोटे काश्तकार सबसे ज्यादा संख्या में हैं, जिनके बल पर आप राज्य करना चाहते हो, और आप कहते हो कि हम छोटी जातियों के लोगों को, परिगणित जाति के लोगों को मदद देते हैं, तो उसमें असल में क्या है, वह असलियत मैं खोलता हूं। १९६३ में हमारी समाजवादी पार्टी के नेता, श्री रामकिशनजी ने इस सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव के द्वारा मांग की थी कि अलाभकर जोतों पर जो लगान है. वह लगान माफ कर देना चाहिए। लेकिन आपने उस वक्त नहीं माना। आपने माना तब जबकि उसको प्लानिंग कमीशन ने माना। आपने उस वक्त एलान किया जबकि सात मार्च को गोली चलाकर अपना राज्य बनाने का आप षड्यन्त्र कर रहे थे। उस समय राज्य बनाने में कामयाब होने के लिए, सस्ती वाहवाही लूटने के लिए आपने एलान किया, जिस वक्त भेड़ बकरियों की तरह आप एम. एल. एज. को खरीदने में लगे थे उस वक्त आपने एलान किया। इससे आपने जहां एक ओर प्रशासन को खराब किया वहां दूसरी ओर देश के अन्दर राजनैतिक क्षेत्र को भ्रष्ट किया। तो आपने राजनैतिक भ्रष्टाचार तो फैलाया ही है, उसके साथ जनता के साथ भी आपने धोखा किया है...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बिल्कुल गलत है।

श्री नत्थीसिंह : आपके बिल्कुल गलत कहने से यह गलत नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप किस तरह से राज्य मंत्री बन गये हैं। यदि कुछ दिन और सुखाड़ियाजी ने चुप्पी साध ली होती, और कुछ दिनों की वह देर लगाते तो आप यहां मेरी बगल में बैठे हुए नजर आते। मैं कहूंगा कि उन्होने आपको राज्य मंत्री बनाने में थोड़ी जल्दी कर दी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वित्त मंत्रीजी से मुख्य मंत्री ने इस बजट में क्या-क्या कराया है और इसके अन्दर क्या-क्या प्रावधान डलवाये है। इनके ऊपर मैं सदन में प्रकाश डालूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप राज्य की जनता को भूखा मारना चाहते हैं. किस तरह से आप जनता को सताना चाहते हैं, किस तरह से गरीब किसान की सुविधायें आप वापिस लेना चाहते है, छोटे-छोटे काश्तकारों से आप किस तरह से सुविधायें वापिस लेना चाहते हैं और राजनैतिक प्रलोभनों से आप राजनैतिक भ्रष्टाचार की किस तरह से व्यवस्था करते हैं। आप शांति से सुनिये ! बैठिये ! बैठिये....

Page No. 82

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह भाषण चौपड़ पर ज्यादा अच्छा रहता। यह भाषण चौपड़ पर ज्यादा ठीक रहता।

श्री नत्थीसिंह : मैं इस प्रश्न पर बिलकुल सैद्धान्तिक रूप से आपसे विवाद करने के लिये तैयार हूं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपका सिद्धान्त क्या है ? आप चाहे कहते हों कि हम व्यापक जनहित मे काम करना चाहते हैं। आपके राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान में तीन करोड़ उन्नीस लाख एकड़ जमीन की जोत है, उसमें से करीब दो करोड़ तेईस लाख जमीन पर ऐसे काश्तकारों की जोत है, जो अनार्थिक जोत है। आज जिसको काश्तकार माना जाता है उनमें से दो-तिहाई हिस्सा ऐसे काश्तकारों का है जो इस प्रकार की अनार्थिक जोतों पर निर्भर है, जिन जोतों में लागत को भी वापिस निकालना मुश्किल है, और वह बड़ी मुश्किल से अपनी उदर पूर्ति करते हैं। आज आप राजस्थान की जनता के व्यापक हित का नाम लेकर उन गरीब किसानों के पेट पर कुठाराघात करते हैं, जो कि खुद खेती मे लगे रहते है, उनकी बीबी उसमें लगी रहती है उनके बच्चे उसमें लगे रहते हैं और रात-दिन वह सब मेहनत करने के बाद भी अपनी लागत वसूल नहीं कर पाते हैं, और आप समाजवाद का नारा लगाते हुए राजस्थान की जनता को व्यापक हित की बात करते हैं। आपको शर्म नहीं यह फैसला करते वक्त कि आप उन पर लगान वापिस लागू करना चाहते हैं। और फिर आप बात करते हैं सिद्धांत की। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस की किन-किन सरकारों ने छोटी जोतों पर लगान माफ करने का फैसला किया ? आज जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, उस मद्रास के अन्दर जब आपकी खुद की सरकार थी, जिसने कि यह फैसला किया था कि छोटी जोतों पर लगान माफ किया जायेगा। इसके अलावा बिहार की हमारी सरकार ने यह फैसला किया। वहां पर कांग्रेस सरकार होती तो उसकी हिम्मत नहीं होती। तो मैं आपको मद्रास की सरकार का उदाहरण देना चाहता हूं कि जब वहां पर आपकी कांग्रेस सरकार का, आपका प्रभुत्व था उस समय उसने इसको माना है। लेकिन यहां पर आप एलान करके, बहुमत में आने के बाद अपने वायदे से मुकरते है। मुझे मालूम है कि आप किस तरह से किसानों के वोटों से जीत कर आने वाले माननीय सदस्यों को चुप कर देते हैं। मेरा यह मत है कि यह जो बजट है, यह पूर्णतया किसानों के हितों के विरुद्ध बजट है। आज आपके द्वारा पूंजीपतियों और व्यापारियों को सुविधायें दी जाती हैं, उनके लिए चुंगी को माफ कर देते हैं, उनको बिजली की सुविधा दे देते हैं, उनको कहा जाता है कि जमीन देंगे व रियायती दर पर देंगे, लेकिन छोटे-छोटे आदमियों को सुविधायें दीं उनको आप वापिस लेने की कार्यवाही करने जा रहे हैं यह जो आपने एलान किया है, उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके लिए आपने कभी कहा कि इसमें डेढ़ करोड़ का घाटा होगा, कभी कहा कि इसमें एक करोड़ बीस लाख का घाटा होगा, लेकिन आपने अब कहा है कि इससे पिचहत्तर लाख की कमी आयेगी, जब पिचहत्तर लाख की कमी भू राजस्व में अनार्थिक जोतों पर लगान माफ करने की होती है और आप बजट में जो घाटा बताते हैं तो जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा था कि असल में आपको घाटा कितना होगा, वह तो अगली बार जब हम लोग यहां बैठेंगे, अगर आपने जनतंत्र

(श्री नत्थीसिंह)

को सुरक्षित रहने दिया, तब पता लगेगा कि असल में घाटा कितना है। यह आंकड़े देकर तो आप जनता को धोखा देना चाहते है, यह एक तरह से आंकड़ों का छलावा है और इस धोखे और छलावे में आने वाले नहीं हैं। लेकिन आपकी जो मन्शा है, आपकी जो नीयत है, वह इससे साफ और स्पष्ट हो गई है कि आप पूंजीपतियों की जेब में रहने वाले लोग हैं, आप पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। आप किसानों और मजदूरों को सुविधायें देने के लिए नहीं हैं, न उनके हितों की रक्षा करने के लिए हैं और न उनको सुविधा देने की और उनके हितों की रक्षा करने की आपकी तमन्ना है, और उसके लिए आपके अन्दर दृढ़ निश्चय है वरना आपके इस ऐलान को करने से पहिले वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी इन कुर्सियों पर नहीं रहे होते। मुझे दुःख है कि उधर बैठने वाले जो लोग है जिनके दिल में किसानों की हालत के प्रति टीस हैं, गरीब जनता की हालत के प्रति टीस है, लेकिन उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। यह ताला क्यों लगा हुआ है? आप सोचिये कि आप कहते हैं कि आपको छोटी जोतों पर लगान माफ करने से पचहत्तर लाख रुपये का नुकसान होगा, इसलिए आप माफ नहीं करना चाहते लेकिन आप दूसरी ओर खनिज निगम के नाम से ८ लाख रुपये लगाकर एक कॉर्पोरेशन खोलना चाहते है। यह क्यों खोलना चाहते हैं ? वह इसलिये कि जो सज्जन उधर बैठते थे, जो हमारे मित्र थे, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, उनके लिए आपने सोचा कि इनको किस कुर्सी पर बैठा दें, तो उनको होटल कॉर्पोरेशन में नौकरी पर लगा दिया। एक और थे उनको आपने रोडवेज में लगा दिया। आपने छत्तीस व्यक्तियों की मिनिस्ट्री खड़ी कर ली, क्योंकि आपको राज्य चलाना है। यह उसी का नतीजा है कि आप यह चाहते है कि भले ही जनता भाड़ में जाय, गरीब लोग मर जायें, वह लोग कितनी ही परेशानी में रहें लेकिन आपका जो राज्य है वह किसी तरह आप धकेले जायें। इसके लिए आपने छत्तीस मिनिस्टरों की फौज बनाई और अब आप कॉर्पोरेशन्स के जरिये से हारे हुए लोगों को, उधर बैठने वाले मरे हुए लोगों को पिटे हुए लोगों को रोजगार दिलाना चाहते हैं। जनता की जो गाढ़ी कमाई है, उसको लेकर आप कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन खोल कर ऐसे लोगों को उनमें बैठाना चाहते है। मुझे पहले ही यह मालूम था, जब छत्तीस मिनिस्टरों की सरकार बनाने की बात चल रही थी, उस वक्त लाबीज में यह चर्चा थी कि हम कोर्पोरेशन बनायेंगे और उनको बना कर जो हारे हुए लोग हैं उनको उनमें बिठा देंगे और उनकी भी डिप्टी मिनिस्टर के बराबर हैसियत हो जायगी। अब उसी आश्वासन को कार्यान्वित किया जा रहा है। कहीं तो हाउसिंग बोर्ड खोलते है, कहीं पर आप खनिज निगम खोलते हैं। फिर कहते हैं कि हमें छोटी जोतों पर लगान माफ करने से ७५ लाख का नुकसान होगा उसको हम कहां से लायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपका सुझाव था खनिज निगम का !

श्री नत्थीसिंह : यह नहीं था। मेरा जो सुझाव था वह मैं बता दूंगा। लेकिन आप क्यों परेशान हैं, आपका नम्बर मिनिस्ट्री में नहीं आयेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रोशन लालजी का और गिरधारीलालजी का नम्बर आजाय तो हम विरोध नहीं करेंगे।

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

श्री नत्थीसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्न को आर्थिक स्थिति की बात कह कर, आर्थिक संकट आ गया है यह कह कर टलाया नहीं जा सकता है। यह आर्थिक संकट का प्रश्न नहीं है, यह सरकार की नीतियों का प्रश्न है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो वाणी से किसानों के हित की बात कहती है, उससे वह मुकर रही है। अगर वह नहीं मुकर रही होती तो वह छोटी जोतों पर लगान माफ करने वाली बात को वापिस नहीं लेती। मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी की मान्यता है कि बड़े काश्तकारों पर निश्चित रूप से कर लगाया जाय। हम भू-राजस्व के पूर्णतया विरोधी हैं, क्योंकि भू-राजस्व सामन्तवादी कर है, जो कि कहीं नहीं लगना चाहिए। जो अधिक भूमि से कमाता है उसके लिए कृषि आय कर आप लगा दें जिसमें कि असेसमेंट की भी सुविधा नहीं हो। आप निश्चित रूप से एक डेढ़ पर्सेन्ट आय कर लगा दें, जैसा कि केरल ने किया है; जिसके सम्बन्ध में बिहार ने बिल बनाया है। उसी तरह से आप अपने घाटे की आमदनी को पूरा करने के लिए कर लगाइये। आपने ऐसा न करके जो पूंजीपतियों और व्यापारियों को सुविधा दी है, उसके पीछे आपका एक निश्चित इरादा है। वह निश्चित इरादा यह है कि जैसे आपने चुनाव के दिनों में बनेड़ा में अठारह गांवों में बिजली के खम्भों का जाल फैला दिया। लेकिन वह लगे नहीं, और आज स्थिति यह है कि रायेला गांव में १०८ रुपयों का आपने एक चौकीदार रखा है क्योंकि आपको चिन्ता है कि उन खम्भों को कोई उठाकर नहीं ले जाय। अब फिर चुनाव होने जा रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं तो अब आपको चिन्ता है कि बड़े-बड़े लोगों से किस बहाने चन्दा बटोरा जाय। यह बात वित्त मंत्री महोदय के दिमाग में स्पष्ट थी, मुख्य मंत्री के दिमाग में स्पष्ट थी। इसलिए पूंजीपतियों और व्यापारियों को आकर्षण दिखलाया गया है, इसलिए आपने इसमें कई छूटों की घोषणा की है, वह नाना प्रकार की छूट हैं। चुंगी के नाम पर छूट देंगे, पावर के नाम पर छूट देंगे और किसी नाम पर छूट देंगे। पहले आपने सीमा सुरक्षा के नाम पर जो सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाई थीं तो उनसे जीपें ली थीं। अब चुनाव के नाम पर उनसे चन्दा लेंगे।

इसके साथ ही मैं निश्चत रूप से कहना चाहता हूं कि आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आज आपकी आर्थिक व्यवस्था

(२.३६ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ठीक नहीं है, तो आप पंचायत समितियों को समाप्त कर दीजिये, इन पंचायत समितियों की आवश्यकता नहीं है...

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल सही है।

श्री नत्थीसिंह : आप पंचायतों को मजबूत बनायें, आप जिला परिषद् को मजबूत बनायें। लेकिन इन पंचायतों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मुझे दुःख है, इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि हम इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार करने

Page No. 85

(श्री नत्थीसिंह)

के लिये वाद-विवाद करने के लिये बिल लायेंगे तब इस पर विचार करेंगे। आज स्थिति यह है कि इन पंचायत समितियों के कारण से सारी पंचायतें मर रही हैं, सारी पंचायतें कमजोर हो रही हैं। जिला परिषद् कमजोर हो रही है इसलिए पंचायत समितियों की उपयोगिता नहीं है, इसलिए इनको खत्म कर दिया जाय। यदि तकावी देने का काम भूमि विकास बैंक में चला जाय तो पंचायत समिति के पास सड़क बनाने के लिए रुपये नहीं रहे। अभी भी सत्तरह साल में साढ़े बारह मील सड़क बना पाये हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि नौ दिन में चले अढ़ाई कोस। यह गति बहुत कम है। उससे काम नहीं कर सकते। इसलिए इन कामों को वापिस विभाग में लेने की बात चलती है। इसलिए आप केवल पंचायत और जिला परिषद् को मजबूत बनायें और इनको ज्यादा मजबूत कड़ी बनाने के लिए कलेक्टर को जिला परिषद् का सेक्रेटरी बनायें। जिला परिषद् और जिला प्रमुख के पद को मजबूत बनायें और पंचायत समिति को बीच में से हटा दें। इस तरह जो आपके बजट में कमी आती है उसको इस कदम को उठाकर पूरा कर सकते हैं, यदि आपका मन हो, लेकिन आपका मन नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह कुछ बातें आपने और कही हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने किसानों को सुविधा देने का जिक्र किया है और जिक्र किया है दो-तीन बातों का कि हमने क्या-क्या किया है और क्या-क्या करना चाहते हैं। इनमें से कॉर्पोरेशन की बात तो मैंने आपसे कही। इनके अलावा दो-तीन बातें और कही गई हैं। एक बात यह कही गई है, मुझे दुःख है कि कृषि मन्त्री, जो सहकारिता मन्त्री भी हैं, वह सदन में नहीं हैं। पता नहीं उनका कोई सहायक भी है या नहीं है ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : है, यह बैठे हैं।

श्री नत्थीसिंह : छत्तीस मिनिस्टरों की भीड़ है। मैं सबको पहचानता भी कम हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : इन को पहचानने का बहुत बड़ा कारण है। आपको कार मिली है।

श्री नत्थीसिंह : ठीक है, इसमें दो-तीन बातें कही हैं कि हम किस तरह से उनकी मदद करना चाहते हैं और उसके आंकड़े भी लिये गये हैं कि कृषि कितने एकड़ में बढ़ गई है। कितने एकड़ में संकर बाजरे की खेती बढ़ गई है। कितने एकड़ में जंवार की खेती बढ़ गई है ? कितने एकड़ में मैक्सिकन व्हीट की खेती बढ़ गई है। इसके साथ में हाई ब्रीड के बारे में कहा है। इस हाई ब्रीड के नाम पर, मैं आपको बताता हूं कि कृषि विभाग ने इतनी अकुशलता और इनएफीसिएन्सी का परिचय दिया है कि जिसके कारण यह योजना कामयाब नहीं हुई है। और यह योजना बुरी तरह फैली हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई-ब्रीड के लिए छांटे गये काश्तकारों के लिए कहा कि इनको कर्ज दिलाना चाहते हैं जिससे वह काश्त में उन्नति कर सकें। और, इसके लिए कोटा जिला में आधे बीघे के किसान छांटे गये, जो हाई ब्रीड की काश्त करें। इसी तरह से जो पाली जिले में छांटे गये वह वे छांटे गये जो आज से तीन वर्ष पहले मर गये थे। तीन साल पहले मरे हुए किसान

(श्री नत्थीसिंह)

हाईब्रीड की काश्त करेंगे। यह आपके इस कृषि विभाग की अफीशिएन्सी का द्योतक है। १ करोड़ ५३ लाख रुपया अपेक्स बैंक ने रिजर्व बैंक से प्राप्त किये, ऐसे किसानों को देने के लिए। मुझे दुःख है कि हमारे इतना प्रयत्न करने पर भी, उन्होंने किसानों को छांटने में सहयोग नहीं किया। इन्होंने किसान छांटे नहीं, छांटने का प्रयास नहीं किया और इसका नतीजा है कि १५ पर्सेन्ट राशि का भी उपयोग नहीं किया जा सका। और आज कहते हैं कि हमारे यह आंकड़े हैं। एक दूसरी बात कही है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वित्त मन्त्री ने जो कहा है, उसमें अबकी बार कुछ साफ-साफ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ४० करोड़ रुपया आने का अन्दाज लगाया है। अब यह रुपया कहां से आयेगा ? तो एक तरफ तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन से स्कीम बना कर रुपया लेंगे। और दूसरी बात कही है जूए की। एक बात बहुत साफ तौर से समझ लें कि जुआबाज बनने की जिस स्वाभाविक प्रवृत्ति आप कहते हैं, उसका मुझे पता है कि उधर बैठने वाले लोग रात भर कितनी रमी खेलते हैं। सुबह कितने बजे जगते हैं, यह आप लोग जानें जो उनसे मिलने जाते हैं। तो यह गवर्नमेंट की प्रवृत्ति बन गई है कि योजना बनाते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। अब आप कहते हैं कि हम योजना बन्द कर दें या एक-वर्षीय योजना बनायें। मेरे दल की मान्यता है कि हमें योजना बनानी चाहिए। पचवर्षीय योजना नहीं, सातवर्षीय योजना बनानी चाहिए। और हमें कामों को प्रायोरिटीज देनी चाहिए। और सिंचाई योजना के लिए, बिजली योजना के लिए, आपको शान-शौकत की चीजों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन बातों की ओर आपने ध्यान नहीं दिया है। अब आपने कहा है कि हम ४० करोड़ रुपया अन्य लॉटरी के जरिए और फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लें लेंगे। मैं आपको इन दोनों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि आप लाटरी के जरिए क्या ले सकेंगे। यह आप जानें या जूएबाज जानें। मुझे इसके सम्बन्ध में कोई आशा नहीं है। मुझे कुछ दूसरी तरह का अनुभव है। मैं जब केरल गया था, तो केरल में जहां लॉटरी चालू है, उसके सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के व्यक्ति सोचते हैं, कि इस लॉटरी को तो बन्द कर दें। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर से मैं मिला था, उनका भी यही विचार था कि लॉटरी को बन्द कर दें। क्योंकि यह गलत तरीका है और मानव विकास के सिद्धान्तों के विपरीत है। तो लॉटरी की जो व्यवस्था है उसके सब खिलाफ हैं। लेकिन आप को इजाजत मिल गई है। अब दूसरी बात जो फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में कही है कि इटावा की स्कीम के नाम से उनसे पैसा ले सकते हैं। अब जो इटावा की स्कीम है, उसके लिए २० करोड़ रुपये फाइनेन्स कॉरपोरेशन से ले लें और २० करोड़ लॉटरी से ले लें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि २४-२-६९ को इटावा की स्कीम को हाथ में ली गई, इसके अन्तर्गत दस हजार एकड़ जमीन भू-संरक्षण में लेने की योजना थी और यह ३२ लाख की योजना थी। यह ३२ लाख रुपये सेन्ट्रल मोर्टगेज बैंक को दिये। उसके सम्बन्ध में वह चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर हार गये लेकिन जो हर साल दो हजार एकड़ जमीन भू-संरक्षण में लेनी थी, आज दो वर्ष गुजर गये हैं, आपके आंकड़ों के मुताबिक ४ हजार एकड़ भू-संरक्षण

(श्री नत्थीसिंह)

में आ जानी चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य और दुःख होगा कि केवल ३० एकड़ जमीन आयी है...

श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी) : दस एकड़।

श्री नत्थीसिंह : तीस एकड़ के जो विभाग के आंकड़े हैं वही मान लिये जायें तो यह स्थिति है। अब आप कहते हैं कि आप सेल खोलेंगे। आप कक्ष खोलेंगे कृषि विभाग में जो योजना बनायेगा। लेकिन योजना बनायेगा कब ? फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा कि २० जून तक जितनी योजनाएं बनाकर दे देंगे उनको पूरी तरह से हम फाइनेंस कर देंगे। अब आप अभी कक्ष खोल रहे हैं और खोलने-खोलने में ३० जून निकल जाएगा तो कहां से २० करोड़ रुपया आप लायेंगे ? इसका एक ही मतलब है कि आपका बिल्कुल सुपरवीजन है नहीं।

दूसरी बात कही गई है, इसके सम्बन्ध में दो तीन-बातें मैं कहना चाहता हूं। मैंने देखा है जब योजना की बात कही जाती है, उसमें सरकार के दिमाग में एक भ्रान्ति रहती है। और भ्रान्ति के कारण ही आज स्थिति है कि आज बीस साल गुजर जाने के बाद, तीन पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाने के बाद अब चौथी योजना चालू हो जाने की बात हो जाने पर भी हम इस स्थिति में हैं कि हम स्टेटस को मेटेन कर रहे हैं। इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इसका नतीजा यह है। इसीलिए आपने नारा दिया है, दृढ़ीकरण का। दृढ़ीकरण की वित्त मंत्री महोदय के शब्दों में क्या परिभाषा है ? यह तो वह जानें। अब दृढ़ीकरण के अन्दर उन्होंने यह कहा कि वह एक एग्रो-इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हैं। देखने में यह एक बड़ा भारी प्रगतिशील कदम लगता है। जब तक इसकी गहराई में जायें नहीं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे विरोधी दल के नेता महोदय सहकारिता के बारे में कह रहे थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है, वह इसलिए कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को को-ऑपरेटिव मूवमेंट में जितनी रुचि लेनी चाहिए उतनी वह लेते नहीं है। इसलिए इनको तथ्यों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए चाहे जो बात कह देते हैं। उन्होंने कह दिया ३० करोड़ बकाया है। मैं जानता हूं कि आज की स्थिति में जो १४ बैंक डिफाल्टर थीं उनमें से केवल तीन आज बाकी बची हैं। और उन तीन का मामला मई तक साफ हो जाएगा इसलिए ऐसी बात कहना और ऐसी पिक्चर देना ठीक नहीं है। सरकार ने यह भी गड़बड़ी की है कि सरकार को-ऑपरेटिव से कर्जा देगी, पंचायतों से देगी, और माध्यमों से देगी। इस तरह किसानों ने देख लिया है कि कितना ही कर्जा लो। जितनी मर्जी हो उतना वह ले लेगा। इसलिए हमें इस नीति में संशोधन करना पड़ेगा। जैसा कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक स्रोत से ही कर्जा देना चाहिए, जिससे कि आप की योजना है वह पूरी हो सके और योजना पर ध्यान रहे। इसलिए आप पूरी तरह से एक एजेन्सी से कर्जे को बांटें और इस तरह से इसे मल्टीपरपज बनायें। सरकार के फैसले के अनुसार आज वह विकास-खण्डों में और दूसरे खण्डों में तकावी दे देती है। और भूमि विकास बैंक से भी दिलायेंगे फसल के ऊपर और उसके बाद

(श्री नत्थीसिंह)

एग्रोइन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की बात है, यह विपरीत दिशा में जाने की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सही रूप से विचार करने के बाद करें। जल्दबाजी में नहीं करें। केवल नारेबाजी के लिए नहीं करें। यह ठीक है कि सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक हैं। जिला मोर्टगेज बैंक हैं। वह कर्जा देते हैं। उसके अलावा स्रोत हैं। वह भारत सरकार, रिजर्व बैंक स्टेट बैंक, और कॉमर्शियल बैंक हैं। अब एग्रो-इण्डस्ट्रियल बैंक कार्पोरेशन के जरिये स्रोत बनाना चाहें तो एक मल्टीप्लियेबल एजेन्सी आप क्रियेट करना चाहते है। तो इससे योजनाओं में भ्रान्ति फैलेगी। और निश्चित रूप से फैली होगी। तो मेरा निवेदन है कि आप इस प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला मत बनाइये। आप कार्पोरेशन बनायें और आप किसी अपने आदमी को काम देना चाहें, इसमें एतराज नहीं है। लेकिन कोई ऐसी एजेन्सी हो, जिसके द्वारा आज जो पम्पिंग सेट नहीं मिलते, ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं, वह ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट मुहैया करे। मेक्सिकन गेहूं का सीड मुहैया करें। खाद मुहैया करें। और यन्त्र उपलब्ध करें। लेकिन वह केवल कर्जा देने के लिए नहीं बने। आज कर्जा देने के जो स्रोत हैं, जैसे लैंड-मोर्टगेज बैंक हैं, उसके लिए कानून हैं। उसमें ढोल बजाया जाता है। और कार्यवाही की जाती है तब कर्जा देते हैं। इस कारण छः माह तक कर्जा नहीं मिलता है, इसलिए आपको कानून में संशोधन करना चाहिए और अपनी व्यवस्था को आप सुधारिये। आप सहकारिता करना चाहते हैं तो जो गड़बड़ी आपको ध्यान में आये, उसकी जांच करें और उसमें एक्शन लें। इसके साथ हो मैं कहता हूं कि आप इस प्रदेश को प्रयोगशाला बनाकर नई-नई चीजें कायम नहीं करें। और अपनी जो कार्पोरेशन की नीति है उसको बदलें। और वह सही रूप में लाएं और वह किसानों को सही तौर से यंत्र दे लेकिन कर्जा देने के लिए बीच में न आए। मैं जानता हूं कि यह क्यों हो रहा है। हमारे मोरारजी भाई ने नया नारा दिया – सोश्योलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अब हमारे मंत्री महोदय में हिम्मत तो है नहीं कि उसके खिलाफ चले जायं। कॉमर्शियल बैंक्स कर्जा देने से हिचकते हैं, किसको दें ? सुखाड़िया साहब जैसे नए बड़े काश्तकार को दें लेकिन ग्राम के जो छोटे काश्तकार हैं उनको नहीं और डिबेन्चर्स सीधे खरीदेंगे, सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। नीति को जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तो इस प्रदेश में एक बार फिर गड़बड़ी फैलाओगे। इसलिये हिम्मत के साथ इस बात को मन्जूर करें, इस देश में जो आर्थिक संकट है उसके लिये आपकी सोश्योलाइजेशन की जो खिचड़ी चल रही है, उससे इस समस्या का हल नहीं होना है। हिम्मत के साथ बैंकों के राष्ट्रीयकरण को मानना पड़ेगा। आपको बीमा, बैंकों और विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है।

हमारे पुराने कृषि मंत्री जो सामने बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं। एक बार मैंने प्रश्न उठाया था कि छोटे किसानों को राहत दें, ओला, पाला, शीत और जाड़े-इन देवी संकटों से उसको बचाये। आप क्रॉप इन्स्योरेन्स सिस्टम लागू करें, किसी तरह आप फसल का बीमा करें ताकि किसान को

(श्री नत्थीसिंह)

राहत मिले, इसके लिये आपने एक शब्द भी इस भाषण में नहीं कहा। जगजीवनराम ने कहा था कि यह जल्दी आ जायगा, पता नहीं पोस्ट ऑफिस की गड़बड़ी है या आप नहीं देख पाए हैं।

अभी आपके सामने कांग्रेस के साथी ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि भाव गिरते चले जा रहे हैं। इसके साथ-साथ आपने इसमें कहा है कि शहरी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और गांव वालों की भी बढ़ेगी। मैं कहता हूं कि दाम घट रहे हैं, जून माह तक किसान मरेगा और जुलाई के बाद माल व्यापारी के गोदामों में बंद हो जायगा तो फिर भाव बढ़ेंगे। इस बीच के लिए जब किसान की फसल आती है, तो दाम बांधने की नीति क्यों नहीं अपनाते हैं, पहली और दूसरी फसल के बीच १६ प्रतिशत से ज्यादा अंतर नहीं होने देंगे, यह क्यों नहीं करते हैं ? मैं माथुर साहब को स्पष्ट बताऊं कि राज्य सरकार को किसान वर्ग एज सच की कोई परवाह नहीं। आखिर यह राज्य चलाते कैसे हैं ? मंत्री बढ़ा दिऐ, बोर्ड बढ़ा दिए। वित्त मंत्री की बगल में गृह मंत्री बैठते हैं उनके बल पर यह राज्य चलता है। विधान सभा में सुरक्षा पुलिस का क्या हाल है ? दो रुपये देते हैं, दो महीने विधान सभा चलेगी तो १० दिन का देंगे, बाकी दिन वह पेट पर पट्टी बांधेंगे ? वित्त मंत्री ने कहा कि जो बच्चों का दूध आता है, वह गरीब इस्तेमाल करते हैं उसमें रियायत देंगे लेकिन गरीबों की सुरक्षा के लिए आपको खयाल नही है। जो थानेदार थानों में मर्डर्स करवाते हैं, एक नहीं अनेक घटनायें हैं। भीलवाड़ा में एक धोबी को मारा गया, इसी तरह रेलमगरा में और बयाना में ड्राइवर के लड़के को मारा गया और पहाड़ी में डकैतों को छोड़कर राहगिरों को मारा गया, उनके लिए आपको खयाल नहीं। धोबी, सांसी, कन्जर और अनुसूचित जाति के लोग मरते हैं। ८३ लाख छोटी-छोटी जाति वाले लोग हैं उनके लिये कहते हो कि लगान लेंगे और यहां दो लट्टू लगवा देंगे। उनकी बस्तियों के लिए पहली बार ५ लाख कहा था, अब १० लाख कहा है। जहां जन-जाति और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनके यहां पर तुम लट्टू लगवा दो झोपड़ियों में कहीं, यह आपकी नीति है। इस तरह से बांसवाड़े जिले में जबरदस्ती वसूली होती है रवी की बैसाख आने से पहले, एस० डी० ओ० नंगी भील महिला पर अपने हाथ से डंडा लगाते हैं, शर्म नहीं आपको।

बीच में जब राष्ट्रपति शासन आया, कई अनहोनी बातें हो गईं। कुम्हेर में डकैती हुई थी, प्रधान ने डलवाई थी, गिरफ्तार हो गये, चालान का ऑर्डर हो गया, एस० पी० ने चालान तैयार कर लिया, उसमें से आधे गिरफ्तार हुए। जमानत हुई, अदालत ने कहा जल्दी चालान लाओ, बीच में सुखाड़ियाजी का राज आ गया। मदेरना साहब आप पहले पंचायत मंत्री रहे हैं। पहला काम उन्होंने यह किया कि आदेश दिया कि उस फाइल को वापस भेजें और वापस भेजने के बाद जब मैं परसों कह रहा था तो गृह मंत्री ने कहा कि फैसला हो गया, खारिज कर दिया। दूसरी तरफ खंडेला के प्रधान इसलिए फंस गये थे कि एक स्कूल की जमीन जो १९५६ में एक्वायर करके स्कूल को दी गई थी, स्कूल को कब्जा दे दिया गया था, ए० डी० एम० का फैसला मौजूद है और सेठ साहब, जो आपके कृपा-पात्र हैं, उसने कब्जा किया और प्रधान के विरुद्ध मुकद्दमा

Page No. 90

(श्री नत्थीसिंह)

बना। इधर तो डकैत प्रधान को छोड़ दिया और दूसरे प्रधान को पकड़ा क्योंकि वह भारतीय क्रांति दल का है। यही नहीं अजमेर में एस० एस० पी० का एक आदमी है कल्याणमल। वहां के एस० पी० एक थे। उन्होंने कोई विज्ञप्ति निकलवाई और उस विज्ञप्ति के खिलाफ नवज्योति को चुनौती दी, मेरे पास दोनों चीजें मौजूद हैं, उसको महीनों बाद पकड़ा जाता है न्यूसेन्स कन्ट्रोल एक्ट के तहत। जो १५ आदमी पकड़े गए उनको घसीटकर ले गए, जमानत नहीं लेते हैं, अदालत में ले जाते हैं। इस तरह से एक और लंगड़ा आदमी है जिसका विक्टीमाइजेशन किया। इस तरह की पोलिसी से आप राज नहीं कर सकते। प्रतापगढ़ में एस० एस० पी० के बल्देवसिंह, वहां के प्रधान जो मंत्री महोदय के रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ यह बातें आईं कि किसी सरपंच को मारने में उनका हाथ था लेकिन उन्होंने कह दिया कि उनका हाथ था इसलिए उनकी दुकान में घुस कर उसको पीटा गया और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस तरह से आप आतंक का राज्य कायम रखेंगे। सर में पट्टी नहीं बांधी, माथुर साहब और झीना पट्टा लगाकर दिया।

"हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखो आय।"

(३ म० प०)

वह सबको दिखता है। अब तो ऑपरेशन की जरूरत है और वह भी मेजर ऑपरेशन की। अगर आप कोई दम भरते हैं तो खर्च की सीमा बान्धिये। कहते हैं हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, राष्ट्रीयकरण पर केवल दम भरते हैं। यह निश्चित नीति आपको अपनानी पड़ेगी, आपको राष्ट्रीयकरण पर आना पड़ेगा। जो जमीनें खाली पड़ी हैं वह जिनके पास नहीं हैं, उनके हवाले करिये। बेकारी की समस्या को हल करिये। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। माथुर साहब का भाषण मैंने पढ़ा है, पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पता नहीं हमारे भाषा मंत्रीजी कौन हैं, जिन्होंने भाषा में ही गड़बड़ कर रखी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : श्री बृज सुन्दरजी शर्मा हैं।

श्री नत्थीसिंह : बजट भाषण में पढ़ा, इंजीनियर्स भी बेकार, कृषि स्नातक भी बेकार। सरकार ने योजना बनाई है कि उनको जमीन देंगे। १५ एकड़ सिंचित और ३० एकड़ असिंचित। मैंने कहा चलो भाई ४५ एकड़ जमीन मिलेगी लेकिन मामला कुछ और ही नजर आया। भाई डागा साहब ने मॉडर्न मिनिस्टरों की परिभाषा की है जिनकी हर बात अंग्रेजी में, हर बात अंग्रेजी तरीके से होती है। सब मिनिस्टरों में हमारे माथुर साहब ही मॉडर्न मिनिस्टरों की परिभाषा में आते हैं। वह सोचेंगे अंग्रेजी में चाहे अंग्रेजी में न कहें! उनके बजट का मूल अनुवाद अंग्रेजी में हैं। हिन्दी में यह लिखा हुआ है कि १५ एकड़ सिंचित और ३० एकड़ बारानी। अंग्रेजी में जब देखा तो वह लिखा है १५ एकड़ ईरीगेटेड और ३० एकड़ बारानी। इनकी कथनी और करनी में कितना भेद है।

श्री परसराम मदेरणा : हिन्दी में और की जगह या है।

श्री नत्थीसिंह : अंग्रेजी में लिखा है। इसलिये आज इस देश में...

Page No. 91

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बतायें कौनसी में गलती है ? अंग्रेजी या हिन्दी में ?

श्री रामकिशन (वैर) : वह तो पूछेंगे अब उनसे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप बतायें कौनसा सही है ?

श्री बी० एन० जोशी : जो हाउस में पढ़ा गया है वह सही है ।

श्री नत्थीसिंह : आप सक्षम हैं जवाब देने के लिये । कौनसा सही है हिन्दी वाला सही है १५ एकड़ और...

श्री बी० एन० जोशी : मिस प्रिन्ट हो सकता है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप बताइये, क्या सही है ? हिम्मत करिये, कहिये, क्या सही है ?

श्री बी० एन० जोशी : ३० बीघा सिंचित, नहीं १५ एकड़ सिंचित और ३० एकड़ असिंचित । हिन्दी में मिस प्रिन्ट है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह गलत है । आपने जो बताया है, वह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !

श्री नत्थीसिंह : अब मैं एक बात उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, वे बहुत कहते हैं मद्य निषेध के बारे में । बजट में बहुत अच्छी बात कही गई है जो अनुसूचित जन-जाति का इलाका है उसमें मद्य निषेध की नीति का पालन करेंगे । मुझे शक है इनकी हर बात में, इसकी पुष्टि यह है कि जब इनके आॅफिसर वहां चैक करने को जायेंगे तो वे वहां अवश्य पीयेंगे । मेहरबानी करके इस बात के लिये एक निष्पक्ष जांच समिति बना दीजिये और विरोधी पक्ष के जो भील मेम्बर हैं, उनको उसमें ले लीजिये । जन-जाति के जो अफसर वहां जाते हैं उस इलाके में वे शराब का प्रयोग करते हैं या नहीं । यह जो आपके न करने की नीति है और बहादुर बनने की जो तबीयत होती है वह देश को गर्क की ओर ले जायगी । आपके सोचने का तरीका सही नहीं है । आप में से बहुत से लोग समाजवाद लाना चाहते हैं । कल मेरे एक मित्र कह रहे थे कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं । मैंने कहा आप २० वर्ष में तो समाजवाद ला नहीं पाये-इन बीस वर्षों में तो आपने क्या किया ? वित मंत्री ने बताया कि हमारी यह नीति है, चला रहे हैं हम तो जैसा चल रहा है । अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो जो मैंने नक्शा बताया है कि एक तरफ तो आप गरीब को मारते चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमीर को और अमीर बनाते जा रहे हैं । इससे समाजवाद नहीं आने का है । मैं कहता हूं कि मई या जून में राजस्थान की जनता खड़ी होगी अपनी मांगों की मजबूरियों के लिये । आप तो कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हुये जनता को पीड़ा देते हैं, जनता की पालना नहीं करें यह बड़े दुःख की बात है । आज पूरे हिन्दुस्तान में राजनीति की हत्या हो रही है । बंगाल में हुई, पंजाब में हुई लेकिन इसकी सबसे पहले शुरुआत राजस्थान में हुई थी । आपने उसका पटाक्षेप कर दिया । जब इस देश की जनता जागेगी तो धन और

(श्री नत्थीसिंह)

धरती को बटा कर रहेगी। उस वक्त सुखाड़िया साहब की सरकार नहीं रहेगी। हमारे दोस्त कह रहे हैं कि आप तो जायेंगे ही पर इधर बैठने वालों को भी आप साथ ले जायेंगे। मुझे शक है अगर १–२ साल में यही कारनामें रहे तो जनता का जिन्दा रहना मुश्किल हो जायगा। आज इसे मजाक में उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं सही कहता हूं कि अगर आपकी यही नीति रही, यही कारनामे रहे तो देश में गंभीर खतरा पैदा हो जायगा। समय रहते चेतें, अभी भी समय है आपके चेतने का। अब वक्त ज्यादा नहीं है। जनतन्त्र की परम्परा को स्वस्थ बनाये रखना है तो इन दमनकारी नीतियों को छोड़ें, जो पाप किये हैं उनसे पिन्ड छुड़ावें।

श्री बी०एन० जोशी : आपके लोहियाजी तो कहते थे कि देश में चौथे आम चुनाव ही नहीं होंगे ?

श्री नत्थीसिंह : उन्होंने तो जो कुछ कहा, वह सही हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सन् १९६८–६९ के आय-व्ययक पर विरोधी पक्ष के माननीय नेता बोले और अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे हैं। मैं भी इस बजट के बारे में मेरे विचार सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोधी पक्ष के नेता ने जो खास तौर से इस बात पर जोर दिया कि अभी तक राजस्थान में कुछ नहीं हुआ है। जो योजनायें बनाई गई है वह असफल रही हैं और विकास जो विकास के नाम पर विनाश कहते हैं और इसके साथ-साथ उन्होने यह भी कहा कि खादी बोर्ड का काम बिल्कुल गलत चल रहा है। जो पैसा दिया गया है, उसका अपव्यय हुआ है। उनके साथ-साथ यह भी बताया कि स्थानीय कई योजनाओं का कार्य होना चाहिये—डूंगरपुर में कुछ कार्य नहीं हुआ है। इससे, माननीय उपाध्यक्षजी, आप भी सोच सकते हैं। एक तरफ तो टैक्स नहीं लगाया जाय, कर्जा नहीं लिया जाय और विकास नहीं किया जाय और साथ ही साथ दूसरे यह भी कहें कि विकास हमारे यहां नहीं हो रहा है। सारा विकास का कार्य उनके यहां होना चाहिये तो इस रूप में उन्होंने इनडाइरेक्टली यह तो मंजूर किया है कि विकास करना लाजमी है। विकास अगर नहीं करेंगे तो विकास की गति धीमी हो जायगी। मगर इसी एक मामले को लेकर इस पिछले चौथे आम चुनावों के बाद जो विरोधी पक्ष की सरकारें बनी, थोड़े अर्से के बाद जो सस्ती वाह-वाही का नारा दिया था, वे इसमें फेल हुई हैं और सब जगह की ऐसी सरकारें गिरी हैं। यू० पी० में श्री चरणसिंह ऐसे मुख्य मंत्री थे जिन्होने सारी पार्टियों को साथ लेकर काम नहीं किया और उसका नतीजा यह हुआ कि उनको पूरे ५ साल भी कायम नहीं रहना पड़ा। विकास के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा और जिन रिसोर्सेज से धन लाने की आवश्यकता होगी, उनसे लाना पड़ेगा।

कर के रूप में या कर्जे के रूप में या और किसी भी तरह से हम विकास का जो काम करते हैं—नदी योजनाएं, इलेक्ट्रिसिटी की योजनाएं या खेती-बाड़ी की तरक्की की योजनायें हमने इन बीस सालों में की हैं। वह सब सदन के माननीय सदस्यों के सामने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रस्तुत हैं। केवल विरोध के लिए ही विरोधी बेन्चों पर बैठे हुए माननीय सदस्य विरोध करें यह उचित नहीं है लेकिन जो तथ्य हैं उसे उनको भी स्वीकार करना चाहिये। कमियां हो सकती हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

इस साल का बजट जो माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है वह बहुत सोच-समझ कर और बड़ी होशियारी से प्रस्तुत किया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहे बगैर तो नहीं रह सकता कि कृषि के क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिये, ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के क्षेत्र में, गोचर भूमि के बारे में पशु पालन और भेड़ और ऊन के महकमे के बारे में विशेष रूप से वित्त मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये था जो नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान का आधे से ज्यादा इलाका ऐसा है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर का कुछ हिस्सा और जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की विकट समस्या है। इन पिछले बीस सालों में पीने के पानी के बटवारे के रूप में बजट को देखा जाता है तो शहरों के अन्दर करोड़ों की स्कीमें पीने के पानी के लिए बनाई जाती हैं। वहां सरकार लाखों रुपया इसके लिये लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ गांवों के पीने के पानी के रूप में कुछ प्रावधान नहीं रहता। इस वर्ष भी रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्दर कोई पैसा नहीं दिया गया है। पाइप स्कीम जो आप लगाना चाहते हैं लेकिन ये स्कीम गांवों में नहीं चल सकतीं, न उस अनुपात में पैसा ही मिल सकता है। आप पाइप के जरिये गांवों को पीने के पानी की समस्या को अगले पचास सालों में भी हल नहीं कर सकेंगे। इस ओर वित्त मन्त्रीजी का ध्यान जाना उचित था लेकिन वह नहीं गया, यह बड़े अफसोस की बात है। इसलिये मैं आपकी मार्फत माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों में सत्तर प्रतिशत आबादी रहती हैं वहां पीने के पानी की बहुत आवश्यकता है। आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर दस मील दूर से ऊंटों पर पखाल भरकर पानी लाना पड़ता है अपने मवेशियों के लिये। उसके लिये सारा दिन भर बेरों पर इन्तजार करना पड़ता है। ऐसे इलाकों की ओर वित्त मन्त्रीजी का ध्यान जाता तो उचित रहता।

इसके अलावा हर सीगे में बेकारी, उद्योग-धन्धे, कृषि विकास एग्रो-इन्डस्ट्रियल क्षेत्र के बारे में, माइनिंग के बारे में सब तरफ माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जल की समस्या के निवारण के लिये, इसके विकट रूप की ओर ध्यान नहीं गया हो यह तो मैं मानकर नहीं चलता लेकिन उन्होने यह सोचा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वे कम आवाज उठायेंगे, उनकी आवाज कमजोर होगी। दूसरी तरफ शहर के लोग जो व्यापारी हैं वे ज्यादा झगड़े कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, इसलिए इनकी तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है। परन्तु माननीय वित्त मंत्री महोदय को यह भ्रम नहीं रहना चाहिये कि उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पाइप स्कीम जो है वह गांवों में सक्सेसफुल नहीं होगी। गांवों के लिये दस-पन्द्रह हजार रुपये तक की पानी की स्कीम बनायी जा सकती है

Page No. 94

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जिससे दस मील के एरिया के अन्दर हौज भरा हुआ मिल जाय ताकि वहां पर ले जाकर गायों को आसानी से पानी पिलाया जा सके इतनी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से होनी चाहिये। लेकिन इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। जहां पांच हजार की जन-संख्या हैं वहां के लिये पाइप स्कीम लागू की है उस पर एक लाख, डेढ़ लाख का खर्चा होकर भी वह परटीकुलर विलेज तक ही सीमित हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन बीस सालों में भी दस पन्द्रह प्रतिशत भी पानी की समस्या हल नहीं हो पायी है यह खेदजनक बात है। पानी की समस्या को हल करने के लिए वित मन्त्री महोदय गम्भीरता से सोचेंगे यह मैं आशा करता हूं।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि अलाभकारी जोत पर आपने लगान वापिस ले लिया है लेकिन यदि इसके साथ-साथ आप पानी की समस्या की ओर ध्यान लगाते तो ज्यादा उचित था। और इससे भी सन्तोष किया जा सकता था। हम अगर पंचायत समिति के बजट को देखें तो उसमें ड्रिंकिंग वाटर-वैल्स के लिये कोई पैसा नहीं रखा है ये ऐसी बातें हैं जिन पर राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में पिछले साल के बजट को देखें तो दो तीन साल से अकाल पड़ा उससे उत्पादन गिरा इस कारण जो उपलब्धियां होनी चाहिये वह नहीं मिलीं। इस साल भगवान की दया से खरीफ की फसल अच्छी हुई और रवी की फसल भी अच्छी होने जा रही है। इस साल हमारे सांचोर के एरिया में भी, जालोर के एरिया में भी अच्छी फसल हुई है। जब पहले लोगों ने बीज बोने के लिये खरीदा वह ८० और ८५ रुपये क्विन्टल तक बीज लाये और गेहूं का बीज तो १०५ रुपये क्विन्टल तक लाये। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री महोदय की तरफ से कोई निकट भविष्य में योजना प्रतीत नहीं होती जिससे ग्रामीण क्षेत्र के किसान को अपने उत्पादन का ठीक मूल्य मिल सके। इसके बारे में काश्तकारों का भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है। मैं इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन किसानों ने पिछले पांच सालों तक तड़फ-तड़फ कर पम्पिंग सेट लगाये जिन्होंने मनी-लेण्डर्स से रुपया उधार लेकर बैल खरीदे और उत्पादन किया आज उन्हीं के पैदा किये हुए अनाज के भाव गिर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिन्सों के भाव गिरते जा रहे हैं। मनी-लेण्डर के मुकाबले सरकार द्वारा खरीदने का कोई प्रबन्ध नहीं है। लोग मजबूर होकर, क्योंकि दूसरी रिकवरीज चल रही हैं, कष्ट उठा कर भी अपनी उपज को कम मूल्य पर बेच रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : क्या आपका यह खयाल है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज से भी नीचे भाव जा रहे हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाव नीचे जा रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम खरीदने का नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बाजरे का मिनिमम सपोर्ट प्राइज ४२ रुपये है पर-क्विन्टल पर आप राजस्थान में कहीं पर

(श्री परसराम मदेरणा)

बता दीजिये इससे नीचे भाव गिर रहे हैं तो २४ घंटे में मैं इन्तजाम करूंगा उसके खरीदने का। मिनिमम सपोर्ट प्राइज से कहीं भी नीचे नही रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा : हमारे उधर ४८॥) रुपये क्विन्टल मक्का का भाव जा रहा है लेकिन आपने खरीदा नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लेवी के समय आपने ४८ से ५२ रुपये तक खरीदने का आदेश दिया था लेकिन आज तक आप इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं कर रहे हैं। उस समय आपको किसानों से बफर स्टाक के लिये अनाज नहीं मिल रहा था। आज के समय जब सैकड़ों मन काश्तकारों के पास अनाज है वह आज जब बाजार में बेचना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं है। यह समस्या ऐसी है जिसके बारे में काश्तकारों के पैसे का सवाल आता है उस समय उनको बहुत कम पैसा मिलता है।....

श्री विजयसिंह रावत : खाद्य निगम ने ५५ के भाव से खरीदना अभी से जारी कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप हमेशा आसन को सम्बोधित करें।

श्री विजयसिंह रावत : अभी माननीय सदस्य ने कहा है वही मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हम परटीकुलर अनाज खरीदते नहीं हैं।

श्री विजयसिंह रावत : बाजरे का भाव ४०) तक गिर गया है। आपने खुद ने ५२) और ५५) रुपये क्विन्टल मक्का खरीदा है आप यह ×× कह रहे हैं हमने नहीं खरीदा।

श्री उपाध्यक्ष : ×× शब्द कार्यवाही से हटा दिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : ५५ रुपये क्विन्टल से मक्का हमने नहीं खरीदी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे कहने का मतलब यह है कि काश्तकार के हित में उसके द्वारा उत्पादित चीजों के भाव नियन्त्रित रहें और गारन्टीड प्राइस मिले। इसकी सरकार के सामने कोई योजना आज तक नहीं बनी न भविष्य में बनने की सूरत नजर आ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : सपोर्ट प्राइस के ऊपर ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाजरा–जवार की क्या कीमत है आज ? सांचोर में ४० रुपया क्विन्टल लेने को लोग तैयार नहीं हैं और आप कहते हैं ४२) सांचोर में लाकर दो। क्या पागल हो गया है काश्तकार ? प्रोडक्शन को आज क्या कास्ट बैठती है इसका अनुमान लगाया आपने ? पचास रुपया से कतई कम नहीं बैठती। इन हालतों को देखते हुए कहीं सत्तर-अस्सी रुपया क्विन्टल और वहां चालीस। यह जमीन आसमान का फर्क खतम होना चाहिये।

इसके साथ साथ कृषि मण्डियों के बारे में निवेदन करूं। मण्डी कानून बना। मंडियां अच्छी चलीं कई जगह। हमने जाकर

××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार हटाया गया।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भी देखा। पर दुर्भाग्य से कुछ व्यापारियों ने हाई कोर्ट में रिट की। वे खारिज भी हो गई पर कानूनी जरिया खतम होने के बाद भी राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि चालान नहीं होने चाहियें और प्रोसीक्यूशन नहीं होने चाहियें हालांकि कानून लागू है। इस तरह से एक तरफ कानून की हत्या आप स्वयं अपने हाथों करते हैं और मण्डी कानून को खुद ही खतम करने पर तुले है। इसका पालन होना चाहिये।

मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मण्डी कानून को या तो खतम कर दिया जाय तो ठीक है, नहीं तो हाफ हार्टेड काम करना तो और भी बुरा है, यह स्थिति बर्दाश्त नहीं की जावेगी। शीघ्र और कड़ाई से इस कानून को लागू करना चाहिये।

सहकारी क्षेत्र में मार्केटिंग सोसायटी का सवाल है। यह ऐसा क्षेत्र था जिसके जरिये काश्तकार को अपनी प्रोड्यूस का ७५ परसेंट उसकी जरूरत के माफिक पैसा देकर ठीक रिटर्न समय पर मिलता है जैसे व्यापारी उस को रख कर चार महीने बाद ऊंचे अच्छे भाव पर बेचता है वैसे ये भी बेचकर काम कर सकें इस कैपेसिटी को बनाने के लिये उनको काफी ऋण मिलना चाहिये ताकि काश्त कार को यह हालत न देखनी पड़े। उसको अच्छा रिटर्न अपने प्रोड्यूस का मिले। पर आज मार्केटिंग सोसायटियों की क्या स्थिति है। हम देखते हैं, ऐसी कोई मार्केटिंग सोसायटी नहीं है जो भावों को कन्ट्रोल कर सके। यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। इसलिये मार्केटिंग सोसायटी को मजबूत बनाया जाना अत्यावश्यक है। ताकि वह लोकल व्यापारी से कम्पीट कर सके और साथ साथ काश्तकारों की आवश्यकता की चीजें उनके जरिये मिल सके एवजो में और काश्तकारों का सामान लेकर वह अपनी पेठ जमा सके। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है।

बाकी सरकार ने सोसायटियों की क्वान्टिटी की ओर तो ध्यान दिया है, क्वालिटी की तरफ नहीं। मेम्बरों को ट्रेनिंग देकर इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके बिना सरकार का जो टारगेट है वह अधूरा रहेगा। वैसे इस कानून में खामियां भी हैं और सहकारी सदस्य ज्यादातर अनपढ़ होते हैं उनको ट्रेण्ड करके उनका एक वाइबल यूनिट आप बना सकते हैं। वाइबल यूनिट को बनाने की आपकी मंशा तभी पूरी हो सकती है जब कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएं। इसके बाद सहकारी समितियां अच्छा काम कर सकती हैं।

जो फर्टीलाइजर का काम क्रय विक्रय संघ को दिया है उसमें जिलेवार कितना स्टाक है, पंचायत समिति में कितना पड़ा है और कहां कौनसे खाद की जरूरत है, क्वालिटी और क्वान्टिटी क्या हो-यह न देखकर एट-रेण्डम कोटा भेज दिया गया है। उस कोटे को समितियां उठाने में असमर्थ हैं। पहले भी बहुत कोटा पड़ा है। इसमें सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। मुझे मालूम हुआ है कि इसका एक लाइसेन्स प्राइवेट पार्टी को भी दिया गया है डी.सी. एम. के भरतराम को। इससे कम्पीटीशन होगा और इससे सहकारी समितियां आगे

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

काम करने में असमर्थ होगी। इस बारे में राज्य सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि काश्तकार से सम्बन्धित कोई भी योजना लागू हो, लोन की हो, कोई हो उसको सरल बनाया जाय और इसके साथ-साथ प्राइवेट एजेन्सी साथ वर्क न करे ऐसा इंतजाम हो तभी ऐसी संस्थाएं, समितियां पनप सकती हैं और काश्तकारों को फायदा मिल सकता है।

लैंड मोरगेज बैंक की कठिनाइयां हैं, जो आपसे छिपी नहीं है। हालांकि इनके पास काफी पैसा है। आप लोन के बारे में इसके नियम इतने कठोर है कि उनके कारण इसका जितना लाभ काश्तकार को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल सकता। तहसीलदार के प्रमाण पत्र चाहियें, भूमि किसी तरह के भार से मुक्त होनी चाहिये इसका प्रमाण-पत्र चाहिये। ये प्रमाण-पत्र कहीं नहीं मिल रहे हैं और इस तरह से मौजूदा कानून के अन्तर्गत कोई रिलीफ किसान को नहीं मिल रही है और लोन बांटने का टारगेट रखा है वह पहले भी पूरा नहीं हुआ है और आगे पूरा नहीं कर पावेंगे। जरूरत है इस कानून को सरल करने की इसकी आवश्यकता है। नहीं तो इससे काश्तकार फायदा नहीं उठा सकते। हमारी तहसील में दो-दो साल से दरख्वास्तें पड़ी है ऋण नहीं मिल सका। पम्पिंग-सेट के लिये अकाल वर्ष मे पिछले साल ऋण नहीं मिल सका। इससे राज्य सरकार की मंशा की पूर्ति नहीं होती। नियमों को बनाने की जरूरत है। मोरगेज बैंक के नियमों को सरल करने की आवश्यकता है ताकि अनपढ़ और गरीब लोगों को भी जरूरत पर, समय पर राहत मिल सके।

सहकारी खेती के बारे में आन्ध्र, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में प्रगति हुई है उनके मुकाबले में राजस्थान में हम असफल रहे हैं। हालांकि राजस्थान में सहकारी खेती को ज्यादा सफल होना चाहिये था। यहां अनआकुपाइड लैंड पड़ी थी अलॉटमेन्ट उसका जरूर कर दिया गया था, पर ऑल इण्डिया बैंक फडरेशन और गाडगिल कमेटी की रिपोर्टों के अन्तर्गत जो, सहूलियतें यहां मिलनी चाहिये थीं, नहीं मिल पाई इसलिये, एक्सपेरीमेन्टल स्टेज पर ही फेल हो गई और दुःखद वातावरण बन गया। यहां इन कारणों से सहकारी खेती असफल रही है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ पचास पंचायत समितियों में सोइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन, लैंड रिक्लेमेशन स्कीमें भी लागू करने की कोशिश की है। पर अगर इन पंचायत समितियों में जालोर मे भी भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचोर के लिये कुछ किया जाता, जहां कि माइनर इरिगेशन की पोटेन्शियेलिटी थी लूणी नदी के इनन्डिशन स्कीम की, तो यह स्कीम सफल हो जाती। वहां पम्पिंग सेट लगाकर करोड़ों मन गल्ला पैदा किया जा सकता है। जालोर जिले में इतनी फरटाइल सोइल है कि वैसी पोसिबिलिटी और कहीं नहीं है। इसके बाद भी आज वहां का रिकार्ड प्रोडक्शन है, वहां पर लोएस्ट प्राइस लोग सीक करते हैं। इस वर्ष खरीफ क्रॉप की फसल इतनी अच्छी है कि वह सारे जोधपुर डिविजन की आवश्यकता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को अकेला पूरा कर सकता है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, लोगों ने अपने स्वयं के साधनों से इतना किया है और रिकार्ड क्रॉप पैदा की है।

श्री परसराम मदेरणा : रीजनेबल प्राइस आप कितनी समझते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके लिए तो आपका सर्वे होना चाहिए। कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिये कि किसान के लिये वह खेती घाटे की न रहे उसको अपनी महनत का फल मिल सके। यह मिनिमम प्राइस है। आप स्वयं काश्तकार हैं। अच्छी तरह समझते हैं। और भी मैं कहूं कि करीब ७० रुपया, ६५ रुपया क्विन्टल गेहूं के भाव से नीचे तो नहीं जानी चाहिये। यह मिनिमम प्राइस होनी चाहिये। किसान ने १०५ रुपया क्विन्टल बीज का भाव दिया है तो इस हालत में राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अभी से खाद्य मन्त्रीजी स्कीम बना लें तभी जाकर सक्सैसफुल होंगे नहीं तो अभी खरीफ की फसल गांवों में ४० रुपये क्विटल नहीं ले रहे हैं। उपाध्यक्षजी वहां गये थे उन्होंने खुद ने आंखों से देखा है कि लोगों की शिकायत क्या है ? उधर रिकवरी का जोर है। तो सरकार को इन्तजाम करना चाहिये ताकि काश्तकार को लास न उठाना पड़े।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में राजस्थान के इर्रीगेटेड और अनइरीगेटेड दोनों इलाकों को विकास की दृष्टि से देखना होगा। जो अनइर्रीगेटेड एरिया है रेगिस्तान है तो उस पर कोई पैसा खर्च न करें और जो इर्रीगेटेड एरिया है जैसे कोटा का वहां पर करोड़ों रुपये खर्च कर दें। वहां पर सॉइल इरोज़न, भूमि के कटान की समस्या पर करोड़ों रुपये बाहर से लोन लेकर लगाये जाते हैं। वहां के लिये करोड़ों की स्कीम बनाई जायगी। डेवलपमेन्ट बोर्ड के जरिये राज्य सरकार को ऐसे इलाकों के विकास के बारे में भी सोचना चाहिये। अण्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के जरिये अच्छा काम हुआ है पिछले सालों में, परन्तु उसके साथ-साथ जो ट्यूब-वैल थे उनको काम में लाकर जो अनइर्रीगेटेड जमीन है उसको सिंचित करके उत्पादन किस तरह से बढ़े उसके बारे में राज्य सरकार की दृष्टि होती तो अच्छी स्कीम होती। भविष्य में इसके बारे में माननीय कृषि मन्त्रीजी बता रहे थे कि ऐसे कुओं की योजना बना कर काम में लाना चाहते हैं। ऐसे नल कूपों को कहीं भी पंचायतें लेने को तैयार हों या कोई इन्डिविजुअल हो तो वहां अगर लोग तैयार हो जायं तो उनको देकर रेट मुकर्रर करके कि इस रेट पर सिंचाई के लिये पानी दे सकता हो तो उस बारे में भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिये।

इसके साथ साथ पशु-पालन के लिये भी आज २० वर्षों से गोचर की समस्या, पशु-पालकों की समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया। रेगिस्तान में पशुओं के विकास का ही काम हो सकता है या वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की समस्या है। इसके अलावा वे लोग और कुछ नहीं चाहते। इसलिये पशु-पालकों के लिये गोचर की जमीन हो। वहां पर उस जमीन की तारों से हदबन्दी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करके पशुओं के विकास की समस्या को हाथ में लेना पड़ेगा।

गांवों में जो समस्या है वह लाटे और बाढ़ों की समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या हर गांव में देखने को मिलेगी। इस बारे मे सरकार ने सर्क्यूलर्स भी निकाले हैं एलाटमेन्ट के बारे में, आबादी की भूमि के बारे में, लाटे और बाढों के बारे में। राज्य सरकार देखे कि वास्तव में उनको क्या आवश्यकता है? वे पशुओं को कहां बांधे? लाटा लेकर आप उसको खाली भी करा दें तो चारा कहां रखें। जो चारा बचता है वह साल भर काम आता है, और अकाल के लिये भी उनको इकट्ठा करना पड़ता है। ऐसे ही बाढ़ों के लिये आपका क्या प्रोग्राम है। इसलिये मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि पिछले २० सालों में आबादी बढ़ी है इसलिये गोचर का आबादी में कन्वर्जन करके उसके लिये नियमों में संशोधन करके ऐसी आबादी के बारे में पुख्ता इन्तजाम करना चाहिये ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिले। कई जगह लाटे और बाढे लगे हुए हैं और अगर पटवारी नाराज हो गया धारा ९१ के तहत केस कर देता है और सैंकड़ों रुपये उस पर जुर्माना कर देता है। तो ऐसी हालत मे राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। उप-राजस्व मन्त्रीजी वहां गये थे तो हर गांव में यह समस्या है कि लाटा कहां लगाया जाय? बाढ़ उसमें लगा दे तो जुर्माना हो और लाटा लेकर छोड़ दे तो चारा कहां रखे? इन सारी समस्याओं पर राज्य सरकार को विचार करके इस बारे में कुछ करने की आवश्यकता है। वरना इससे काश्तकार बहुत पीड़ित हैं। आप कहते हैं कि पटवारी क्या जुल्म करते हैं? परन्तु ये समस्याएं हैं—लाटे की समस्या, बाढ़ की समस्या, गोचर की समस्या। इस तरह से काश्तकारों को कोई भी आदमी कभी भी कानून की लपेट में ले सकता है। रेवेन्यू लाज का सरलीकरण करने की आवश्यकता है। लाटे और बाढे की तरफ राज्य सरकार का कभी ध्यान नहीं गया कि कितनी आबादी की मिनिमम जमीन चाहिये। एक सर्क्यूलर पहले निकाला था कि आबादी के लिए इतनी जमीन काश्तकार को चाहिये और चार आना गज से वह होगा। उसके हिसाब से अगर केल्क्यूलेट करें तो हजारों रुपयों की वह जमीन होगी क्योंकि कैटल्स के लिये काफी जमीन चाहिये। ये समस्याएं काश्तकारों की गम्भीर समस्याएं हैं।

इसके अलावा कजावा की समस्या है। जो काश्तकार अपने घरू मकान बनाते हैं तो कजावा लगाते हैं। नियमों में स्पष्ट नहीं है। ऐसी एम्बीगुइटी है कि कलेक्टर की परमिशन लो। खुद का मकान बनाता है मगर कजावा नहीं मिलता है। बजरी के बारे में तो माईनिंग डिपार्टमेन्ट में छूट है लेकिन कजावा के लिये कोई रूल नहीं है। इसलिये कजावा के लिये लोगों को परेशान होना पड़ता है और जुर्माना भुगतना पड़ता है। इस बारे में राज्य सरकार को नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है उस पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने एग्रो-इन्डस्ट्रीज के बारे में एनाउन्समेन्ट किया है। इस बारे में काश्तकारों की जो समस्या है।

Page No. 100

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स में और ट्रैक्टर्स में सबसे ज्यादा ब्लैक चलता है। ५-६ हजार रु० ब्लैक का मौजूदा हालत में एक ट्रैक्टर पर लेते हैं। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इस बारे में नहीं सोचा गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को ऐसा इन्तजाम करना चाहिये कि जो प्रोग्रेसिव कल्टीवेटर ट्रैक्टर लेना चाहता है और उसमें इतना ब्लैक हो तो इस बारे में राज्य सरकार को एक निगम के द्वारा ट्रैक्टर की जो समस्या है, उसके स्पेयर पार्ट्स की जो समस्या है, पम्पिंग सेट्स की जो समस्या है, क्रूड आॅइल की जो समस्या है, व्यवस्था करें तो काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। आज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट्स नहीं होने की वजह से, स्पेयर पार्ट्स नहीं होने की वजह से क्रूड आॅइल की ऐजेन्सी सिर्फ एक के पास होने की वजह से वह ब्लैक करते हैं। उनमें कम्पीटिशन नहीं होता है और कोई एजेन्सी लगाने के लिये काश्तकारों के हित में तैयार नहीं है। इन समस्याओं के बारे में अब तक राज्य सरकार ने विचार नहीं किया तो काश्तकारों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष, काश्तकारों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं को आपकी मारफत सरकार के समक्ष रखा है। इनके बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ जो प्रोग्राम चल रहा है वह अच्छा है। इस बारे में प्रगति हुई है और सिंचित क्षेत्र भी बढ़ा है। इसके साथ-साथ जो बीमारियां लगती हैं क्राप्स में जैसे संकर बाजरे में लगती है, हाईब्रिड की वेराइटीज में इन बीमारियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने रिसर्च करके बीमारियों का इलाज नहीं पैदा किया है। साथ में इलाज निकाला जाय तो अच्छा होगा, वर्ना गांव के किसान कन्जर्वेटिव होते हैं। टेक्निकल सहायता से फर्टीलाइजर की मदद से नये टेक्निकल मेथड एप्लाई करके वह प्रोडक्शन बढ़ाता है, मगर फसल एकदम नष्ट हो गई तो काश्तकार आपके नये मेथड्स को एडाप्ट नहीं करेगा और प्रिमिटिव मेथड्स पर फिर आ जायेगा। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरों की देखा-देखी इम्प्लीमेंट्स खरीदकर किसान कुछ प्रोग्रेस करना चाहता है तो इसके साथ-साथ पम्पिंग सैट्स के लिए स्पेयर पार्ट्स हों, उनके ठीक करने के लिए कारखाने हों। जो एजेन्सी ले पम्पिंग सेट्स की वहीं पर यह इन्तजाम होना चाहिये कम्पनी की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब उनके इम्प्लीमेंट्स एप्रूव करे तो उसके साथ में यह एग्रीमेंट होना चाहिए कि इनको ठीक करने के लिए और उनके स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था वह कम्पनी करे ताकि काश्तकारों को लोस न हो। इस बारे में पाबन्दी लगाने की आवश्यकता है। खाली पम्पिंग सेट लगाने से तो टेम्परेरी फायदा हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए नुकसान हो जाता है।

इसके साथ-साथ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भूमि के रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है। उसके साथ-साथ राज्य सरकार को यह भी सोचना है कि लैंड रेवेन्यू अलाभकारी जोतों से वापस ले लिया यह तो ठीक है, परन्तु राज्य सरकार को भूमि के डेवलपमेंट के लिए लगाने के लिए जो थोड़ा खर्चा होता है उसको बर्दाश्त करना चाहिये। डेवलपमेंट के लिए स्कीम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

होनी चाहिये। मैंने हजारों शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को १५ बीघा के हिसाब से जमीन दिलाई है, परन्तु १५ बीघा जमीन पर वह काश्तकार खेती करके अपना पालन-पोषण नहीं कर सकता है। इसके साथ-साथ आप जब तक उनको लोन्स नहीं देंगे, जितना पैसा दो सालों में खर्च होता है उसका ज्यादा परसेन्टेज नहीं देंगे, सरकार द्वारा परसेन्टेज वहन नहीं किया जायगा तब तक उनका भला होने वाला नहीं है। वैसे तो सुनारों को जमीन दी, ट्राइब्स को जमीन दी, जमीन आपने दी लेकिन वे इतने होशियार नहीं हैं। इसलिये उनका जितना खर्चा हुआ है उसको राज्य सरकार वहन करे ताकि डेवलपमेंट हो सके, कृषि आगे पहुँच सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं और वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, दूसरी बातों की ओर नये तौर से ध्यान दिया है उसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा लेकिन उनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह !

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो आने वाले वर्ष का बजट विधान सभा के सामने प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार का है जिसकी हम पेश करने के लिये आशा लगाये बैठे थे। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी घाटे का बजट वित्त मंत्रीजी द्वारा पेश किया गया है। एक विशेषता इस बजट में अवश्य इस वर्ष है कि घाटे का बजट होते हुए भी वित्त मंत्रीजी ने या राज्य सरकार ने अधिक कर बढ़ाने या नये कर लगाने का प्रावधान बजट में नहीं रखा बल्कि कुछ करों में कटौती भी बजट के दौरान सरकार ने की है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो कटौती करों में राज्य सरकार द्वारा की गई है उससे सामान्य लोगों को किसी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं है और जो कटौती हुई है वह हमेशा के लिये कायम रहेगी और वर्ष के दौरान टैक्सों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायगी इस प्रकार की गारन्टी सरकार द्वारा नहीं दी गई है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार इस पर कायम ही रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष ६६-६७ का बजट आया उस वक्त इसमें ११५.६९ करोड़ की आय बताई गई थी लेकिन संशोधित आय १२७.४२ करोड़ की हुई। इसी तरह से सरकार ने जो व्यय का अनुमान लगाया था वह १२७ करोड़ का था किन्तु १३८.९७ करोड़ का खर्चा राज्य सरकार को करना पड़ा है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो राज्य का व्यय सरकार ने अगले साल में होना बताया है उतना ही व्यय सरकारी मशीनरी द्वारा किया जायगा इसको किसी प्रकार नहीं बढ़ने दिया जायगा इसकी कोई गारन्टी नहीं है। वैसे तो वित्त मंत्रीजी ने ९३ लाख का घाटा १८ करोड़ की जगह तोड़-मरोड़ कर बताया है लेकिन ९३ लाख के घाटे को देखते हुए हम किस प्रकार मान सकते हैं कि साल के दरमियान किसी प्रकार की वृद्धि करों में नहीं की जायगी यह विवाद का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने परोक्ष,

(श्री महेन्द्रसिंह)

अपरोक्ष टैक्स लगाये जाते हैं उनका भार गरीब आदमियों पर, किसानों पर, गांव के लोगों पर आता है, चाहे सेल्स टैक्स हो, चाहे यात्रा टैक्स हो हर प्रकार का बोझ किसी पर पड़ा है तो उन पर पड़ा है जो गरीब हैं, किसान है, गांवों में रहते हैं। मुझे सख्त अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि आज उनकी हालत क्या हो रही है, कितनी उनकी हालत बिगड़ती आ रही है जरा भी इस पर चिन्तन नहीं किया गया है। आज स्थिति यह हो गई है कि आपने सरचार्ज बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिया, पिलाई बढ़ गई लेकिन फसलों के भाव कम हो गये इसलिये किसान की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। जो ६० बीघा जमीन पर खेती करता है उसकी भी हालत कमजोर होने के कारण बीमारी का इलाज नहीं करा सकता और इस कारण अंत में आत्म हत्या उसको करनी पड़ती है। मैं ऐसा ही एक उदाहरण अपने इलाके के एक आदमी का देना चाहता हूं। मेरे ही इलाके के एक गांव में एक काश्तकार ५५.६० बीघा जमीन पर खेती करता था लेकिन उसकी दयनीय हालत हो गई थी, वह अपने परिवार के लोगों का भरण-पोषण नहीं कर सकता था और बीमार पड़ने पर अपना इलाज नहीं करा सका। मजबूर हो कर उसको यह सोचना पड़ा कि मैं अब जिन्दा नहीं रह सकता। यह सोच कर वह बस में बैठ कर रेलवे लाइन तक गया और कोटा से उत्तर की ओर जाने वाली लाइन पर आत्म हत्या करके मर गया। आज इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि रहना मुश्किल हो गया है. पढ़ाई-लिखाई, कपड़े पहनना आदि तो दूसरी बात है। आज तो लोगों के लिये अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति करों और महंगाई के कारण उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार को इस पर गहराई से विचार करना चाहिये।

बजट भाषण में सोइल कंजरवेशन की बात कही गई है। मेरे क्षेत्र में इतने लार्ज स्केल पर भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसका उल्लेख बजट भाषण में किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल बीतने के बाद भी ३० एकड़ जमीन का लेवल नहीं कर पाये हैं। जो अनलेवल्ड जमीन है उसका लेवलिंग नहीं कर पा रहे हैं। इटावे में जो जमीन इस काम के लिये ली जा रही है, वहां का सुपरवाईजर कोठारी नाम याद नहीं, हां ईश्वरसिंह भाटी उनका नाम है झूठी लोग बुक मेन्टेन करवाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! बिना पूर्व सूचना के किसी का नाम लेकर नहीं कहें।

श्री महेन्द्रसिंह : मेरे पास पूरी सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को सूचना नहीं है। बिना सूचना के इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

एक माननीय सदस्य : गलत हो तो ये चैलेन्ज करें।

श्री बी. एन. जोशी : गवर्नमेन्ट हेव नो इन्फोरमेशन।

श्री महेन्द्रसिंह : एक अधिकारी हैं जो सही तरीके से लोग बुक मेन्टेन नहीं करते

(श्री महेन्द्रसिंह)

और ड्राइवर को धमकी देते हैं कि इस तरह से मेन्टेन करो नहीं तो तुमको डिसमिस कर दिया जायगा। मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की भूमि प्रोजेक्ट में एक्वायर करके ली गई थी उन किसानों को यह बताया गया था कि जमीन का लेवल करने का खर्चा आयगा वह आपको देना पड़ेगा बाकी रकम राज्य सरकार भुगतान करेगी। आज वहां पर ६००) रुपया बीघा के हिसाब से खर्चा हो गया उनसे यह रकम डिमान्ड की गई है इसके अलावा किसानों से इस प्रोजेक्ट के लिये चार-चार सौ रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ट्रेक्टर काम करते हैं दो घंटा और पर्सनल काम पर चलाते हैं ८ घंटा। कई ट्रेक्टर तो ऐसे हैं जिनको चलते १ महीना भी नहीं हुआ और उनके टायर और ट्यूब खत्म हो गये। एक इंजिन तो आया तब से बन्द पड़ा है। एक ट्रेक्टर जिसका नं० आर. जे. आर. ४७६२ है वह १६२ घंटा चला है लेकिन लोग बुक में १०५ घंटे लिखे गये हैं। इस ट्रेक्टर की यह हालत है कि हालांकि इसे नया ट्रेक्टर बताया गया है पर वास्तव में यह सैकिण्ड हैंड ट्रेक्टर है, सैकिन्ड हैन्ड से भी बदतर है, इसके ट्यूब, टायर बिल्कुल खराब हो गये हैं, सारा ट्रेक्टर बुरी तरह खराब हो गया है और उनके मकान के सामने पड़ा हुआ है इस प्रकार जमीन के लेवलिंग के नाम पर लाखों रुपयों की बर्बादी की जा रही है। मैं समझता हूं इस व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकार को ध्यान दे कर इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिये और इस अधिकारी की जांच की जानी चाहिये। और इस व्यवस्था से जो लाखों की बरबादी होती है, उसको रोकना चाहिये।

तीसरी बात मैं आबकारी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। गत वर्ष कोटा सिटी के शराब के ठेके नीलाम हुए। ये ठेके गारन्टी सिस्टम से नीलाम हुए। इस नीलामी में एक पार्टी ने २३ लाख गारन्टी का आश्वासन दिया और दूसरी पार्टी ने २६ लाख का और तीसरी पार्टी ने २६। लाख का गारन्टी का आश्वासन दिया। पर २६ लाख की बोली वालों को और २६। लाख की बोली वालों को ठेका नहीं दिया गया, २३ लाख की जिसने बोली लगाई थी, उसको ठेका दिया गया है। इस प्रकार इस एक मामले में ही राज्य सरकार को सवा तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ, सवा तीन लाख रुपये की कम प्राप्ति हुई ..

(३.५१ म० प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

तो इस प्रकार नीलामी में जो गड़बड़ियां की जाती हैं, उन पर सरकार द्वारा समुचित चैकिंग की व्यवस्था करनी चाहिये और अधिकारियों पर अंकुश रखना चाहिये जिससे कि वे किसी पार्टी से मिल कर ठेकों की नीलामी में घोटाले न कर सकें और कम रकम पर ठेकों की नीलामी कर के राज्य सरकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकें। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस व्यवस्था पर पूरा चैक रखना चाहिये कि जिससे अधिकारी निष्पक्ष रूप से ज्यादा से ज्यादा रकम पर ठेकों की नीलामी करें और इससे राज्य सरकार को लाभ हो। आज

(श्री महेन्द्रसिंह)

की व्यवस्था से जो सरकार को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से राज्य को बचाया जा सके ।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा बिजली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी ने बताया कि ४२ हजार कुओं पर बिजली देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तीन-चौथाई हिस्सा ऐसा है जो कमाण्डेड है लेकिन इन्दरगढ़ तहसील का एक-चौथाई हिस्सा ऐसा है कि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। वहां एक मात्र जरिया सिंचाई का है वह कुओं का है। यदि वहां पर कुवों पर पावर दे दिया जाय तो सिंचाई हो सकती है। उस इलाके में हजारों की तादाद में कुए खुदे हुए हैं। बिजली विभाग ने वहां बिजली लगाने के नाम पर वहां के लोगों से रकम वसूल की और कहा कि हम आपके यहां बहुत जल्दी बिजली लगा देंगे। कई जगह बिजली के खम्भे भी लगा दिये, लोगों ने मोटर्स के लिये लोन मांगे, कई लोगों को लोन भी मिल गये और उन लोगों ने मोटर्स भी खरीद ली, लोगों ने पाइप्स और बिजली के लिये दूसरा आवश्यक सामान खरीद लिया, वहां खम्भे लग जाने के बावजूद भी आज तक कनेक्शन नहीं मिला है। कितना रुपया लिया इसका कोई हिसाब नहीं, कनेक्शन देने का नाम नहीं। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिलाए जायें और इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी किसी कर्मचारी के द्वारा की जा रही हो तो इसकी जांच की जाये।

बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति : श्री फूलचन्द बाफना !

फूलचन्दजी के बाद रामानन्दजी आपका नम्बर है।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है। बजट बनाया किसलिये जाता है ? मेरा ख्याल है कि बजट जो बने वह राज्य के निवासियों के लिये बने, केवल मौज करने वालों के लिये नहीं। जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिये बने। जो लोग कष्ट में हैं तकलीफ में हैं, उन लोगों की तकलीफें और कष्ट आदि इस बजट के परिणामस्वरूप दूर नहीं होती हैं तो हम यह समझेंगे कि यह बजट केवल दिखावा मात्र है।

वास्तव में विकास की अगर बात करें तो राजस्थान में विकास कुछ हुआ जरूर है, ऐसी बात तो नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ लेकिन एक कारीगर एक ईंट एक साल में चिपकाये और दूसरी ईंट दूसरे साल में चिपकाये और इस तरह २० साल में २० ईंटें चिपका कर कहे कि हमने विकास कर लिया है तो यह विकास नहीं कहा जा सकता। २० साल के एक लम्बे अर्से के लिहाज से हमें काम को नापना पड़ेगा कि बीस साल के लायक विकास का काम किया है या नहीं। अगर बीस साल के हिसाब से काम नहीं किया है तो उसे किसी सूरत में विकास नहीं कहा जा सकता। यों तो काम हमेशा से होता आया है। पुराने राजाओं के समय में भी अस्पताल बनते थे, सड़कें बनती थी और काम होते थे, फिर आज हम क्या कर रहे हैं ? हम ज्यादा करते

(श्री फूलचन्द बाफना)

होंगे पर यह विकास नहीं, हमारा केवल यही काम नहीं है कि सड़कें बना दीं, अस्पताल बना दिये, बल्कि हमारा वास्तविक काम है इन्सान को इन्सान का दर्जा दिलाना, इन्सान के अन्दर इन्सानियत पैदा करना, इन्सान को इन्सान बना कर ऊपर उठाना। अगर इन्सान को इन्सानियत से नीचे गिराया है तो हम कहेंगे कि हमने किन्चित्मात्र भी विकास नहीं किया है। यह जो हमारा लाखों करोड़ों का बजट है, उसमें से पहले के एक के अंक को हटा दें और बाकी जितनी शून्य हैं, उनको ही रखेंगे तो उन शून्यों का क्या मूल्य है? इसी तरह से अगर पहले का एक के अंक वाला मूल्य महत्त्वपूर्ण अंक इन्सानियत नहीं है तो सारे शून्य बिना किसी मतलब के होंगे, वे सब बेकार होंगे। सारी योजनायें अगर सही मानें में इन्सान पैदा नहीं करेंगी तो वे सब बेकार हैं। भूतकाल के कार्य की नजर से यदि हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सांख्यिकीय विभाग ने जो इसमें आंकड़े इकट्ठे किये हैं वे सब इन्द्रजाल हैं. पहले के आंकड़ों को ही प्रायः इधर-उधर किया गया है, कहीं घटा दिया है तो कहीं बढ़ा दिया है। इस प्रकार से बजट नहीं हुआ करते। हमारे पूज्य बापू ने तो यह कहा था कि सबसे पहले आदमी के अस्तित्व की गारन्टी होनी चाहिये। भर पेट खाने के लिये रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, उसकी शिक्षा की व्यवस्था, उसके स्वास्थ्य का प्रबन्ध, उसकी सुरक्षा की गारन्टी और उसके लिये सस्ते न्याय की सुव्यवस्था ये ७ चीजें हर आदमी के अस्तित्व के लिये सबसे पहले जरूरी हैं, ये सात बुनियादी जरूरतें हैं, ऐशोआराम का तो बाद में नम्बर आता है। सबसे पहले एग्जिस्टेन्स, अस्तित्व, जिन्दा रहने का इन्तजाम हो। प्रकृति का यह सबसे पहला नियम है, अगर हम आदमी के जिन्दा रहने का इन्तजाम नहीं कर सकते तो वह बजट किसी काम का नहीं, वह तो एक मात्र रिवाज है कि साल भर में एक बजट रख दिया, उस पर बहस हो गई और उसे पास कर दिया। बजट का खास मतलब बुनियादी उसूल यह है कि उसमें आदमी के जिंदा रहने का पूर्ण रूप से माकूल प्रबन्ध हो। यदि किसी आदमी के अस्तित्व का भरोसा नहीं, समाज में उसे जिन्दा रहने का भरोसा नहीं, उसके मरने के बाद उसके बीबी बच्चों का क्या होगा, यह उसे कोई भरोसा नहीं तो वह आदमी आराम से नहीं मर सकता। अगर कोई आदमी आराम से नहीं मर सकता तो मरते वक्त उसकी दुराशीष बहुत ही खोटी साबित होगी। आपके बजट में इस प्रकार की सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये कि हर आदमी के अस्तित्व की उसमें गारन्टी हो और वह मरते समय आराम से मर सके।

इस वर्ष के बजट में देखें तो इस सरकार ने सबसे पहला इनाम यह दिया है कि जिन छोटी जोतों पर भू-राजस्व माफ कर दिया गया था, उन छोटी जोतों पर भू-राजस्व फिर से लगाया है। यह प्रकृति का नियम है कि आदमी जब जन्मा है तो उसको जीने का पूरा अधिकार है। कुदरत से हवा, रोशनी, पानी मिलता है, सारी बातें मिलती हैं पर रोटी कुदरत से नहीं मिलती। रोटी का इन्तजाम करने के लिये कुदरत ने जमीन दी है। तो रोटी के मामले में इन्सान पराधीन हो, उसकी रोटी

(श्री फूलचन्द बापना)

का जरिया जमीन है वह सीधे उसके अधिकार में न हो कर राज्य के कब्जे में हो, रोटी के साधन जमीन पर आदमी का सीधा स्वामित्व न हो कर जमीन पर राज्य का स्वामित्व हो तो वह गलत चीज है, एक आदमी को जिन्दा रहने के लिये तो राज्य की आधीनता नहीं होनी चाहिये। राज्य की आधीनता रोटी के मामले में हो तो वह तो कुदरत के कानून के खिलाफ है। जो बड़ी-बड़ी आय है जैसे इन्कम टैक्स में है, उसी तरह से जमीन से जो आय काश्तकारों को होती है उस पर भी आप आय कर लगा दीजिये। मेरी मान्यता है कि जमीन पर भू-राजस्व एक पुराना और अवैज्ञानिक तरीका है इस पर भी आप इन्कम टैक्स लगाइये। एक ही टैक्स लगाइये। एक अफसर टैक्स लेने के लिये अभी आता है, दूसरा अफसर फिर कुछ दिनों बाद आता है, तीसरा फिर कुछ और समय पर आता है, एक ही आदमी को गांठने वाले कितने हैं। एक ही खेत में इस प्रकार कितने ही सांड चरते हैं, यह व्यवस्था ठीक नहीं है, एक ही सांड चरे तो ठीक है। केवल अफसरों के भरोसे जनता को छोड़ दिया जाय तो वह उचित नहीं होगा एक टैक्स कर देना चाहिये। आप जितना कमाओ उसका एक इतना हिस्सा सरकार को दे दो, इससे सभी को व किसानों को भी सहूलियत रहेगी और सरकार का भी कितने ही महकमों का खर्चा कम हो जायगा इसलिये एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिये। जमीन पर लगान के लिये तो प्रकृति की मांग है कि भू-राजस्व को बिलकुल हटा कर एक ही प्रकार का इन्कम टैक्स जैसा टैक्स लगा देना चाहिये। छोटे किसानों पर आयकर का प्रभाव पड़ेगा भी नहीं।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि जुए की आदत को शान्त करने के लिये लौटरी सरकार ने खोली है। यह हमारी जनता की बदनामी है कि राजस्थान के लोग जुआ पसन्द हैं, उनको जुआ खेलने की आदत है। कौन कहता है कि हम जुआ पसन्द हैं? आपको लौटरी चलानी ही थी तो यह आप कह सकते थे कि हम लौटरी का सिस्टम शुरू करते हैं।

(४ म. प.)

वह हमारे ऊपर इल्जाम है कि हम सब लोग जुएबाज हैं और हमारे स्वभाव की पूर्ति करने के लिए लौटरी खोली है। अब लौटरी खोलते हैं या नहीं यह एक विवादास्पद प्रश्न हो सकता है लेकिन हम सब लोगों को कलंकित करके लौटरी खोलने की व्यवस्था आपके द्वारा बनाई जाती है तो यह अच्छी बात नहीं है। कोई बात बाहर से भली है लेकिन काम हमारा उसके विपरीत होता है। अभी जवाब दिया वित्त मंत्रीजी ने कि जहां पर संविद सरकारें बनीं उन्होने देश के सामने क्या उदाहरण पेश किया। उन्होंने बड़े-बड़े मंत्रिमण्डल बनाये। तो उन्होंने जो उदाहरण पेश किया, उसको आपने अंगीकार कर लिया। मेरा निवेदन है कि अनुचित नकल करना अच्छी बात नहीं है, नकल करना बहुत बुरी बात है। अब संविद सरकारें बनीं, उन्होने बड़े मंत्रिमण्डल बना कर आदर्श प्रस्तुत किया तो आपने भी बड़ा मंत्रिमण्डल बना लिया। लेकिन अब संविद सरकार भंग हो गई तो क्या आपकी सरकार भी भंग हो जायगी। तो यह

(श्री फूलचन्द बाफना)

आदर्श नहीं है नकल करना। मूल बात में हमें जाना चाहिये और जनता को ऊपर उठाने की बात करनी चाहिए।

कृषि के सम्बन्ध में मैं आपको बताता हूं। आप सुधरे हुए तरीको से कृषि करने की बात करते हैं। लेकिन पाली जिले में पन्द्रहसौ पम्पिंग सैट्स दिये गये लेकिन उनको चलाने के लिये क्रूड ऑइल उन्हें समय पर नहीं मिलता है। और महंगा मिलता है, इसलिए वह चल नहीं सकते हैं और खेती करना आसान हो नहीं सकता है। यह पम्पिंग सैट्स की बात है। इसी तरह से आप बीज की बात सुनिये। बीज की बात में यह है कि आज जौ के बीज के लिए नब्बे रुपये प्रति क्विंटल सहकारी समिति लेती है तो किसानों को बीज कहां सस्ता उपलब्ध हुआ। आज भी किसानों को बीज मुश्किल से मिलता है और महंगा मिलता है। पम्पिंग सैट्स के लिए कहें तो पम्पिंग सैट्स तो हैं लेकिन उनके लिए क्रूड ऑइल नहीं। इसी तरह से आज कीटनाशक दवाइयां नहीं मिलती हैं। कीटनाशक का अच्छा फल किसानों को नजर आया तो वह कीटनाशक दवाइयों लेना चाहते हैं लेकिन उनको मिलती नहीं। इसलिए बाजार में कीटनाशक दवाइयां की दुकानें खोली जायं जहां पर किसानों को कीटनाशक दवाइयां मिल सकें और उनको आपके विभागों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसी तरह से आपके कृषि के नये यंत्रों और नये औजारों का हाल है। जो नये यंत्र और औजार लोगों ने खरीदे उनके स्पेअर पार्ट्स उनको नहीं मिलते हैं, जो यंत्र खराब हो जाते हैं उनको सुधारने के लिए कारखाने नहीं हैं। आपने एक चीज तो चालू कर दी लेकिन वह खराब हो जाने पर उसको सुधारने की आपको चिन्ता नहीं है। आपने सघन खेती के क्षेत्र बनाये पाली जिले में. लेकिन जैसा आपने शुरू-शुरू में कहा था कि वहां पर ऐसे कारखाने भी खोलेंगे, उसकी आप व्यवस्था आज तक भी नहीं कर पाये हैं। और कितने सालों के बाद भी उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं। इससे मालूम पड़ता है कि बात ज्यादा करते हैं और काम नहीं करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम कहें थोड़ा और काम ज्यादा करें।

सिचाई के बारे में आपने कहा कि आप बिजली उपलब्ध करते हैं लेकिन बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि आधी रात को बिजली देते हैं और फिर कहते हैं कि रात को लेनी हो तो लें नहीं तो चले जायं....

श्री मथुरादास माथुर : वह काम रात को होता है।

श्री फूलचन्द बाफना : तो किसानों को बिजली सुविधा से मिलनी चाहिए और यह काम अच्छी तरह से होना चाहिए।

आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के लिए जितनी बातें हैं वह पैसे की बातें हैं। लेकिन पैसे के लिए वित्त मंत्रीजी ने कहा कि इस साल इतना पैसा नहीं है, जबकि केन्द्र से यह उत्तर आ गया था कि विकास योजनायें चालू रखी जायें। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हमें लोगों को ऊपर उठाना है तो पंचायतों को पूरी सत्ता दे देनी चाहिए। प्रशासनिक एक ईकाई पंचायतों को होना चाहिए, पंचायतें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होनी

(श्री फूलचन्द बाफना)

चाहिएं, पंचायतों को पूरे अधिकार मिलने चाहिएं प्रशासनिक चाहे वह गांव को बरबाद ही कर दें। मैं यह मानता हूं कि यदि पंचायतें गांवों को बरबाद कर देंगी तो गांव वाले उनको सहन नहीं कर सकते और वह उनको उठा कर फेंक देंगे। पंचायतों के द्वारा जो कुछ होता है उसके लिए लोग आज कहते हैं कि इसमें हमारे बाप का क्या गया। थोड़ा बहुत नुकसान करती हैं पंचायतें तो थोड़ा सा ही काम करती हैं। जब ज्यादा काम करने लगेंगी और ज्यादा हानि करेंगी तो पंचों को लोग जरूर उठा फेंकेंगे। इसलिए पंचायतों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना चाहिए। इसके साथ ही जिला परिषद् को भी सम्पूर्ण अधिकार होने चाहिएं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कलेक्टर को उसका सेक्रेट्री बनाया जाय यह ठीक है। जिला परिषद् को इतना शक्तिशाली होना चाहिए। आज जिला परिषद् एक पोस्ट-आफिस जैसी है, जो चिट्ठी को इधर से उधर भेज देती है और उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए जिला परिषद् को पूरे अधिकार होने चाहिएं।

पीने के पानी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा निवेदन है कि अभी तक इतने वर्षों के बाद भी पीने के पानी का इन्तजाम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में नहीं कर पाये हैं। वहां के लोगों को पीने के पानी की किल्लत उठानी पड़ती है और कोसों तक पानी के लिए जाना पड़ता है। पीने के पानी की यह स्थिति है।

बिजली के लिए मैं आपको बताऊं कि जिन गांवों में बिजली दी गई है, वहां पर उनके पास बिल गलत आ जाते हैं। सादड़ी में गलत बिल आये तो उनको फालना में सोलह मील दूर जाना पड़ता है क्योंकि गांवों में यह इन्तजाम नहीं है गलत बिलों को सही कराने का। आज स्थिति यह है कि बिल्कुल गलत बिल आते हैं, मीटर्स की गलत रीडिंग की जाती है और कह दिया जाता है कि इतना पैसा भरो वह लोग कहां से भरें। जो पानी के बिल आते हैं, उनको मैंने देखा है, जयपुर में ही एक महीने में सारे घर के लिए पानी का पच्चीस रुपये का बिल आया और दूसरे महीने में एक सौ पच्चीस रुपये का आ गया। तो यह कैसी अव्यवस्था है। बिजली से आराम होता है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था से तो आराम के बजाय तकलीफ हो जाती है। आराम के बजाय तकलीफ पैदा नहीं हो ऐसी व्यवस्था आपको रखनी चाहिए।

जंगलों के बारे में मेरा निवेदन है कि जंगल देश के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन आप जंगलों को काट रहे हैं धड़ाधड़। जंगलों को लोग रात को काटते हैं और रात को काट कर लकड़ी ले जाते हैं। इस कारण से आज जंगल नंगे हो गये हैं। जो बहुत हरी-भरी पहाड़ियां थी, जंगल थे वे आज बिल्कुल नग्न दिखाई देते हैं। इस कारण जब बादल आते हैं, तो पहले तो जंगल रोक लेते थे और अच्छी वर्षा हो जाती थी। जंगल उनको रोक देते थे, उनकी मनुहार कर देते थे, लेकिन अब उनको रोकने वाला नहीं है। अब जंगल कहता नहीं कि रुको। अब जंगल नहीं हैं तो कौन कहे कि रुको। जंगल तो आपने काट दिये हैं, और कोई चिन्ता करने वाला नहीं है कि बादल वहां रुकें तो बादल आये जायेंगे। जंगल हों तो वह कहते

(श्री फूलचन्द बाफना)

कि तुम परवाह मत करो हम बादल को रोक लेंगे। इसलिए आपको जंगलों की परवाह होनी चाहिए...

एक माननीय सदस्य : हमारे यहां आने चाहिएं।

श्री फूलचन्द बाफना : हमारे यहां रहे या आपके यहां जायं लेकिन जंगलों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।

गांवों के लिये आप कहते हैं कि किसान और मजदूर आन्दोलन करते हैं। मैं कहता हूं कि किसान और मजदूर तो शान्त हो जायेंगे लेकिन आप उनकी हालत को तो ऊपर उठायें। किसान को आज अनाज पचास रुपये मन पड़ेगा लेकिन उनको उतना पैसा मिलता नहीं। आज किसान के सारे घर के लोग कड़ी मेहनत कर के अनाज पैदा करते हैं लेकिन उनको ढंग से पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को पूरी कीमत अनाज की मिलनी चाहिये और खाने वालों को अनाज सस्ता मिलना चाहिए इसलिए जिस प्रकार खादी पर सब्सीडी देते हैं, रिबेट देते हैं उसी प्रकार अनाज के मामले में भी सरकार को रिबेट देनी चाहिये। अगर यह प्रणाली चालू करेंगे तो खाने वाले को अनाज सस्ता मिलेगा और किसान को पूरे दाम मिल जायेंगे। इसलिए रिबेट का सिस्टम लागू करना जरूरी है।

आज जो लोग बेकार हैं उनको आप धन्धा नहीं दे सकते हैं और वह कोई आन्दोलन करते हैं तो सरकार कहती है कि ला एण्ड ऑर्डर मानना पड़ेगा। आपने उनको लॉ एण्ड ऑर्डर के पिंजरे में बन्द कर दिया है। अगर वह लॉ एण्ड ऑर्डर नहीं मानते हैं तो आप उन पर गोली चलाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा इन्तजाम होना चाहिए कि जितने बेकार लोग हैं, जब तक उनको आप रोजगार का इन्तजाम करने की स्थिति में नहीं आयें तब तक उनको बेकारी का भत्ता मिलना चाहिए। बेकारी का भत्ता देकर आप उनको कम्पेन्सेट करिये और जिस रोज वह लग जायं धन्धे पर उस रोज से ही आप उनका बेकारी का भत्ता बन्द कर दीजिये। मैं समझता हूं इस तरह की व्यवस्था करना आवश्यक है।

मितव्ययता की बात है, मेरा निवेदन है कि आप बहुत सारी फिजूलखर्ची सरकार की है, उसे बन्द कर सकते हैं। मैं उदाहरण देकर कह सकता हूं, जहां सरकारी ऑफिसों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि सब अधिकारियों के लिए टेबल हैं, कुर्सी है और फर्श पर बिछाने के लिये दरी भी वहां रहती है। तो उन दरियों की आवश्यकता क्या है। यदि कमरों में से दरी हटा दें तो लाखों रुपयों की धनराशि बच सकती है। इसी तरह से सोच सकते हैं कि कौनसी चीज जरूरी है, कौनसे खर्च के बिना हमारा काम चल सकता है। जो अनावश्यक खर्च हैं उनको हम हटा सकते हैं और फायदा कर सकते हैं।

गृह-उद्योगों की जहां तक बात है, गृह-उद्योग देश के लिए बहुत आवश्यक हैं क्योंकि जो बड़े-बड़े उद्योग हैं वह लोगों को इतना स्थान नहीं देते हैं जबकि उनमें बहुत ज्यादा रुपया लगाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा-सा रुपया लगायें किसी ग्रामोद्योग में तो आप देखिये कि वह कितने लोगों को रोजगार देते

(श्री फूलचन्द बाफना)

हैं। उसके अनुपात में आप देखिये कि करोड़ों रुपया जिन कारखानों में लगाते हैं वह कितना रोजगार लोगों को देते हैं। रिलेटिवली, आनुपातिक रूप में देखेंगे तो पायेंगे कि ज्यादा रुपया लगाकर बड़े-बड़े कारखानों में कम लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और ग्रामोद्योगों में थोड़ा-थोड़ा रुपया लगा कर ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

सहकारिता राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जहां-जहां ऐसा मालूम हुआ है कि यह अच्छी बात है वहां-वहां पर चोर घुसा दिये और जो अच्छी बात थी उसको बदनाम कर दिया। जैसे कि दही है, खाने में बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन उसको किसी बिना कलई के बर्तन में डाल दें और उसमें पड़ा रहने दें तो वह बाहर फेंकने लायक हो जायेगा, वह विष हो जायेगा। इसी तरह से बिना कलई के जैसे व्यक्तियों के इन संस्थाओं में आने के कारण यह खराब हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बाहर फेंक दें और फिर सारी संस्थाओं का सुधार हो। एक आदमी के सिर में दर्द है, उस आदमी के लिए कहें कि उसका सिर काट दो तो न सिर रहेगा और न दर्द तो ऐसी प्रणाली से, दवा से उपचार हो कि उसका शरीर भी रह जाय और उसका दर्द भी मिट जाय। अब आपके इधर मार्केटिंग सोसाइटी हैं और इधर कृषि उपज मंडियां--तो एक काम के लिए पैरेलल बॉडी नहीं होनी चाहिये क्योंकि यदि मार्केटिंग सोसाइटी सफल होती हैं तो कृषि उपज मंडी नहीं होनी चाहिये। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। या तो आप ग्रामोद्योग चलायें या आप कल-कारखाने चलायें। या तो आप कृषि मंडी चलायें या मार्केटिंग सोसाइटी। जनता का किसमें भला है इस विचार के साथ में आप को काम करना चाहिए।

इसी तरह से खुद काश्त की परिभाषा कानून में लिखी है कि जो खुद काश्त करे वह खुद काबिज है। अब नौकर रख कर कोई काश्त कराता है तो वह कैसे खुद काश्त रहेगा, खेती तो मजदूर करते हैं। इसलिए आप इन परिभाषाओं को पलट दीजिये, ये परिभाषायें गलत हैं। जैसे मजदूर वह है जो मजदूरी करता है या नौकर रख कर मजदूरी करवाता है—तो ऐसी परिभाषा ठीक है।

शिक्षा की बात है, शिक्षा के मामले में हम क्या कर रहे हैं, सिवाय इसके कि बेकार आदमी बढ़ा रहे हैं। जो बैठकर खायें काम कुछ नहीं करें। एक प्रशिक्षण केन्द्र चलायेंगे या कहीं जैसे कि गये साल कहा था कि छोटी जोतों पर लगान माफी की जाती है, तो उस वक्त माननीय सदस्यों ने मेज थप-थपायी थी लेकिन अब वापिस ले लिया तो मेज थपथपाई नहीं और बोले नहीं। इसी तरह प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की बात हुई तो प्रसन्नता व्यक्त की गई लेकिन आज इनको खत्म करना पड़ रहा है। वास्तव में बेकारी क्यों फैल रही है, क्योंकि हमारी व्यवस्था बराबर नहीं है। हम आदमियों को धन्धा नहीं दे सके हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली दोष-पूर्ण है। वह बेकार आदमी पैदा करती है। पढ़ा-लिखा आदमी काम नहीं करे तो यह मानी हुई बात है कि जब काम ही नहीं करेगा तो उत्पादन क्या करेगा ? हमारे सारे शरीर में रक्त विकार हो गया है। जैसे फोड़ा फुंसी

(श्री फूलचन्द बाफना)

हो जाते हैं तो जैसे सतर्कता आयोग का एक-एक फोड़े का इलाज करने पर भी स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं होगी काम ही फोड़ा फुंसी मिटाने जैसा ही है प्रत्येक फोड़े पर पट्टी बांधने की तरह तो सतर्कता आयोग कायम करने के बजाय मैं समझता हूं कि रक्त विकार का इलाज होना चाहिये । भ्रष्टाचार ऊंचे क्षेत्र में हैं । अगर ऊंचे क्षेत्र में समाप्त हो जाए तो नीचे भी समाप्त हो जाएगा । गांधीजी ने कहा था, सात बातें हैं जो समाज की सारी बुराई की जड़ हैं । उन्होंने पहली बात यह कही थी कि राजनीति बिना सिद्धान्त के चलती है । दूसरी बात यह कही थी कि धन का संग्रह बिना परिश्रम के हो जाता है । तीसरी बात यह कही थी, व्यापार बिना ईमानदारी के चलता है । चौथी बात कही थी, शिक्षा बिना चरित्र के होती है, पांचवीं बात कही थी आनन्द बिना ज्ञान के और छठी बात सेवा बिना विनम्रता के हो रही है और सातवीं बात यह है कि पूजा उसकी होती है जो सेवा नहीं करता । ऐसे लोगों का आज सत्कार होता है । ये सात बातें गांधीजी ने कही थीं । समाज में बीमारी की बात है वह समाज के लिए कुपथ्य के समान है । जब यह कुपथ्य नष्ट होगा तभी व्यवस्था ठीक हो सकती है । जब जीवन विकारों से ग्रस्त हो तो विकारों को नष्ट करने की व्यवस्था करनी चाहिये । गांधीजी ने क्या कहा था । २१ मई, १९४७ को गान्धीजी ने एक चेतावनी दी थी । १५ अगस्त, १९४७ से भी पहले । उन्होंने कहा था:—

'स्वतन्त्रता का जो अमूल्य रत्न हमारे हाथ आ रहा है, मुझे डर है, हम उसे खो न बैठें । स्वराज्य लेने का पाठ तो हमें मिला, परन्तु उसे टिकाये रखने का पाठ हमने नहीं सीखा । अंग्रेजों की तरह बन्दूकों के जोर पर हमारी राजसत्ता नहीं चलेगी । अनेक प्रकार के त्याग और तपस्याओं के द्वारा कांग्रेस ने जनता का विश्वास सम्पादन किया है । किन्तु यदि कांग्रेस वाले जनता को धोखा देंगे और सेवा करने के बजाय उसके मालिक बन जायेंगे तो मैं शायद जीऊं या न जीऊं परन्तु इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह चेतावनी देने की हिम्मत करूंगा कि देश में बलवा मच जाएगा । सफेद टोपी वालों को लोग चुन-चुन कर मारेंगे । (हियर, हियर की ध्वनि) और कोई तीसरी सत्ता ही उसका लाभ उठायेगी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : जोशीजी सुन लें ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): सफेद टोपी इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है । सब नंगे सिर हैं, आप के सिवाय ।

श्री परसराम : आप की भविष्यवाणी क्या है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सफेद टोपी वालों का लक्ष्य दूसरा है, इनका दूसरा है ।

श्री फूलचन्द बाफना : आज अनुशासन-हीनता क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, यह भारत में विघटन की बात है । आज देश में जगह-जगह सेनाएं बन रही हैं । कहीं शिव सेना बन रही है । कहीं लचित सेन बना रही है कहीं नाग सेना बनी हैं । यह सेनाएं क्या करेंगी ? आपस में लड़ेंगी और

(श्री फूलचन्द बाफना)

क्या करेंगी। इससे देश का विघटन हो रहा है। एक कहावत है कि मतदाता मूर्ख तो प्रतिनिधि धूर्त। मतदाता मूर्ख है तो प्रतिनिधि लायक और होशियार नहीं हुआ करता। तो आज विघटन करके उनको आपस में भिड़वा देते हैं। और भिड़वा कर लड़ाई करवा देते हैं। तो मतदाता मूर्ख होगा तो प्रतिनिधि धूर्त आयेगा। इस वजह से हमारा चुनाव का तरीका गलत है। वह क्यों, क्योंकि प्रतिनिधि तो जनता का है लेकिन गुलाम किसका, पार्टी के नेता का। जनता के प्रतिनिधि बन कर आते हैं, और गुलाम होते हैं पार्टी के नेता के। यह विरोधाभास है, इससे गड़बड़ हो रही है। आज देश में क्या हो रहा है ? आज देश में आधुनिक पंचतंत्र चल रहा है। आप ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी। एक है प्रजातन्त्र और एक है कजातन्त्र। प्रजातन्त्र जो अनुशासन मानता हो वह प्रजातन्त्र, नियम से रहता हो ढंग से रहता हो। एक कजातन्त्र है, जिस तन्त्र में कजा आजायेगी लोगों की यह भावना हो। एक भेड़तन्त्र है। जनता यानी भेड़, और उनका गड़रिया। जनता जिसका नेता गड़रिया है। हमारे यहां के बड़े आदमियों की आज परिभाषा क्या है ? परिभाषा बड़े आदमी की अच्छा इंसान या भला आदमी नहीं है। हम प्रश्न करें कि क्या हमने नया इंसान बनाया ? नये मानवीय और सामाजिक मूल्यों का निर्माण किया है ? नयी वेल्यूज कायम की हैं ? अगर उत्तर हां में नहीं आता है तो अभी हमने कुछ नहीं किया है। अभी हमें बहुत कुछ करना है। आज बड़े आदमी की परिभाषा, जिसके पास जमीन है, दौलत है वह बड़ा आदमी है। भला आदमी बड़ा नहीं है। वह बुद्धू है। आज नीति में अनीति है। राजनीति में अनीति है, न्यूसेंस वेल्यू का महत्व आज है। राजनीति में जो ज्यादा न्यूसेंस वेल्यू रख सकता है जो ज्यादा तिकडमबाजी कर सकता है, ज्यादा बदमाशी कर सकता है, आज उसी की पूछ है। यही कारण है कि जो अच्छे कार्यकर्त्ता हैं, वह दुबक कर बैठ गये हैं। भला आदमी चुनाव में प्रायः खड़ा हो नहीं होता है। भले आदमी को कहें कि चुनाव में खड़े हो तो वह कहता है चुनाव में खड़े होने से अच्छा है भीख मांग लेना। आज भले आदमी चुनाव में खड़े नहीं होते है। आज बहुत कम परसेंटेज में भले आदमी चुनाव में खड़े होते हैं। आप गांवों में जाकर देखिये।

श्री फतेहसिंह : इट इज सेल्फ कण्डमनेशन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चुनाव में तो अपने जैसे खड़े होंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : मैंने कहा परसेंटेज कम हैं यह नहीं कि सब के सब ऐसे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन में आपका नम्बर नहीं है ?

श्री फूलचन्द बाफना : सोशल सैंक्शन होती हैं, सोशल स्वीकृति होती है, वह क्या है, क्या नहीं है। जैसे कोई सरे बाजार ताला तोड़ देता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मारपीट करते हैं और सजा देते हैं। तो उसी वक्त सजा दे देते हैं। कानून के अनुसार वह रिपोर्ट नहीं करते। महिला से छेड़छाड़ करते हैं। उसको सोशल सैंक्शन नहीं मिली है। लेकिन रिश्वतखोरी आदि बुराइयों को मूक सोशल

(श्री फूलचन्द बाफना)

सैंक्शन मिल गई है परन्तु अब अधिक हो गई। इस सोशल सैंक्शन को विथ्ड्राॅ करना चाहिए, लेकिन वह कैसे की जाये। राज्य अच्छा इन्तजाम करे। प्रबन्ध करे, यदि लोग सोशल सैंक्शन अपने आप विथ्ड्राॅ करेंगे तो वह तूफान करेंगे, दूकानें जलायेंगे। और लोग विद्रोह कर देंगे। यह तूफान क्यों होते हैं क्योंकि दी गई सोशल सैंक्शन अब इसी प्रकार विथ्ड्राॅ की जा रही है। इसमें तबदीली तभी हो पाती है जब कि हम अपना अच्छा इन्तजाम कर लें। तो तूफान और विद्रोह से सोशल सैंक्शन को विथ्ड्राॅ करना सही इलाज नहीं है। जैसे कोई फोड़ा होता है उसमें मवाद पड़ जाता तो उसका इलाज इस तरह होता है, डॉक्टर उस फोड़े को चीरफाड़ करके ऑपरेशन कर दे। समय पर उसका इलाज नहीं हो तो बड़ी मुश्किलें और बड़े कम्प्लीकेशन्स उठ खड़े होते हैं। हमारी सभ्यता का तकाजा है कि हम खुद अच्छी तरह से इलाज करलें। इस तरह का जो बजट पेश कर रहे हैं इसमें लोगों को सब्ज बाग दिखाये हैं। मोर जैसे बहुत खूबसूरत होता है, मोर बहुत मीठा बोलता है पर अपने पैरों की तरफ देख कर रोता है। बजट ऊपर से अच्छा है लेकिन पैर कुरूप हैं। यह बजट आगे बढ़ाने वाला बजट नहीं है। यह स्थिति को बनाये रखने का बजट है। यह तो स्टेटस को मैंटेन करने का बजट है। गवर्नमेंट किस तरह की अच्छी होती है, जिसका उद्देश्य हो कि इंसान को आगे बढ़ाना चाहिए। आज सारा काम जो चल रहा है वह इस तरह से चल रहा। मैं आप को बताता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री फूलचन्द बाफना : समाप्त करने पर आ गया हूं। आप नहीं भी फरमाते तो एक मिनिट में समाप्त कर रहा था। तो सोशल सैंक्शन विथ्ड्राॅ करने के लिए आन्दोलन होते तो दूकानें जलाई जाती हैं। तूफान होते हैं। यह तमाम काम आन्दोलन करने वाले नहीं करते। वह तो केवल आन्दोलन करते हैं। लेकिन उस समय जो समाज का गुण्डा तत्व होता है, उसमें वह जुड़ जाता है और। राजनैतिक पार्टी फिजूल में बदनाम होती हैं। समुदाय में वह तत्व भी सम्मिलित हो जाता है। कोई राजनैतिक पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारा बजट इसी आधार पर बनाना चाहिये जिससे कि इन्सान ऊंचा उठे। नया इंसान बने, नया समाज बने। सोशल सैंक्शन ऐसी हो कि अच्छा इंसान बने, भला आदमी बने। यह बजट है, अगर इससे राज्य में भले आदमी बनेंगे और बढ़ेंगे तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति : श्री रामानन्द !

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक इधर का और एक उधर का बोलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप राज कर रहे हैं, आपको बोलने की क्या जरूरत है। कुछ खिलाफत में कहना हो तो कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, आम चुनावों के बाद इस सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। पिछली बार जो बजट पेश किया था जो राजनैतिक परिस्थितियां थीं, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को गम्भीरता से अपनी नीतियों पर विचार करने का अवसर उस समय नहीं मिला होगा और इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपना वह बजट रखा परन्तु इस बार सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि सरकार ने अपने गम्भीर चिन्तन के बाद न केवल राजस्थान सरकार ने बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन ने आम चुनाव के बाद अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करके जिनको उन्होंने आम चुनाव में महसूस किया है, उनमें कुछ तबदीली करना चाहा है। उस विचार के बाद यह बजट पेश किया गया है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज जो दिशा इस बजट की है चाहे हम उस बजट को क्या ही संज्ञा दें, किस रूप से देखें। इसमें इस बात से मुझे कोई संतोष नहीं कि इसमें कोई टैक्स प्रोपोजल्स नहीं हैं, मैं इसको इस दृष्टि से नहीं देखता कि सिवा किसानों पर अनइकोनोमिक होल्डिंग्स पर जो टैक्सेज वापस लगा दिए हैं इसके अलावा सरकार ने कोई प्रोपोजल्स नहीं रखें या सैल्स-टैक्स के अन्दर छोटी सी कुछ सुविधायें भी दी हैं। मैं इस बजट को इस दृष्टि से देखना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के सामने क्या पोस्पेक्टिव विकास का रखा है, जिस इकोनोमिक क्राइसिज से राजस्थान की जनता गुजर रही है, उससे निकलने का रास्ता यह बजट पेश कर रहा है। इस दृष्टि से यदि इस बजट को देखें, इसका विश्लेषण करें तो मैं इस बजट को स्टारवेशन बजट कहूंगा। इस प्रांत को जनता को आगे ले जाने वाला बजट नहीं कह सकता क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जहां तक विकास के काम हैं उन कामों से अधिक काम नहीं ले सकते सोश्यल सर्विसेज के काम हैं, कन्सोलीडेशन और क्वालीटेटिव चेंज पर ही ज्यादा कन्सन्ट्रेट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह दूसरा तरीका है इस बात को कहने का कि आज हमारे पास रिसोरसेज नहीं हैं जिन पर वह कन्सन्ट्रेट करें, देश के विकास को आगे बढ़ायें।

यदि बजट को थोड़ा भी गौर से देखें तो मंत्री महोदय ने केवल एक एक्सीडेन्टल मदद का सहारा लिया। फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश को बुनियाद पर मदद के रूप में जो तीन सालों के एरीयर्स के रूप में इकट्ठा करीब सवा चार करोड़ रुपया मिल गया, वह उसको एक आधार बनाकर उसको अपने रेवेन्यू अकाउंट्स को अपने सामान्य खर्चे में, रिकरिंग खर्चे में खर्च करके उसको आधार बनाकर चल रहे हैं।

दूसरे, जो भारत सरकार ने निर्णय किया कि वह लोन्स के बारे में एडहोक लोन्स को छोड़ कर जो दूसरे लोन्स हैं रिवर वेली प्रोजेक्ट्स के, वह २५ वर्षों में वसूल करेगी और एडहोक लोन्स के अलावा जो दूसरे लोन्स है उनको १३ वर्षों में वसूल करेगी। तो हमारी सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि इन एडहोक लोन्स को भी १३ वर्षों में ही वसूल किया जाय और इस आधार पर बजट जो इन कर्जों की वापसी, इनके व्याज को देने मे बहुत बोझ पड़ता था, उस बात को मानकर सरकार चल रही है कि भारत सरकार इस प्रार्थना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को स्वीकार कर लेगी और उस बुनियाद पर आंकड़े बनाकर खर्चा कम करके, बजट को बैलेन्स करने का प्रयत्न किया है और फिर भी उसमें बैलेन्स कहां है ? अगर हम रेवेन्यू अकाउँट्स को देखें तो उनमें १४ करोड़ रुपये का घाटा है, जो हमारे पास पूंजी इकट्ठी होती है चाहे वह लोन्स के रूप में होती है चाहे डिपोजिट्स के रूप में होती है, वह पूंजी हम इन्वेस्टमेंट करके, विकास के काम में लगा सकते थे। हमारे राज्य में वह पूंजी करीब २८ करोड़ में होगी। बजाय उसको पूंजीगत खाते में करके राजस्थान की विकास योजनाओं को बड़ा बनाया जाता, मंत्री महोदय ने उसमें से १३ करोड़ निकाल कर अपने रेवेन्यू अकाउंन्ट के घाटे की पूर्ति करने की कोशिश की है। यह बात इसी वर्ष की नहीं है, इस तरीके से बजट बनाने का राजस्थान में एक क्रोनिक मर्ज हो गया है। १९६६-६७ में इसी तरीके से रेवेन्यू अकाउंट्स में १९ करोड़ का घाटा हुआ है और अभी जो रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट्स चालू वर्ष के पेश किए गए हैं उनके अनुसार करीब ११ करोड़ का रेवेन्यू अकाउंट्स में घाटा है। इसका क्या मतलब ? इसका मतलब यह है कि बावजूद इस बात के कि एक गंभीरता की स्थिति को पेश करती है, हम खर्चे को सीमित कर रहे हैं, विकास के काम को रोक रहे हैं और उसके बाद तमाम इकोनोमीज करने के बाद हमारी आमदनी रेवेन्यू अकाउंट्स में इतनी है कि रैवेन्यू एक्सपेंडीचर को मीट नहीं कर सकती और इसीलिए हर साल हमें अपनी पूंजी में से खर्चा करना पड़ रहा है। हम कभी अपनी जमीन बेचते हैं, कहीं मकान बेचते हैं और इस तरीके से अपने परमानेन्ट असेट्स को रोजाना कम करके, सामान्य प्रशासन का खर्चा चला रहे हैं।

आज जो लगातार स्थिति देखने में आई खास तौर से तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्षों में देश के सामने दृष्टिगोचर हुई, सारे हिन्दुस्तान के सामने, दूसरे राज्यों के सामने कुछ नीतियों के कारण, एक इकोनोमिक क्राइसिज देश के अन्दर पैदा हुई है। हमारी पार्टी ने कहा था जब कांग्रेस ने प्लानिंग शुरू किया, पहली योजना शुरू की तो साम्यवादी पार्टी ने कहा था कि जो रास्ता अब आप अपना रहे हैं, जिस तरह से देश का विकास करना चाहते हैं, आप विकास योजनायें बनाना चाहते हैं लेकिन जो तरीका आप रिसोर्सेज का जुटाना चाहते हैं, जो प्रायोरिटीज तय करते हों, उसका नतीजा यह होगा कि कुछ सीमित समय में देश की प्रगति अवश्य होगी लेकिन यह आम जनता की बहुत बड़ी कुर्बानी की कीमत पर होगा, गरीब लोगों पर भार पड़ेगा और कुछ तबकों को आप फायदा पहुँचायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आप सैचूरेशन पोइंट पर पहूंचेंगे और उस पर पहुँचकर आपका कैपिटलिस्ट तरीका बढ़ने से आपके रास्ते रोक देंगे। यही रास्ता क्राइसिज और रिसेशन पैदा करेगा। आपका पहला रास्ता रिसोर्सेज जुटाने का है टैक्सेशन। दूसरा इन्फ्लेशन का का रास्ता है और तीसरी बुनियाद आपने बजट में रखी है। २० वर्ष के शासन के जरिए जिस तरह से टैक्सेज लगाए हैं, बहुमत जनता की क्षमता टैक्स देने की आज नाक तक पहुँच चुकी है और इसलिए आपने टैक्सेशन प्रोपोजल्स न देकर कोई मेहरबानी नहीं की, आपको लोगों का मूड मालूम पड़ता है जब सड़कों पर जुलूस देखते हो। रोजाना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिपोर्ट्स देखते हों, आप महसूस करते हो डंडे और गोली की ताकत पर लोगों से टैक्स लेने की सीमा तक पहुँच गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते ।

इसी तरह से इन्फ्लेशन की पोजीशन है, डेफिसिट फाइनेन्सिग जो आपके बुजुर्ग दिल्ली में बैठे हैं, जब मोरारजी भाई ने बजट पेश किया उसकी भी यही हालत है और आप भिखारी का प्याला लेकर दुनिया में घूमते हो । आपने देश की इज्जत बेची है, देश को गिरवी रखा है, आत्मसम्मान को नुकसान पहुँचाया है, देश की सोवेरेंटी को नुकसान पहुँचाया है, उसके बावजूद आप अपने तमाम रिसोर्सेज को मीट नहीं कर सकते। आपने दुनिया भर के मुल्को से मांगने के बावजूद उतना कर्जा नहीं मिल पाया । क्या यह सही नहीं है कि पलाना की लिग्नाइट के लिए आपको मदद नहीं मिली ? क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान कैनाल, जो राजस्थान की एक बुनियादी योजना है, केवल राजस्थान की ही नहीं भारत की सुरक्षा की योजना है, उसे इम्पीरियेलिज्म के चुंगल से निकालने की योजना है, पी० एल० ४८० के कर्जो से पीछा छुड़ाने की योजना है, उस योजना को भी हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि उस का आधार सारे का सारा विश्व बैंक पर है, अमरीका की सहायता है और आज अमरीका राजनैतिक सौदेबाजी करना चाहता है, राजनैतिक ब्लैकमेल करना चाहता है और इसलिए आज वह फाइनेंस नहीं करना चाहता ।

जो कमिटमेंट किये हैं, उससे पीछे हटना चाहते हैं । कुछ लोगों को अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से नचाने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया है उस बजट में राजस्थान की जनता को आगे जाने का रास्ता नहीं है । मैं नहीं समझता आज जरूरत है न केवल इस गवर्नमेंट के लिये बल्कि तमाम देशों की जनता के लिये, तमाम विरोधी पार्टियों के लिये कि कौनसा आल्टरनेटिव पाथ हम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं । कांग्रेस ने २० वर्ष तक केपीटेलिस्ट पाथ, पूंजीवाद से देश का विकास करने की कोशिश की । सभापति महोदय, हमारे देश के सामने एक रास्ता प्रस्तुत कर रहे हैं । आज कांग्रेस अपनी बुनियादी नीतियों में फेर-बदल कर रही है । कांग्रेस केपीटेलिस्ट के पाथ को अपना कर देश का विकास करने की कोशिश कर रही है । तमाम रिसोर्सेज गरीबों से लेकर, उनसे असिस्टेन्स लेकर विकास करने की कोशिश की, उसकी एक सीमा थी, अब हम उस सीमा पर पहुँच गये है । ज्यादा से ज्यादा भार गरीब लोगों पर पड़े और उसका फायदा मुट्ठी भर लोगों को मिले । चाहे वह किसान को मिले, पूंजीपति को मिले, किसी भी तबके में हो किन्तु अब वह समय आ गया है कि कांग्रेस टैक्स लगा कर गरीब लोगों से ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकती हैं। इन्फ्लेशन नहीं कर सकती है, उसके मुकाबले में । इसलिये कि सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, विकास कैसे करें । आज कांग्रेस की नीतियां २० वर्ष के बाद कन्डेम्ड हैं । वे खुद कन्डेम्ड हैं। आज देश में जो राजनीतिक परिवर्तन आ गया है वह बदलने वाला नहीं है । चाहे आज कांग्रेस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी को बिठा दें चाहे महारावल साहब को बिठा दें। सवाल यह है देश के सामने, राजस्थान की जनता के सामने कि वे क्या वैकल्पिक रास्ता प्रस्तुत करते हैं जो देश की जनता को, राजस्थान की जनता को आगे ले जा सकती है। सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज देश में, हमारे प्रान्त में जो एक विकल्प पेश करने की कोशिश की जा रही है पिछले २० वर्षों से लगातार वह विकल्प पेश किया जा रहा है। आज मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने इस चुनाव में हारने के बाद ही इस चिन्तन को, उस विकल्प को चाहे मजबूरी से ही हो, उसको स्वीकार कर लिया है। आज कांग्रेस की वे नीतियां इस बजट में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं यह कन्डेम्नेशन हमारे महारावल साहब से मिला है। कट यूवर कोट अकार्डिंग टू क्लॉथ। इस नीति को वे पिछले १५ वर्षों से लगातार कहते रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे देश में यह विकल्प विचाराधीन है। यह विकल्प और इकोनोमिक पॉलिसी देश के सामने प्रस्तुत की जा रही है। देश में महंगाई का मुकाबला करने के लिए एक ही रास्ता है कि इन लम्बी-चौड़ी प्लानिंग को छोड़ो, ये प्लानिंग बहुत महत्वाकांक्षी हैं। यह हमारे सबकी नहीं हैं और यह स्टेट का काम भी नहीं है, बनियागिरी का काम है। ये जो रोडवेज, कार्पोरेशन और कारखाने खोलते हैं यह सरकार का काम नहीं है, सरकार की विचारधारा नहीं है। इकोनोमिक प्लानिंग की बात छोड़ो। डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम डिफेन्स पर इतना खर्च नहीं कर सकते इसलिये कि हमारे बहुतसे मित्र हैं। आज देश में कांग्रेस केपीटेलिस्टिक पाथ का मुकाबला कर रहा है। स्वतन्त्र पार्टी की ओर से और जनसंघ की ओर से एक आल्टरनेटिव पाथ जो पेश किया जा रहा है वह यह है कि प्लानिंग को छोड़ो, विकास योजनाओं को छोड़ो—ये सब फालतू बातें हैं, ये सब महत्वाकांक्षी की बातें हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जनसंघ से कब से........

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो बहुत पुरानी बात है। मैं तो उनसे ज्यादा पुराना हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था सभापति महोदय कि यह रास्ता इनको किधर ले जायगा। देश जो सदियों से पिछड़ा हुआ पड़ा है। इन लम्बी-लम्बी योजनाओं को खत्म करदो, विकास को बन्द कर दो नहीं तो यह देश दूसरों पर निर्भर हो जायगा। सभापति महोदय, कुछ क्षणों के लिये महंगाई घट सकती है, महंगाई पर कन्ट्रोल हो सकता है, कुछ समय के लिये टैक्सेशन में रिलीफ मिल सकता है लेकिन गंभीरता से सोचने की बात है। मैं स्वतन्त्र पार्टी के लोगों से कहूंगा कि वे भी आइडियोलोजी में न जकड़े रहें। कांग्रेस को हराने का यही एक तरीका है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम गंभीरता से विचार करें। विकास की योजनाओं को छोड़ दें जिससे रिलीफ मिले, टैक्सेज न लगे, बजट छोटा लगे। क्या हम सदियों से पिछड़े इस हिन्दुस्तान और सैंकड़ों और हजारों वर्षों से पिछड़े हिन्दुस्तान को आत्मनिर्भर बना सकेंगे? क्या यह कह सकेंगे कि हमारे हिन्दुस्तान में लड़ाई के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हवाई जहाज, बारूद, गोला, टैंक आदि ये सब बनाने के लिये कारखाने हैं ? हम किसी पर निर्भर नहीं हैं और हम अपने पैरों पर खड़े हैं चाहे लड़ाई आ जाय—पाकिस्तान और चीन का हमला हो जाय, जो ६५ में हमें देखना पड़ा कि अमेरिका ने गेहूं बन्द कर दिये, ब्रिटेन ने अपने सामग्री के जहाज रास्ते में ही रोक लिये। जो संकट गंभीरता से देश के सामने खड़ा हुआ है वह यह है कि महंगाई को रोकना है, बेरोजगारी को रोकना है, टैक्सेज के बोझ को घटाना है तो क्या कांग्रेस का आल्टरनेटिव पाथ यह है कि हम अपने देश को, जनता को एक पुराने पिछड़ेपन के अन्दर जकड़बन्द कर दें और देश की आजादी को विदेशों के हाथों गुलामी में फंसा दें जिससे वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। सभापति महोदय, हमारे देश की जनता बहादुरी से लड़े इम्पीरियेलिज्म के खिलाफ, हिन्दुस्तान के अन्दर एक नया समाज स्थापित करने के लिये, जिसमें शोषण न हो। मेहनत करने वालों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिले। आल्टरनेटिव पाथ जो स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ पेश करते हैं, उसके जरिये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है इसलिये मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के सामने सवाल है कि कौनसा रास्ता अपनाया जाय जिसके जरिये हम इस इकोनोमिक क्राईसस से निकलकर देश का विकास कर सकें, देश का इन्डस्ट्रिलाईजेशन कर सकें, देश को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें और विदेशों में जो हमारी स्थिति गुजर रही है, वह न हो। हमारी पार्टी सभापति महोदय, देश के सामने यह सुझाव रख रही है, हम यह भी नहीं मानते कि देश में फौरी समाजवाद कायम हो जाय। न ही हम यह कल्पना करके चल रहे हैं, न ही हम देश के सामने इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं, मैं तो यह कहता हूं कि समाजवाद लाने के पहले हमको समाजवाद लाने के लिये जो स्थिति चाहिये वह स्थिति लानी पड़ेगी। वह स्थिति हमको तैयार करनी पड़ेगी।

(४.४१ म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके, जिनका नाम कैपीटल व्यवस्था में विश्वास है, जिनका गैर पूंजीवाद तरीके में विश्वास है, उन सबको इकट्ठा करके काम करना पड़ेगा, जिससे पूंजीवाद का पूरी तरह से अन्त तो नहीं होगा लेकिन कम से कम मोनोपोलीज क्रीएट नहीं हो सकेंगी। इसके जरिए हम मिलजुल करके, एक पार्टी नहीं, तमाम वाम पक्षी और जनतन्त्रीय पार्टीज मिलजुल करके इस कार्यक्रम को पूरा करने पर देश को क्राइसिस से निकाल सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट जो कांग्रेस की तरफ से आज पेश हुआ है, यह बजट, बजाय इसके कि वह सोशलिज्म की तरफ ले जाये, उससे कहीं दूर हमको ले जा रही है। आज कांग्रेस के अन्दर एक बेसिक अन्तर आया है और वह यह है कि वह अपनी नीतियों को छोड़कर दक्षिण पंथी नीतियों के अन्दर, जो स्वतन्त्र पार्टी की नीतियां हैं उन नीतियों की तरफ जोश के अन्दर आगे कदम बढ़ा रही है। इसके पहले जब आप सीलिंग बिल पर अमेंडमेंट ले आये तो

Page No. 119

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपको धन्यवाद जनसंघ की तरफ से मिला था और आज जब आप प्लान से हालीडे ले रहे हैं, प्लानिंग पर केवल ४० करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपको धन्यवाद महारावल साहब ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि यह बजट इस बात का द्योतक है कि आपने अपनी नीतियां छोड़कर स्वतन्त्र पार्टी की नीतियां आपने अपनाई हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री इस बात में बहुत होशियार हैं कि अपनी कमजोरी कैसे छुपाई जाये। उन्होंने इस बजट की तुलना की तो वह १९६६-६७ की बजट से नहीं की, न ही उन्होंने इसकी तुलना १९६७-६८ के बजट से की। उन्होंने इस बजट का मुकाबला किया तो किससे किया, सन् १९५०-५१ से कि उस वक्त कहां थे और आज हम कहां हैं। कितने चुनाव बीच में आ गये लेकिन आप अभी १९५०-५१ की बात को लेकर चल रहे हैं। एक बिगड़े सुलतान की तरह, पिदरे मन सुलतान बूद, तुराचे ? इस तरह से गाड़ी चलने वाली नहीं है। आप इस परिस्थिति के अन्दर देश को कैसे आगे बढ़ा सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा, उन नीतियों का समावेश बिलकुल नहीं हैं जो देश को आगे ले जाये बल्कि समावेश है उन नीतियों का जिनका अभी मैंने जिक्र किया। उन आर्थिक परिस्थितियों के बारे में एक भी डिसीजन का जिक्र इसके अन्दर नहीं है। पिछले साल कहते थे कि हमारा सब से बड़ा प्लानिंग मिनिस्टर तो इन्द्र महाराज है। बारिश अच्छी हो जाये तो साल अच्छा निकलेगा और बारिश नहीं हुई तो साल खराब। फिर इस प्लानिंग कमीशन की क्या जरूरत है ? हमारे प्लानिंग विभाग को क्या जरूरत है और हमारे प्लानिंग मिनिस्टर की क्या जरूरत है ? और इस गवर्नमेंट को कोई योजना बनाने की जरूरत ही नहीं।

आज जरूरत इस बात की है कि हम हिन्दुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता को, वैगरीज आफ नेचर से कैसे बचाएं। राजस्थान में जहां बारिश इतनी स्केंटी है, उसमें नेचर के खिलाफ संघर्ष करके हमें आगे चलना है। प्रकृति से संघर्ष करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। यह राजस्थान कैनाल क्या है ? यह बिजली क्या है ? यह सब नेचर के खिलाफ संघर्ष है। माननीय वित्त मंत्री ने नेचर के सामने इस तरह हथियार छोड़े हैं, और नेचर पर निर्भर करके चल रहे हैं, और मैं समझता हूं उनके सामने कोई भी प्रोस्पेक्टिव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी उन्होंने इस बजट के अन्दर ४० करोड़ रुपये योजना के लिये रखे हैं, लेकिन इसके अन्दर कोई काम की योजना नहीं है, केवल स्टाफ योजना है और इससे तो फिर कर्जा होने वाला है।

स्थिति तो इस हद तक पहुँच गई है उपाध्यक्ष महोदय, हमने बड़ी-बड़ी नहरें बना लीं। राजस्थान केनाल जितनी हमने बनाली, इसमें जितना पोटेन्शियल क्रिएट हुआ उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर सके। यह तो अलग शिकायत है कि हमें इसके लिये पैसा नहीं मिल रहा है यह जायज शिकायत है लेकिन सरकार की गलत नीतियों की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वजह से, इस राजस्थान केनाल का जो फर्स्ट स्टेज डेवलपमेन्ट हुआ है, जो राजस्थान फीडर कम्प्लीट हो गया राजस्थान मेन केनाल जो ४८ मील तक बन गई उसके द्वारा ढ़ाई लाख एकड़ भूमि को सिंचित बनाने का पोटेन्शियल क्रिएट किया है। लेकिन ६७-६८ में कितनी जमीन सिंचित की १.३७ हजार एकड़ भूमि सिंचित करके इसको काम में लाये। इस साल ज्यादा से ज्यादा डेढ लाख एकड़ काम में लेंगे। इस तरह से एक लाख एकड़ का हमारे सीमित साधनों में भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह राजस्थान केनाल की ही बात नहीं अन्य इरिगेशन प्रोजेक्ट भी ऐसे ही हैं। आंकड़ों से यह सिद्ध कर सकता हूं जितना उनका पोटेन्शियल है उतने का उपयोग नहीं कर सके।

बिजली और पॉवर के डिस्ट्रिब्यूशन में हम देखें लाइन तो डाल दी है ट्रान्समिशन के लिये पैसा नहीं। सतपुड़ा, राणा प्रतापसागर, गांधी सागर में, भाखरा में लाइन खींच डाली लेकिन राजस्थान का जो हिस्सा है उसको हम पूरा नहीं कर सके। हम इसका दोष सेन्टर को अवश्य देंगे लेकिन हमारे प्रान्त की सरकार की गलत नीतियों की वजह से ठीक तरह से प्लानिंग न होने को वजह से मकान की चारदीवारी तो बन गई लेकिन जब छत डालने का समय आया तो पैसा खत्म। इसी तरह की प्लानिंग हमारे यहां हुई है बिल्डिंग की चारों दीवारें तो कम्प्लीट हैं लेकिन छत नहीं गिरी है। हम बरसात में उसमें रह नहीं सकते। इसी तरह का हमारा प्लानिंग रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरह से अपनी नीतियों के जरिये आर्थिक स्थिति जो राजस्थान सरकार ने क्रिएट की है तमाम पोटेन्शियलिटी का पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं। जो भी पोटेन्शियलिटी है उसका उपयोग पूंजीपतियों को फायदा देना है। गरीब लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल सकी। बिजली आई लेकिन गरीबों को नहीं मिली गवर्नमेन्ट एलान करती है कि जो दो हजार रुपये देगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। बिड़ला, टाटा और जो पैसे वाले लोग हैं उनको फौरन प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरे लोग देखते रह जायेंगे। यह जो आपकी नीति है वह समाजवाद को लाने वाली नहीं है।

राजस्थान केनाल के लिये आपने रूल्स बनाये हम जमीन को नीलाम करेंगे, कुछ जमीन को रिजर्व रखने के लिये भी कहा गया। लेकिन पहले आपने नीलामी की घोषणा कर दी इसका मतलब यह हुआ कि पैसे वाले लोग जो हैं वे खरीद सकें और वे जमीन के मालिक बन सके। इसी तरह की नीतियों के जरिये आप देश के अन्दर, राजस्थान के अन्दर नया पोटेन्शियल क्रिएट नहीं कर सकते। आपको हमने सुझाव दिया आप राजकीय उद्योग-धन्धे खोलें ताकि नॉन-टैक्स इन्कम हमारी बढ़े। रोड़-वेज, बिजलीघर और कारखाने खोले हैं लेकिन जो इनके चलाने का तरीका है वह समाजवादी तरीका नहीं। आप इस तरह से नेशनेलाइजेशन नहीं करते बल्कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन करते जा रहे हैं। जिसके कारण जनता को सुविधा नहीं, मजदूरों को सुविधा नहीं दे पाते और ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मजदूरों का दमन करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की कोशिश करते हैं इस तरह से स्टेट केपिटेलिज्म बना रहे हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते हैं और आज लोगों द्वारा यह कहा भी जाने लग गया कि ऐसे नेशनेलाइजेशन से क्या फायदा। स्टेट सेक्टर में जितनी भी ये चीजें हैं वे सब घाटे में रन करती हैं। आपकी जिस प्रकार की नीति है उसमें यह नेशनेलाइजेशन नहीं हो सकता।

इसी तरह से पंचायतीराज, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का आपने हाल किया है। लोग यह महसूस करने लगे हैं कि यह नाम तो अच्छा है लेकिन जिस तरह से यह चल रहा है वह खत्म हो जाय तो अच्छा है। जिस तरह से गलत हथियार बन्दर के हाथ दे दिया जाय वह अपना नाक तो खुद काटे ही गा लेकिन वह दूसरों का भी नाक काट देगा। सो बन्दर के हाथ में खाली ब्लेड है जो इस तरह की हालत आज कर रहा है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि नीतियों की बात बीस वर्षों से हम सुनते चले आये हैं पर इस गवर्नमेन्ट के वश की बात नहीं है उन नीतियों पर अमल कर पाना। अगर सुधार हो सकता है, राजस्थान का विकास हो सकता है अगर इसका कोई रास्ता है तो वे नीतियां हैं जिनको हम चाहते हैं। पर उन नीतियों को अमल में लाने वाले लोग दूसरे ही होंगे, इस सरकार के वश की तो बात नहीं है। इस सरकार को तो अब सत्ता से निकल जाना चाहिये। इस सरकार को तो हटाया जाना चाहिये तब ये नीतियां सही तरीके से अमल में लाई जा सकती हैं, मँहगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है, राजस्थान को आर्थिक संकट में से निकाल सकते हैं, लोगों को रोजगार की तरफ ले जाया जा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें कान्स्टीट्यूशनल जो सैट-अप देश का है उस पर भी पुनर्विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो देश में कांग्रेस सरकार बनी और उसका शासन चला तो लोगों को यह महसूस हुआ कि केन्द्र के हाथ में मौजूदा संविधान के तहत इस तरह के पावर हैं जो सेन्टर और स्टेट के रिलेशनशिप को सही तरह से विकसित नहीं होने देते। उपाध्यक्ष महोदय, हम इस विचारधारा के नहीं हैं कि स्टेट को सेन्टर से ओटोनोमस होना चाहिये। न ही हम इस विचारधारा के हैं कि स्टेट सेन्टर की बिलकुल स्लेव होनी चाहिये। हमारा यह खयाल है कि एक फेडरल कान्स्टीट्यूशन में स्टेट और सेन्टर में म्यूचुअल असिस्टेन्स का रिलेशनशिप होना चाहिये। मदद का रवैया होना चाहिये। आज जो पावर हैं उनका पॉलिटिकल तरीके से उपयोग हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सेन्टर से स्टेट को कितनी मदद मिले, कितना लोन मिले यह सब उस स्टेट की नीड्स के अनुसार नहीं होकर पोलिटिकल कन्सीडरेशन पर ही हो सकती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, सेन्टर में भी कांग्रेस की सरकार है। फिर भी यह असन्तुलन क्यों है तो बुनियादी उसूल पर जाना पड़ेगा। जिस वक्त हमारा कान्स्टीट्यूशन बना उसके अन्दर सेन्टर के हाथ में जो पावर रखे गये तमाम सोशल सर्विस का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खर्चा स्टेट के नाम डाला गया है और मेन इन्कम का स्रोत सेन्टर ने रख लिया। और इस तरीके से इस डाइनोमिक इकोनोमी में आज पुनर्विचार करके कान्स्टीट्यूशन के अन्दर संशोधन करने की जरूरत है और मैं समझता हूं यह एक पार्ट का सवाल नहीं है, इस तरह से अगर हम विकास योजनाओं को भी लें तो हमें अपने पैसे का सही उपयोग तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिये हमको कान्स्टीट्यूशन में अमेण्डमेन्ट करके स्टेट के लिये नये रिसोर्सेज मांगने पड़ेंगे। जैसे कि कारपोरेशन, गिफ्ट टैक्स, वैल्थ टैक्स और कई किस्म के टैक्स हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का आज सैट-अप है उसमें केवल आर्टिकल २७५ के तहत पंचवर्षीय फाइनेन्स कमीशन बैठता है जो नॉन पोलिटिकल बाडी है। वह नॉन पोलिटिकल तरीके से सोचकर हरेक स्टेट के बजट को स्टेबिलाइज करने के लिये उसकी कमी को मीट करने के लिये सेन्टर से ग्रान्ट देने के लिये सुझाव देता है, रिकमण्ड करता है। और सेन्टर को स्टेचूटरी तरीके से वह ग्रान्ट देनी पड़ती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इसका भारत सरकार इन्टरप्रीटेशन करती है उसमें वह बहुत ही नैरो इन्टरप्रीटेशन कर रही है जिसको खुद फाइनेन्स कमीशन चेलेन्ज कर रहा है। फाइनेन्स कमीशन यह कहता है कि आर्टिकल २७५ के तहत फाइनेन्स कमीशन को पावर होनी चाहिये कि न केवल वह नॉन-प्लान प्रोजेक्ट के अन्दर ग्रान्ट स्टेट को देने की कहे और उतनी ही उसको मिल जावे बल्कि स्टेट के विकास की क्या सम्भावनाएं हैं और क्या उसके रिसोर्सेज की सम्भावनाएं हैं प्लान और नॉन प्लान दोनों को देखकर देने के लिये कह सके यह पावर फाइनेन्स कमीशन के हाथ में होनी चाहिये। जो आज प्लानिंग कमीशन कर रहा है। २७५ का करेक्ट इन्टरप्रीटेशन यह है। वरना स्टेट गवर्नमेन्ट को मांग करनी चाहिये। आज कांग्रेस की सरकार वहां और यहां दोनों जगह पर हैं। पर ये दिन तो बदलेंगे और एक सही तरीके से फेडरल गवर्नमेन्ट का स्ट्रक्चर क्या हो इस बुनियाद पर सोचना चाहिये।

इसी तरह से फाइनेन्स कमीशन पंचवर्षीय न होकर परमानेन्ट होना चाहिये। आज गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस की महंगाई बढ़ाने की बात आई। तीन करोड़ से भी ज्यादा बोझा आ गया है। अब फाइनेन्स कमीशन अगर परमानेन्ट होता तो तुरन्त इस पर विचार करता कि किस तरह से इसमें मदद स्टेट की की जा सकती है। पर आज तो पांच वर्ष के बाद विचार करने की गुंजाइश होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बुनियादी तौर पर स्टेट के रिसोर्सेज बढ़ाने की बात है। वह सेन्टर और स्टेट के रिलेशन पर भी दुबारा विचार करने की जरूरत है।

पिछले सितम्बर में चीफ मिनिस्टरों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें एक प्रश्न उठा भी था और उस प्रश्न को सही तरीके से उठाना स्टेट गवर्नमेन्ट के हित में है। और उस पर पूरी तरह से विचार होना चाहिये।

अभी इन्कम टैक्स का हिस्सा मिलता है। एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चाहे तो मिल सकता है। दूसरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चीजों का चाहे तो हमसे वसूल कर सकते हैं। लोन गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया चाहे तो दे सकती है। इसका मतलब यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को मरजी पर है। मेहरबानी पर है।

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हमको तो सलाह देती है कि आप इकोनॉमी कर लो इसमें। और स्टेट गवर्नमेन्ट उसको सलाह नहीं दे सकती आप हमको उपदेश दे सकते हैं। आप स्वयं इसमें कमी करें। आप करेंगे तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी इस तरह से नहीं करते हैं। तो सही तरीके का फेडरल गवर्नमेन्ट में इक्विलिटी का रिलेशनशिप होना चाहिये। एक कारपोरेट बॉडी का रिलेशनशिप होना चाहिये म्यूचुअल इन्टरेस्ट में काम करना चाहिये। आज वह नहीं होता इसलिये मैं मांग करता हूं कि सेन्टर और स्टेट की एक कौंसिल होनी चाहिये परमानेन्ट जिसमें इन तमाम सवालात पर विचार किया जावे।

प्लानिंग कमीशन के मौजूदा कान्स्टीट्यूशन में बुनियादी परिवर्तन किया जाना चाहिये जो टैक्निकल क्वेश्चन पर ही विचार करे। फाइनेन्सियल क्वेश्चन तमाम फाइनेन्स कमीशन को दे दिये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बैठक का समय १० मिनिट और बढ़ाया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्टर और स्टेट के रिलेशन्स को सही तरीके से कायम करने के लिये कौंसिल होनी चाहिये। प्लानिंग कमीशन से फाइनेन्शियल मैटर ले लेने चाहिये। फाइनेन्स कमीशन को वे पावर दिये जाने चाहिये और फाइनेन्स कमीशन को परमानेन्ट फाइनेन्स कमीशन बनाना चाहिये। प्लान और नॉन-प्लान दोनों मामलों में तमाम स्टेट की जरूरतों को देखकर फिर सैंक्शन करनी चाहिये सेन्टर को स्टेच्यूटरी तरीके से उनको मानना पड़े यह व्यवस्था होनी चाहिये। इफ और बट का सवाल फिर नहीं उठना चाहिये।

और इसके अलावा ३ शिड्यूल हैं जो उसके अन्दर सेन्ट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कारपोरेट लिस्ट है आज उन पर भी पुनर्विचार किया जावे और जो टैक्सेशन के लिये मुद्दे स्टेट को दिये गये हैं उनमें उनको बढ़ाया जावे ताकि स्टेट को भी अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें और डेवलपमेन्ट के काम काफी तेजी से और सही ढंग से कर सकें।

(५ म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मंत्रीजी ने कुछ बोर्ड्स का और कार्पोरेशन्स का सुझाव दिया है जो इन्डस्ट्रियल मिनरल डेवलपमेन्ट, एग्रो-इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को भी कॉर्पोरेशन के रूप में बनाने की बात कही है। जहां तक इनका सैद्धान्तिक सवाल है मैं समझता हूं कि यह तीनों कदम एक सही दिशा में कदम हैं। बाकी जो हमारा अनुभव है एक सही काम का किस तरह से उपयोग करें वह हम २० वर्ष से जानते हैं और इसका बहुत बड़ा इल्युशन हमारे सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वतंत्र पार्टी के नेता ने अपने विचार प्रिवीपर्स के बारे में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रखे और बड़े इमोशन्स के साथ और दलील के साथ इस बात को रखने की कोशिश की कि जो सेन्टर का ३ हजार करोड़ का बजट है उसके अन्दर यह केवल ५ करोड़ रुपया ही है इसलिए यदि प्रिवीपर्स को बन्द करते हैं तो यह अपना वचन भंग करना होगा। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं स्वतंत्र पार्टी के नेता महोदय महारावल साहब से कि यह ५ करोड़ रुपया प्रिवीपर्स के रूप में बन्द करने का सवाल केवल रुपयों का ही सवाल नहीं है। यह सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं या जो लोग परम्परागत तरीके से कुछ प्रिविलेजेज एन्जॉय करते आये हैं कुछ आर्थिक स्थिति एन्जाय करते आये हैं या राजसत्ता में रहते आये हैं और इसी के साथ क्या जो लोग कन्डैम होते आये है, दबते हुए जो लोग आये है समाज के जरिये पिसते हुए आये है समाज के जरिये क्या यह राजसत्ता उनको उसी तरह से पीसते हुए रखेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तानकी डेमोक्रेटिक मूवमेन्ट का यह बुनियादी सवाल है कि हिंदुस्तान हमें क्या बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम लड़े हैं और लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हिन्दुस्तान एक सोशियेलिस्ट और समाजवादी समाज बनाने का नक्शा लेकर आगे बढ़ा है और बढ़ेगा और आज अगर कांग्रेस जनता के साथ गद्दारी करती है तो जनता कांग्रेस को उठाकर फेंक देगी। जो लोग प्रिवीपर्स की बात को लेकर कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि उनको भी जनता के रेसिस्टेंन्स का सामना करना पड़ेगा। जिनकी जड़ें कुछ पुरानी कुर्बानियों की वजह से जम गयी थीं उनको उखाड़ने में २० वर्ष लगे हैं अगर इधर बैठे हुए लोग इन रेमोशन के साथ प्रिवीपर्स की बात को दिमाग में रखकर चेष्टा करेंगे और विरोधियों का नेतृत्व करने का दिमाग में ख्याल रखते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे इन बातों को दिमाग से निकाल दें। हिन्दुस्तान में राजाओं का राज्य नहीं रहा। हिन्दुस्तान राजाओं के लिए कमिटेड नहीं है। हिन्दुस्तान में किसानों और मजदूरों का राज्य होगा। हिन्दुस्तान में मजदूर और किसान राज्य करेगा, एक मामूली टीचर राज्य करेगा, हिन्दुस्तान के अन्दर मामूली आदमी राज्य करेगा। यह नये राजा और पुराने राजा यह समझकर चल रहे हैं कि प्रिवीपर्स को बन्द करना अपना वचन भंग करना होगा तो वह इस भरोसे में न रहें मैं समझता हूं कि अब यहां राजा लोग बैठे नहीं हैं और माननीय सदस्य इन नेताओं से संबंधित भी नहीं हैं। यह प्रिवीपर्स के लिए लड़ते भी नहीं हैं और मुझे पता है कि जब चित्तौड़ के अन्दर क्षत्रीय महासभा की मीटिंग हुई तो वहां पर काफी राजपूत थे। उन्होने कहा कि राजपूतों को प्रिवीपर्स से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा की हम २४ राजाओं के लिए लाखों और करोड़ों राजपूतों की गुलामी कराना चाहते हों, राजपूत ऐसे बेवकूफ नहीं बनेंगे। राजपूत राजस्थान की जनता के साथ हैं उनकी जिन्दगी के साथ जिन्दगी में मिलेंगे, उनके साथ मिल कर चलना चाहते हैं। चन्द राजा और रानियां किसी भी टिकट पर जीतकर आये हैं। अगर वह जनता के हितों की रक्षा नहीं करते तो यह बिल्कुल गलत है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने अनइकोनॉमिक होल्डिंग को पहले जो एग्जम्पशन दिया था

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपने उसको विघड़ा किया है, यह आपने विश्वासघात किया है। मैं महारावल साहब से और स्वतंत्र पार्टी के नेता महोदय से कहूंगा कि आओ हमने पहले भी एकता को कायम किया था, राज्य बनाने की एकता कायम की थी आज इन्होंने किसानों को चैलेंज किया है। अभी आप प्रिवीपर्स को लेकर लड़ने की बात मत करो आप जनता के खिलाफ पड़ोगे। आओ जनता के साथ जो इन्होंने गद्दारी की है उसके लिए हम और आप लड़ें, असेम्बली के बाहर लड़ें, असेम्बली में लड़ें और जहां भी हो सके लड़ें...

श्री रामरानारायण वर्मा (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य...

श्री परसराम मदेरणा : पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे पता नहीं उपाध्यक्ष महोदय ! उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ कह देना चाहता हूं ..

श्री रामनारायण वर्मा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, अगर माननीय सदस्य को सम्बोधन करना है तो सदन की परम्परा के अनुसार आपको संबोधित करके कह सकते हैं लेकिन दूसरी ओर गेलेरी को तरफ संबोधन करके नहीं कह सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : यह गेलेरीज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह चेयर को संबोधित कर रहे हैं बीच-बीच में।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : कांग्रेसी नये राजा और नये जागीरदार हैं यह चिढ़ रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, और नाराज हो रहे हैं। नये राजा, नये जागीरदार और नये नवाब उछल रहे है और कूद रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : पहले तो २२ राजा थे अब ३६ हो गए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अनइकोनॉमिक होल्डिंग से जो आपने एग्जम्पशन विड्ढा किया है यह आपका अकेला कदम नहीं है। इससे पहले सीलिंग लागू करने की बात करते समय सीलिंग में कुछ कन्सेशन्स दिये हैं...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह (श्री परसराम मदेरणा) अंगूठा बता रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह लो। इसमें क्या है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम देश को आजादी दलाने के अन्दर लगे हुए थे उस समय के राजाओं ने जो बगावत की थी वही सीन आज याद आ रहा है। आज के नये राजा और नये जागीरदार चमक रहे हैं लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। और वह पुराना इतिहास हमें बता रहा है कि आपकी कांग्रेसी राजाशाही खत्म होगी और आपकी जागीरें खत्म होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आपस में बात नहीं करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि जो एग्ज़म्प्शन्स विद्ड्रा किये हैं मिनिमम होल्डिंग पर यह केवल एक ही कथन आपका इस दिशा में नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी नीतियों को दक्षिणपंथी मोड़ दे रहे हैं। इससे पहले सीलिंग में कन्सेशन्स दिये मन्दिरों और मस्जिदों के नाम से जिनको देना चाहते थे उनको आपने जमीन दी। आप सबसे लड़ाई मोल ले रहे हैं। आज टेक्निकल नोलेज की जरूरत है। इन्जीनियर्स और डॉक्टर्स की जरूरत है आप उनसे भी लड़ाई में आ रहे हैं। यदि वे अपनी आवाजें उठाते हैं तो उनको जेलों के अन्दर रख रहे हैं चाहे वे छात्र मेडिकल कॉलेज के हों, वे चाहे इन्जीनियरिंग कॉलेज के हों, चाहे पोलीटेक्निक कॉलेज के हों और चाहे दूसरे कॉलेज के हों। आज आप दमन का सहारा ले रहे हैं। आज मजदूर आपसे टकराव में आते हैं। आप हर एक से लड़ाई मोल ले रहे हैं चाहे वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हों या कोई और हों। आप उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को छीन रहे हैं। आपने यह कानून लागू किया कि उन पर स्टेन्डिंग आर्डर्स लागू नहीं होंगे। आप लोगों की मांगों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। लोग अपनी मांगों को उठायें तो उनका दमन होता है। लोगों का दमन करना, उनके जनतांत्रिक हकों को खत्म करने की कोशिश करना यह दिशा आपने पकड़ी है। मैं समझता हूं कि यह दिशा आपको उसी गर्क में ले जायेगी जहां पुराने राजाओं को ले गयी है ..

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक ११ मार्च के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर १० मिनिट पर सोमवार, दिनांक ११ मार्च को म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट–१

(तारांकित प्रश्न संख्या २६१ की सूची)

श्री एकलिंगजी श्री रामजी

४४३३२ हुक्म

हाकिम आसीन्द ने लिखी जावे चावड़ीजी खरची मिलवा बाबत सबूतां वगैरा नजर कराई सो इसे तो फेरे दरयाफ्त कराई जावेगा और ठिकाने को नामो भी दिखायो जावेगो लेकिन फिलहाल रावजी गुजरया जदुसू ६०००) (छः हजार) रु० साल का हिसाब सूं चड़िया हुआ दे देवे और आइन्दा भी वे दिया करे और रावजी की बाई के भी रावजी गुजरया जंदु खरचो देवा वा बाबत हुक्म देगा (फटा हुआ) के लिये थारे नूद खरचो कपड़ा खरच को अन्दाजो देख रिपोर्ट करें सो इरो हुक्म होवेगा इत्तला हिसाब दफ्तर में दी जावे । सम्वत् १९७९ बेसाख सुदी एकम ।

मुद्रा ह० जगनाथसिंह

महकमाखास की मोहर

श्री एकलिंगजी श्री रामजी

१७:२६ हुक्म

आसीन्द चावड़ीजी ने हाल में पेटिया की जीनस व घास लकड़ी के अलावा ६०००) रु. सालाना खरची का मिले है सो पेटिया की जीनस के बजाय दो पेटिया का ५००) रु० सालाना रोकड़ और खरचा का बजाय ६०००) रु० (छः हजार रुपये) के रु० ८०००) (आठ हजार) रु० पीसी सम्वत् हाल ऊं करा दिया जावे । घास लकड़ी पहला मुजब हस्ब मामूल अब भी मिलती रहे और ई तरह आसीन्द भटयानी जी ने अलावा गांवां के पेटिये की जीनस व घास लकड़ी मिले है सो पेटिया को जीनस के बजाय पेटिया का २५०) रु० सालाना रोकड़ करा दिया जाय और घास लकड़ी यांने भी पहला मुजिब हस्ब मामूल मिलती रहे । ज्यो खरचो ई में बढ़े वो ई साल तो मद इतिफाकिया में लगायो जावे और आइन्दा साल दर्ज बजट में तामील हस्ब सिरस्ता होवे । सम्वत् १९८२ चेत विद ।

ह० एम० आर० भोपालसिंह

ह० पी० सी० चटरजी

मोहर श्री महकमाखास ।

श्री एकलिंगजी श्री रामजी

नं० 76 हुक्म

आसींद चावड़ीजी के खरची का पहली जुलाई ऊं बजाय आठ हजार साल के १०,०००) रु० (दस हजार) रुपया साल का करा दिया जावे । तामील हस्ब सरिस्ता होवे । संवत् १९८९ आषाढ़ सुद तीज ।

ह० एम० आर० भोपालसिंह

ह० पी० सी० चटरजी

परिशिष्ट–२

(तारांकित प्र. सं. २८० की सूची)

पंचायत समिति, पीपलखूंट द्वारा सन् १९६६ से स्वीकृत किये गये एनीकटों के बारे में विवरण

क्र. सं.	एनीकट मय गांव	पंचायत	कार्य पूर्ण या अपूर्ण
१.	काचलाकाली	दानपुर	पूर्ण
२.	कडवी	,,	अपूर्ण
३.	दानपुर	,,	पूर्ण
४.	करवी	,,	,,
५.	रीछड़ी	बोरी	,,
६.	बोरी	,,	अपूर्ण
७.	बाडा	मकनपुरा	,,
८.	जराबी	सोडलपुर	पूर्ण
९.	पन्थोल	घण्टाली	,,
१०.	घण्टाली	,,	,,
११.	सरवन	सरवन	अपूर्ण
१२.	पीपलखूंट पार्ट १	पीपलखूंट	पूर्ण
१३.	पीपलखूंट पार्ट २	,,	पूर्ण
१४.	परथीपुरा	परथोपुरा	अपूर्ण

परिशिष्ट—३

(अतारांकित प्र० सं० ७५ की सूची)

सूची (अ) अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ सा० नि० मं० दिनांक १५-१२-६७

राष्ट्रीय राज-मार्ग रोड्स को छोड़कर जिलेवार रोड माइलेज डामर एवम् सीमेन्ट-कंकरीट दिनांक ३१-३-६७।

क्रमांक	नाम जिला	रोड माइलेज डामर १-४-५१ से ३१-३-६७	रोड माइलेज सीमेन्ट-कंकरीट
१.	अजमेर	५६७	—
२.	अलवर	४०४	४
३.	भरतपुर	४६६	५
४.	बांसवाड़ा	८६	—
५.	बाड़मेर	१३१	—
६.	भीलवाड़ा	१८१	—
७.	बीकानेर	१६६	१
८.	बूंदी	१५०	२
९.	चित्तौड़गढ़	१५८	—
१०.	चूरू	२३४	—
११.	डूंगरपुर	६८	—
१२.	गंगानगर	६२६	—
१३.	जयपुर	३८७	१
१४.	जालौर	५२	—
१५.	जैसलमेर	१११	१
१६.	झालावाड़	१७३	—
१७.	झुंझुनू	२१३	—
१८.	जोधपुर	४११	—
१९.	कोटा	२६३	११
२०.	नागौर	२५५	—
२१.	पाली	२६०	—
२२.	सवाईमाधोपुर	२१६	—
२३.	सीकर	१३७	—
२४.	सिरोही	१८६	१
२५.	टौंक	२०८	—
२६.	उदयपुर	३४२	—
	योग...	६५८०	२६

परिशिष्ट–४

(अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ की सूची)

बैलगाड़ियों की सूची

क्रमांक	नाम गाड़ीवान (बैलगाड़ी)	निवासी	माह का नाम	रकम का चुकारा
१	२	३	४	५
१.	सोमा, लखमा	बलीचा	अगस्त, ६७	६२-५०
२.	धन्ना, कपूरा	,,	,,	५५-००
३.	बदा बला	उखेड़ी	,,	६०-००
४.	देवा, धन्ना	काऊंवा	,,	६५-००
५.	थावरा बदा	जावरा	,,	७०-००
६.	दोला, लिम्बा	वलीचा	,,	५५-००
१.	सत्रा, होमा	कनवई	,,	७५-००
२.	सवजी, जीवा	बलीचा	,,	७५-००
३.	देवा, कूरू	बलीचा	,,	७५-००
४.	पेमा, कला	,,	,,	७५-००
५.	रामा, पेमा	सरेरा	,,	७०-००
६.	कावजी, पेमा	जावरा	,,	७०-००
१.	धूला, धन्ना	,,	सितम्बर, ६७	४०-००
२.	धन्ना, कपूरा	,,	,,	४२-५०
३.	मंगला, काला	वलीचा	,,	४०-००
४.	रूपा, दीता	वलीचा	,,	४०-००
५.	बगता, गमेरा	सरेस	,,	४०-००
६.	देवा, कपूरा	जावरा	,,	४०-००
७.	हाजा, पेमा	कनवई	,,	४५-००
८.	वेवा, माना	,,	,,	४२-५०
९.	काला, कुरा	,,	,,	४२-५०
१०.	देवा, रामजी	,,	,,	४५-००
११.	दीता, मंगला	वलीचा	,,	४२-५०
१२.	धूला, परमा	उखेड़ी	,,	३५-००
१३.	वेसाता, बदा	वलीचा	,,	४५-००
१४.	खेमा, बदा	उखेड़ी	,,	४०-००
१५.	वेसात, ठरमा	,,	,,	४०-००
१६.	रामा, वेसात	,,	,,	४५-००
१७.	नाना, धन्ना	कनवई	,,	४२-००

१	२	३	४	५
१८.	भरता, दला	कनवई	सितम्बर, ६७	४५-००
१६.	पेमा, थीला	वलीचा	,,	४०-००
२०.	हकरा, पेमा	,,	,,	४२-००
२१.	उमरा, सोमा	,,	,,	४०-००
२२.	रामा, वेला	उखेड़ी	,,	४०-००
१.	हेमा, वदा	,,	,,	७५-००
२.	देता, मंगला	करान्डा	,,	६५-००

परिशिष्ट-५

(अतारांकित प्र० सं० ७९ की सूची)

जालोर जिले में पिछले तीन सालों में सन् ६५-६६ व ६७ में चोरी, लूट, डकैती एवं कत्ल के मुकदमात की तालिका।

जुर्म	कितने मुकदमे दर्ज हुए	झूंठे	दफा १५७ (बी.) जा. फो. के तहत तफतीश से इन्कार किया	अदम पता	अदम सबूत	पुलिस के पास जेर तफतीश	जा० फो० ५१२ में चालान	चालान	सजायाब	रिहा	राजीनामा	जेर तजवीज	चुराई गई सम्पत्ति	बरामदगी
१	२	३	४	५	५ (अ)	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
डकैती	६	२	—	—	—	२	—	२	—	—		२	३००२-५०	३०००-००
लूट	२९	११	—	१	—	४	—	१३	—	—	—	१३	२७४६८-९३	९७७०-००
कत्ल	२०	४	—	१	२	२	—	११	—	—	—	११	—	—
सन् १९६५									—	—				
मवेशियों को चोरी	३१	११	—	४	—	४	—	१२	९	—	२	४	११५३५-००	१००२५-०८
तांबे के तार की चोरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
साइकिलों की चोरी	३	—	—	१	—	—	—	२	—	—	१	१	४५३-००	३५३-००
जेब तराशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मोटरों की चोरी	१	—	—	१	—	—	—	—	—	—	—	—	३००-००	—
बन्दूकों की चोरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
भक से उड़ने वाली चीजें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य प्रकार की चोरी से	६९	१८	३	११	—	६	—	३१	६	—	६	१६	१०७१५-३८	५४२१-००
योग...	१०४	२९	३	१७	२	१०	—	४५	१५	—	९	२१	२३००३-३८	१४८९९-००
डकैती	८	३	—	—	—	२	—	३	—	—	—	३	३९५-००	१४५-००
लूट	४८	१२	—	१	२	७	३	२३	१	—	—	२२	१४२५२-५०	४५२५-५०
कत्ल	१७	२	—	—	—	३	—	१२	१	१	—	१०	—	—
सन् १९६६														
मवेशियों की चोरी	४६	९	—	५	—	८	३	२१	३	—	२	१६	३६६७०-००	३३०५१-००
तांबे के तार की चोरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
साइकिलों की चोरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जेब तरासी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मोटरों की चोरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बन्दूकों की चोरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
भक से उड़ने वाली चीजें	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्य प्रकार की चोरी	१२१	२८	६	२४	५	११	२	४५	८	१	६	३०	१८९७५-२५	१०९९४-७९
योग....	१६७	३७	६	२९	५	१९	५	६६	११	१	८	४६	५५६४५-२५	४४०१५-७९

परिशिष्ट—६

(अतारांकित प्र. सं. ८१ की सूची)

राजस्थान में चालू अम्बर चर्खे व उनके उत्पादन की तालिका

क्रमांक	नाम जिला	चालू चर्खों की संख्या	उत्पादन (रुपयों में)
१.	जयपुर	४३६६	३,१६,०५०-००
२.	सीकर	७५०	२३,०००-००
३.	भरतपुर	५३४	१७,७००-००
४.	टोंक	६५	१,६५०-००
५.	उदयपुर	४०८	११,६००-००
६.	सवाईमाधोपुर	६३७	३१,८५०-००
७.	पाली	१०	२५०-००
८.	भीलवाड़ा	३०	८००-००
९.	अजमेर	६५	३,०००-००
१०.	झुन्झुनू	१०	४००-००
११.	चित्तौड़गढ़	८५	१,३००-००
१२.	बांसवाड़ा	२८५	८,५५०-००
१३.	डूंगरपुर	७५	२,२५०-००
	योग...	७१७०	४,१६,०००-००

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक ९ मार्च, १९६८)

स्कम्भ सं० १.	पंक्ति सं० २	अशुद्धि ३.	शुद्धि ४
३	२	संख्या में ३	संख्या ३ में
,,	४	क	के
,,	६	कैंसि ा	कैंसिल
६	अन्तिम	अोला	अकेला
९	९	नयमों	नामों
,,	१९	व पिस	वापिस
१३	अन्तिम	आ	हुआ
१४	शीर्षक	प्रशोतर	प्रश्नोत्तर
,,	६	आदशनगर	आदर्शनगर
,,	अन्तिम	सीमित के	सीमित
१७	५	श्री हरिवलभ	श्री हरिवल्लभ
,,	११	श्री	[- श्री
२४	१५	न	ने
२९	अन्तिम से ७	कार्यमाही	कार्यवाही
३८	,, ७	कड़ोंरो	करोड़ों
४०	२	जाति से	जाति के
,,	६	बताया	बसाया
४१	७	जीत	जाति
४९	अन्तिम से १४	घटे	घंटे
५४	१७	अपका	आपका
५५	१५	११	११ सौ
६३	८	श्री रामनारायण देवपुरा	श्री रामनारायण
६७	अन्तिम से ६	बेकड़ी	केकड़ी
६८	४	व	के
७२	६	किल	किसो
७६	१५	व्रमबद्ध	क्रमवद्ध
८२	५	पेरे	फेर
,,	६	दियायो	दिवायो
,,	१३	आन्दा जो	अन्दाजो
८७	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अनुपस्थित सदस्यों के

१	२	३	४
८६	शीर्ष	(श्री शीशराम)	—
९६	अन्तिम से १०	का	की
९८	१	यह यह	यह
११३	अन्तिम से ३	श्री गोकलप्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद
११४	१७	तकि	ताकि
१२५	शीर्षक	९ मांच	९ मार्च
१२६			
१२८	अन्तिम से १२	प्रतिवष	प्रतिवर्ष
,,	,, ३	पड़ोसा	पड़ोसी
१२९	१५	सुरक्ष	सुरक्षा
,,	१७, १९	इन्छीगल	इन्छोगिल
,,	२२	वेनाल	केनाल
१३०	अन्तिम से ३	ग्रोर	ग्रोर
१३३	,, ४	ग्रोर	ग्रोर
१३४	१०	का	की
१३५	१२	,,	,,
१३७	१७	हे	है
१३८	१८	यही	यह
१३९	११	निधरित	निर्धारित
	११	में	मैं
,,	अन्तिम से ९	ग्रज	ग्राज
,,	,, ८	उसका	उसको
,,	,, ७	मंत्रा	मंत्री
१४०	२०	इतन	इतना
१४०	२५	प्रभारा	प्रभारी
,,	ग्रन्तिम से २	ग्रोर	ग्रौर
१४५	,, ४	मुताल्लिक	मुतल्लिक
१४६	९	ो	जो
१५१	शीर्षक	११६८	१९६८
१५३	५	वणी	वाणी
१५४	१५	तदाद	तादाद
,,	१६	छत्रों	छात्रों
१५५	ग्रन्तिम	ग्रोर	ग्रौर
१५७	शीर्षक	१९६	१९६८
१५८	२	श्री मुकुटबिहारीलल	श्री मुकुटबिहारीलाल

१	२	३	४
१५६	३	ंत्री	मंत्री
१६०	१३	सायी	साथी
१६३	२०	पूति	पूर्ति
,,	अन्तिम से ६	को	के
१६१ से १६८	शीर्षक	१९६८	१९६८-६९
१६६	अन्तिम से ४	जा	जो
१६७	१८	ज य-	जाय
,,	२३	सुविधा	असुविधा
१७०	अन्तिम से १०	फैली	फैल
१७१	२	अफीशिएन्सी	एफीशिएन्सी
१७४	अन्तिम से ३	तकावा	तकावी
१९७	५	देने	देखने
२०६	अन्तिम से ७	लिय	लिये
२११	शीर्ष	वापना	बाफना
२१५	२	चाहए	चाहिए
२२७	अन्तिम से ७	पोस्पेक्टिव	प्रोस्पेक्टिव
२३५	,, ४	परों	पैरों
२३६	१२	नाम	मान
२३७	८	आपने	—
२३६	१	फस्ट	फर्स्ट
२४०	३	स्थित	स्थिति
२४१	१२	ना ।	नारा
,,	अन्तिम से ११	ब त	बात
,,	,, ३	चहिये	चाहिये
२४२	,, ७	ते	तय
,,	,, १	सविस	सर्विस
२४६	१०	ओर	और
,,	१२-१३	पुनविचार	पुनर्विचार
२४७	अन्तिम से १४	पीसते	पिसते
,,	,, १३	हिन्दूस्तान	हिन्दुस्तान
२४६	,, ५	को	की
२५०	,, १०	दलाने	दिलाने
२५१	अन्तिम से ७	मे कल	मेडीकल
२५२	,, २	१ बजे	११ बजे